लोक सभा वाद विवाद का
हिन्दी संस्करण

खंण्ड 6

अंक 1—10

6 से 18 अगस्त
1962

पी एल

लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ६, १९६२/१८८४ (शक)

६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)

3rd Lok Sabha

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Buildin
Room No. FB-025
Block 'G'

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ६—अंक १ से १०—६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)]

अंक १—सोमवार, ६ अगस्त, १९६२, १५/श्रावण, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १३ १—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४ से ३५ और ३७ से ४८ २७—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २३, २५ से ६०, ६२ से ६९ और ७१ से ७६ ४७—७८

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ७८—७९

निधन सम्बन्धी उल्लेख ७९—८०

औचित्य प्रश्न के बारे में ८०—८२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८०—८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८३

लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य ८३—८७

वित्त मंत्री की हाल की पश्चिमी यूरोप की यात्रा के बारे म वक्तव्य ८७—९०

डुमराव में हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ९०—९१

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक ९१—११५

विचार करने का प्रस्ताव ९१—११२

खंड २ से २४ और १ ११३—११५

पारित करने का प्रस्ताव ११५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसरा प्रतिवेदन ११५

क संक्षेपिका ११६—२४

२—मंगलवार, ७ अगस्त, १९६२/१६ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५६ और ८७ १२५—४७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ १४७—४९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७ से ८६ और ८८ से ९१	१४९—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १५४, १५६ से १५९, १६१ से १८४ और १८६ से २१४	१६८—२३१
सभा पटल पर रख गये पत्र	२३१—३५
समिति के लिये निर्वाचन—	२३५
भारतीय परिचर्या परिषद्	२३५
कार्य मंत्रणा समिति—	२३६
तीसरा प्रतिवेदन	२३६
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक—	२३६–३७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक	२३८—४५
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २, ३ और १	
पारित करने का प्रस्ताव	
प्रत्यर्पण विधेयक	२४५—६०
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ३७ और १	
पारित करने का प्रस्ताव	
दैनिक संक्षेपिका	२६१—७१
अंक ३—बुधवार, ८ अगस्त, १९६२/१७ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १०२	२७३—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न	२९८—३०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १४३	३०१—२२
अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २३३, २३५ से २९६, २९८ से ३२८, ३३० से ३४२, ३४४ और ३४५	३२२—७४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३७४–७५
राज्य सभा से सन्देश	३७५–७६
सदस्यों की गिरफ्तारी	३७६

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	३७६
सभा का कार्य	३७७
सीमा शुल्क विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३७७—७८
भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	३७८
प्रत्यर्पण विधेयक—	
पारित करने का प्रस्ताव	
हिन्दू दत्तक ग्रहण और पोषण (संशोधन) विधेयक	३७८—८१
विचार करने का प्रस्ताव	३८१—९१
खण्ड २ से ४ और १	३९१
पारित करने का प्रस्ताव	३९१—९३
ईसाई विवाह तथा वैवाहिक कारण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३९३—९९
दैनिक संक्षेपिका	४००—०९
अंक ४—गुरुवार, ९ अगस्त, १९६२/१८ श्रावण, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १५३ और १५५ १६	४११—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५४ और १६५ से १७१	४३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३८५ और ३८७ से ४२२	४४२—७८
औचित्य प्रश्न के बारे में	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८—७९
रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	४७९
सभा का कार्य	४७९—८०
विशिष्ट सहायता विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४८०—८८
छोटी कार बनाने के बारे में वक्तव्य	४८८—९०

विषय	पृष्ठ
महा प्रशासक विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४९०—९२
दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का खराब होना . .	४९२—५१५
दैनिक संक्षेपिका . . .	५१६—२१
अंक ५—शुक्रवार, १० अगस्त, १९६२ /१९ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७४, १७५, २१०, १७६, १७७, २०६, १७८, १७९ से १८२ . .	५२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३, १८३ से २०५, २०७ से २०९, २११ से २१४	५४५—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२३ से ४९७, ४९९ से ५२१, ५२३ से ५३० और ५३२ से ५३८	५६०—६१०
स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१०—१४
दिल्ली में बिजली के संभरण के खराब हो जाने के बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्री का वक्तव्य . . .	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रामकृष्णपुरम में पीने के पानी की कमी . . .	६१५—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६१७—१८
सदस्यों को सजा	६१८
पश्चिमी बंगाल में कोयला खनन के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच करार के सम्बन्ध में वक्तव्य .	६१८—१९
सभा का कार्य . . .	६१९—२०
समितियों के लिये निर्वाचन—	
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . .	६२०—२१
प्राक्कलन समिति	
सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल के बारे में प्रस्ताव .	६२१—३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन . . .	६३५—३६
मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में संकल्प . . .	६३६—३९
अनिवार्य जीवन बीमा के बारे में संकल्प	६३९—५४

विषय	पृष्ठ
शहरों तथा गांवों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में संकल्प	६५४
सदस्य की गिरफ्तारी	६५४
दैनिक संक्षेपिका	६५५—६३
अंक ६—सोमवार, १३ अगस्त, १९६२/२२ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२३, २२५, २२७ से २३१	६६५—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२४, २२६, २३२ से २६८	६९३—७१४
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३९ से ५६० और ५६२ से ६४५	७१४—६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७६१–६२
सदस्य को सजा	७६२–६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३	७६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६२–६३	७६३
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) अणुशक्ति विधेयक	७६३
(२) अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक	७६३–६४
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव	७६४—९८
सभा का कार्य	७९८
दैनिक संक्षेपिका	७९९—८०७
अंक ७—मंगलवार, १४ अगस्त, १९६२/२३ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६९ से २७८, २८० से २८४, २८६ और २८८	८०९—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७९, २८५, २८७, २८९ से २९३ और २९५ से ३१३	८३६—४७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६५०, ६५२ से ६८८ और ६९० से ७२५	८४७—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) पश्चिम बंगाल पाकिस्तान सीमा के साथ साथ पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा खाइयां खोदे जाने का कथित समाचार	८७८–७९

विषय	पृष्ठ
(२) काशीपुर के निकट एक बस और मालगाड़ी की टक्कर	८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८८१
दिल्ली में बिजली के संभरण की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	
श्री अलगेशन	८८१–८२
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	
श्री जवाहरलाल नेहरू	८८२—९२
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	८९२—९११
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	९११
दैनिक संक्षेपिक	९१२—१८

अंक ८—गुरुवार, १६ अगस्त, १९६२/२५ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ से ३१६, ३४५, ३१७ से ३२६ और ३२८	९१९—४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	९४४—४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ३२७, ३२९ से ३४४ और ३४६ से ३५३	९४६—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७२६ से ८३९	९५९—१०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	१०१३—१६
(१) पुनर्वास विभाग के कलकत्ता स्थित शाखा कार्यालय का बन्द किया जाना	
(२) दिल्ली में लाल किले के निकट हुआ विस्फोट	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०१७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१०१७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१०१८—२७
सभा का कार्य	१०२८
रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	१०२८—४२
दैनिक संक्षेपिका	१०४३—४९

विषय	पृष्ठ
क ९—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९६२/२६ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ से ३६१, ३६४, ३६७ और ३६९ से ३७२	१०५१—७४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०७४—७६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६२, ३६३, ३६५, ३६६, ३६८ और ३७३ से ४०२	१०७७—९३
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४० से ९५२, ९५४ से ९६१, ९६३, ९६४, ९६६ से ९७३ और ९७५ से ९८५ . . .	१०९३—११५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
एक खेल संवादाता पर कथित आक्रमण . . .	११५२–५३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	११५३–५४
रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . .	११५४—८०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	११८१—८२
विधेयक पुरस्थापित—	११८२–८३
(१) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०० और १८९ का संशोधन [श्री म० ला० द्विवेदी का] . . .	११८२
(२) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १२४ और २१७ का संशोधन) [श्री कृ० च० शर्मा का] . .	११८२–८३
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्धया का] वापिस लिया गया	
परिचालित करने का प्रस्ताव	११८३—९१
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [श्री हेम राज का]	११९१—९३
विचार स्थगित किया गया	
विचार करने का प्रस्ताव	
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७-ख का लोप) [श्री म० ला० द्विवेदी का]	
विचार करने का प्रस्ताव	११९३—९५
दैनिक संक्षेपिका	११९६—१२०५

विषय	पृष्ठ
अंक १०— शनिवार १८ अगस्त १९६२/२७ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०३, ४२८, ४०४ से ४०६, ४०८, ४१०, ४११, ४१३ से ४१९, ४२१ और ४२० . . .	१२०७—२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०७, ४०९, ४१२, ४२२ से ४२७ और ४२९ से ४३६	१२२२—४
अतारांकित प्रश्न संख्या ९८६ से १०७१, १०७३ से १०८६ और १०८८ से १०८९	१२४०—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१२८४—८५
सदस्य की दोषसिद्धि	१२८५
सभा का कार्य	१२८५—८६
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ . . .	१२८६—९३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३ . .	१२९३—१३०६
राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव . .	१३०६—१५
दैनिक संक्षेपिका	१३१६—२२

GMGIPND—LS III—1651 (Ai) LSD—18-12-62—140

लोक सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीडु, श्री मांगटि (गुडिवाडा)

अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरि)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)

अब्दुर्रशीद बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल गनी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीड, श्री (वेल्लोर)

अय्यंगार, श्री म० अनंतशयनम् (चित्तूर)

अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम)

अलगेशन, श्री (चिंगलपट)

आ

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फिरोजपुर)

इम्बीचिबावा, श्री इजूकुढेक्कल (पोन्नाणि)

इलयापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)

इलियास, श्री मु० (हावड़ा)

इस्माइल, श्री मु० (मंजेरी)

1392 (Ai) L.S.D—1.

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)
उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)
उमानाथ, श्री (पुट्टु कोट्टई)
उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापुट)

ऊ

ऊटीया, श्री बुद्धूसिंह (शहडोल)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (नामनिर्देशित-उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओझा, श्री घनश्यामलाल (सुरेन्द्र नगर)

क

कच्छवैया, श्री हुकुमचंद (देवास)
कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडाड़ी, श्री मांदेप्पा बंदप्पा (शोलापुर)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम)
कपूर सिंह, श्री (लुधियाना)
कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)
कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)
करुथि रमण, श्री (गोर्बीचट्टिपलयम)
कर्णीसिंह जी, हिज हाइनेस महाराजा श्री, बीकानेर के (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्या नन्द (कटक)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कामले, श्री तु० द० (लातूर)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कार्जी, श्री देवेन्द्रनाथ (कूचबिहार)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किशन वीर, श्री (सतारा)
किशिंग, श्री रिशांग (मनीपुर)

क—क्रमशः

कुन्हन, श्री प० (पालघाट)
कुमारन, श्री मे० क० (चिरयिन्कील)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)
कृपा शंकर, श्री (डुमरियागंज)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० मं० (माँडवी)
केप्पन, श्री चेरियन (मुवात्तुपुज़ा)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री (कोजीकोड)
कोलाको, डा० (गोआ, दमन और दीव)
कोहोर, श्री राजेन्द्र (फलबनी)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई-दिल्ली)
खाँ, श्री उस्मान अली (अनन्तरपुर)
खाँ, डा० पूणेन्द्रनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह, श्री (गुड़गाँव)
गणपतिराम, श्री (मछलीशहर)
गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री विश्वनाथ सिंह (गाज़ीपुर)
गांधी, श्री व० ब० (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव (बड़ौदा)
गायतोंडे, डा० (गोआ, दमन और दीव)
गायत्रीदेवी, श्रीमती (जयपुर)

ग--क्रमशः

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)
गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मैनपुरी)
गुप्त, श्री रामरतन (गौंडा)
गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)
गुलशन, श्री धन्नासिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकर्ण प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गौंडर, श्री मुत्तु (तिरपतूर)
गौरी शंकर, श्री (फतेहपुर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (राँची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० र० (धनवाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोज़ाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचूर)
चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावदा, श्रीमती जोहराबेन (वनस्कंठा)
चावन, श्री दा० रा० (करोड़)
चुनी लाल, श्री (अम्बाला)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (करूर)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)

च—क्रमशः

चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)
चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्री सचिन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासराम)
जगदेव सिंह, श्री (झज्जर)
जमीर, श्री चुआतोशी (नामनिर्देशित—नागा पहाड़ी त्वेनसांग क्षेत्र)
जमुनादेवी, श्रीमती (झाबुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम)
जयरामन, श्री (वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलसीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबराव केशबराव (बारामती)
जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योति स्वरूप, श्री (हाथरस)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री योगेन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

ढबर, श्री उ० म० (राजकोट)

त

तानसिंह, श्री (बाड़मेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तुलाराम, श्री (सोनबरसा)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तिमय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारका नाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामसहाय (खुजराहो)
तेवर, श्री उ० मथरमालिग (अरुप्पुकोट्टई)
तेवर, श्री वरोना (तंजौर)
त्यागी, श्री महावीर, (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्णदेव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० म० (मंदसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थेनगोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथदेव, श्री (त्रिपुरा पूर्व)
दाजी, श्री होत्री (इन्दौर)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगांव)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री नयन तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मन मोहन (औसग्राम)
दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्ड हार्बर)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)

द—क्रमशः

दीक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)

देवभंज, श्री पू० चं० (भवनेश्वर)

देशपांडे, श्री गोविन्दहरि (नासिक)

देशमुख, डा० पंजाब राव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)

देशमुख, श्री शिवाजीराव शंकरराव (परभणी)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

धवन, श्री (लखनऊ)

धूलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)

नम्बियार, श्री आनन्द (तिरुचिरापल्लि)

नल्लाकोया, श्री (नामनिर्देशित—लकद्वीप, मिनिकाय और अमीन द्वीपसमूह)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नायक, श्री दे० जी० (पंचमहल)

नायक, श्री महेश्वर (मयूरभंज)

नायक, श्री मोहन (भंजनगर)

नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)

नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)

निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)

निरंजन लाल, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह)

न—क्रमशः

नेसामनी, श्री (नागरकोइल)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

प

पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)
पटनायक, श्री किसन (सम्बलपुर)
पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)
पटेल, श्री छोटाभाई (भड़ौंच)
पटेल, श्री नानूभाई नि० (बलसार)
पटेल, श्री पुरुषोतमदास र० (पाटन)
पटेल, श्री मान सिंह पृ० (महसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)
पन्ना लाल, श्री (अकबरपुर)
परमशिवन, श्री स० क० (इरोड)
पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)
पांडे, श्री काशी नाथ (छाता)
पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)
पाटिल, श्री मा० भ० (रामटेक)
पाटिल, श्री वसन्तराव (चिकोड़ी)
पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)
पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर—दक्षिण)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई—दक्षिण)
पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजु (रसडा)
पाराशर, श्री (शिवपुरी)
पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)
पुरी, श्री दे० द० (कैथल)
पिल्लै श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम

प—क्रमशः

पृथ्वी राज, श्री (दौसा)
पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)
प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली—करौलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

ब

बजाज, श्री कमल नयन (वर्धा)
बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)
बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारस्टा)
बड़े, श्री रामचन्द्र (खरगोन)
बदरुद्दुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, डा० रा० (बाँकुरा)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बसंत कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)
बसवन्त, श्री सोनुभाऊ दागड़ू (थाना)
बसु, श्री गु० (बर्दवान)
बसुमतारी, श्री घ० (ग्वालपाड़ा)
बाकलीवाल, श्री (दुर्ग)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारिया, श्री हीराभाई कुंवेराभाई (दोहद)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौली)
बालकृष्णन्, श्री (कोहलपट्टी)
बाल्मीकी, श्री क० ला० (खर्जा)

ब—क्रमशः

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री जं० ब० सिं० (अल्मोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा—पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, महाराजकुमार (झालावाड़)

ब्रजराज सिंह, श्री (बरेली)

बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)

बेरवा, श्री (कोटा)

बैरो, श्री (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मजीत, श्री (जोनपुर)

ब्रह्मप्रकाश, चौधरी (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)

भगवती, श्री वि० च० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी, (खामगांव)

भट्टाचार्य, श्री च० का० (रायगंज)

भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)

भवानी, श्री लखमू (बस्तर)

भानुप्रकाश सिंह, श्री (राजग .)

भार्गव, पंडित, मु० बि० ला० (अजमेर)

म

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मंडल, डा० (विष्णुपुर)

मंडल, श्री भूपेन्द्र नारायण (सहरसा)

मंडल, श्री य० प्र० (जयनगर)

मंत्री, श्री द्वारकादास (भीर)

म—क्रमश:

मच्छराजू, श्री य० (नरसीपटनम)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मनोहरन, श्री (मद्रास—दक्षिण)

मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)

मरूथैया, श्री (मेलुर)

मलाइछामी, श्री (पैरियाकुलम)

मल्लिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)

मल्लय्या, श्री उ० श्री० (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्र जी० (जम्मू तथा काश्मीर)

मसूरिया दीन, श्री (चैल)

महताब, श्री हरेकृष्ण (अंगुल)

महतो, श्री भजहरि (पुरुलिया)

महन्ती, श्री गोकुलनन्द (बालासौर)

महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)

महादेव प्रसाद,, श्री (बाँसगाँव)

महानन्द, श्री हृषिकेश (बोलनगीर)

महीड़ा, श्री नरेन्द्रसिंह (आनन्द)

माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालौर)

मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)

मिनीमाता, श्रीमती आगमदास गुरु (बलोदा बाजार)

मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)

मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)

मिश्र, श्री बिबुधेन्द्र (पुरी)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)

मिश्र, श्री महेशदत्त (खंडवा)

मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)

मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)

मुंजनी, श्री डेविड (लोहरदगी)

मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)

म—क्रमशः

मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुजफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री सरंकर (बुलूरघार)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री झुंझनू
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई—उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, श्री (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)
मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री सैं० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब० वि० (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कु० ल० (हतंकगले)
मोरे, श्री शं० शा० (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारवाड़—दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री रामसेवक (बाराबंकी)

य—क्रमशः

यादव, श्री रामहरक (आजमगढ़)
यूसुफ, श्री मुहम्मद (सीवन)

र

रंगा राव, श्री र० वें० गो० कृ० (चीपुरुपल्लि)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरामैया, श्री को० (गुंटुर)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रतनलाल, श्री (बंसवारा)
रामदत्त, श्री भोला (बेतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बङ्गारा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, चितरंजन (जूनागढ़)
राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)
राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, श्री द० स० (राजामंड्रि)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलढाना)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामदुलारी देवी, श्रीमती (पटना)
रामधनी दास, श्री (नवादा)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
रामसुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालौन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (माल्दा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)

र—क्रमशः

राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)

राय, डा० सारादीश (कढ़वा)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबुबाबाद)

राव, श्री क० ल० (विजयवाड़ा)

राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)

राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री मतगल (महबूबनगर)

राव, श्री रमापति (करीमनगर)

राव, श्री राजागोपाल (श्रीकाकुलम)

राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)

राव, श्री दनुमन्त (मेदक)

रावनदले, श्री चूड़ामन आनन्द (धूलिया)

रेड्डियार, श्री वेंकटसुब्बा (तिंडीमनम)

रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़पा)

रेड्डी, श्री क० प० (चिबलापुर)

रेड्डी, श्री नरसिम्हा, (राजमपेट)

रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री ब० गोपाल (काबलि)

रेड्डी, श्री यलमंदा (मारकापुर)

रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)

रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दूपुर)

ल

लक्ष्मीकांतमा, श्रीमती (खम्मम)

लक्ष्मी दास, श्री (मिरालगुडा)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (बिकाराबाद)

लहरी सिंह, श्री (रोहतक)

लाखन दास, चौधरी (शाहजहापुर)

लास्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)

लोनीकर, श्री रा० ना० (जालना)

व

वर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
वर्मा, श्री बा० (तरौं)
वर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
वर्मा, श्री रवीन्द्र, (तिरुवल्ला)
वर्मा, श्री सूरजलाल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचुर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण बेद (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय आनन्द, महाराज कुमार (विशाखपटनम)
विजयराजे, कुंवरानी (छनरा)
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंव)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनंद गांव)
वेंकटासुब्बैया, श्री पेंदे कांति (अडोनी)
वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनलि)
वैश्य, श्री मूलचन्द भुदरदास (साबरमती)
व्यास, राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प्र० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शाम नाथ, श्री (दिल्ली—चांदनी चौक)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)

शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शाह, श्रीमती जयाबैन (अमरोली)

शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शिंदे, श्री अन्नासाहेब (कोपरगांव)

शिवनंजप्पा, श्री (मंड्या)

शिवनारायण, श्री (बांसी)

शिवशंकरण, श्री (श्रीपेरुमबुदुर)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)

श्यामशाह, श्री (चांदा)

श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

श्री निवासन, श्री (मद्रास—उत्तर)

श्रीमाली, डा० का० ला० (भिलवाड़ा)

स

संजी रुपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा नगर हवेली)

सत्यनारायण, श्री विद्दिका (पार्वतीपुरम)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (जहांनाबाद)

सत्य प्रकाश, श्री (बिलासपुर)

समनामी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

सरोजिनी, श्रीमती बिन्दुराय (धारावाड़—उत्तर)

सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)

सहगल, श्री अ० जि० (जंगगीर)

साधूराम, श्री (फिल्लौर—अनसूचित जातियां)

सामन्त, श्री स० चं० (तामलुक)

साहा, डा० शिशिर कुमार (बोरभुम)

साहू, डा० रामेश्वर (रौसरा)

सिंघवी, डा० ल० म० (जोधपुर)

सिंधया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)

सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)

सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)

स—क्रमशः

सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)

सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)

सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री ब्रहजीत (जौनपुर)

सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)

सिंह, श्री यो० ना० (सुन्दरगढ़)

सिंह, श्री रा० प्र० (छपरा)

सिंह, श्री स० टो० (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्दय्या, श्री (चमराजनगर)

सिद्धनंजप्पा श्री (हसन)

सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालंदा)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर— —अनुसूचित जातियां)

सुब्बारामन, श्री (मदुरै)

सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)

सुब्रह्मण्यम श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)

सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)

सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)

सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)

सौय, डा० रानेन (कलकत्ता—पूर्व)

सोनावने, (श्री पंढरपुर)

सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह (कैरा)

सौंदरम, श्रीमती रामचन्द्रन (डिंडीगल)

स—क्रमशः

सोयं, श्री हरिचरण (सिंहभूम)

स्वर्ण सिंह, श्री (जलन्धर)

स्वामी, श्री मंडलावेंकट (मसुलीपटनम)

स्वामी, श्री म० न० (ओंगोल)

स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कीप्पल)

स्वेल, श्री ज० गि० (आसाम—स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)

हक, श्री म० म० (अकोला)

हजरनवीस, श्री र० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)

हनुमन्तैय्या, श्री (बंगलौर नगर)

हरवानी, श्री अन्सार (बिसौली)

हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोड्डा)

हिम्मतसिंहजी, श्री (कच्छ)

हुकम सिंह, सरदार (पटियाला)

[illegible]डा, श्री (निजामाबाद)

अध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

१. श्री मूल चन्द दुबे
२. श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती
३. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-लॉ

१. कार्य मंत्रणा समिति

(घोषणा की तारीख : २८ अप्रैल, १९६२)

१. सरदार हुकम सिंह—**सभापति**

२. श्री कृष्णमूर्ति राव

३. श्री फ्रैंक एन्थनी

४. श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े

५. श्री श्रीनारायण दास

६. श्री हरि विष्णु कामत

७. सरदार कपूर सिंह

८. श्री करुथिरम

९. श्री आनन्द नम्बियार

१०. श्री पुरुषोत्तम दास र० पटेल

११. श्री शिवराम रंगो राने

१२. श्री जगन्नाथ राव

१३. श्रीमती यशोदा रेड्डी

१४. श्री सत्य नारायण सिंह

१५. श्री सिंहासन सिंह

---

२. विशेषाधिकार समिति

(घोषणा की तारीख : २५ मई, १९६२)

१. श्री कुञ्जमूर्ति राव—**सभापति**

२. श्री हेम बरुआ

३. श्री बृज राज सिंह

४. श्री सचीन्द्र चौधरी

५. श्री गो० ना० दीक्षित

६. पंडित ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी

७. सरदार कपूर सिंह

८. श्रीमती संगम लक्ष्मीबाई

९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर

१०. श्री ही० ना० मुकर्जी :

११. श्री महेश्वर नायक

१२. श्री शिवराम रंगो राने

१३. श्री अशोक कु० सेन

१४. श्री सत्य नारायण सिंह

१५. श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक

---

३. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

(घोषणा की तारीख : २१ मई, १९६२)

१. श्री मूल चन्द दुबे —सभापति

२. श्री बटेश्वर सिंह

३. श्री ओंकार लाल बेरवा

४. श्री तुलसीदास जाधव

५. श्री योगेन्द्र झा

६. श्रीमती सुभद्रा जोशी

७. श्री मे० क० कुमारन्

८. श्री नोहार रंजन लास्कर

९. श्री यमुना प्रसाद मण्डल

न्तराज मेहता

११. श्री मान सिंह पृ० पटेल

१२. श्री रामभद्रन्

१३. श्री मुत्याल राव

१४. श्री शिवनंजप्पा

१५. श्री अब्दुल वहीद

४. प्राक्कलन समिति (१९६२-६३)

(घोषणा की तारीख : २१ जून, १९६२)

१. श्री दासप्पा—सभापति
२. श्री जोकीम आल्वा
३. श्री ध० वसुमतारी
४. श्री श्रीनारायण दास
५. श्री प्रताप केसरी देव
६. श्री गोन्विद हरि देशपाण्डे
७. श्री अरुण चन्द्र गुह
८. श्री सुबोध हंसदा
९. श्री अन्सार हरवानी
१०. श्री कान्हू चरण जेना
११. श्री आनन्द चन्द्र जोशी
१२. श्री मानवेन्द्र शाह
१३. श्री जसवन्त मेहता
१४. श्री नी० श्रीकान्तन् नायर
१५. श्री आनन्द नम्बियार
१६. श्री नेसामनी
१७. श्री पन्नालाल
१८. श्री नवल प्रभाकर
१९. श्री राजाराम
२०. डा० को० लो० राव
२१. श्री रामेश्वर साहू
२२. श्रीमती जयाबेन शाह
२३. श्री दीवान चन्द शर्मा
२४. श्री विद्याचरण शुक्ल
२५. श्री ब्रह्मजीत सिंह
२६. श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम्
२७. श्री ज० गि० स्वेल
२८. श्री कृ० क० वारियर
२९. श्री बालकृष्ण वासनिक

५. सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(घोषणा की तारीख : २५ मई, १९६२)

१. श्री मुरारका—सभापति
२. श्री बालकृष्णन्
३. श्री च० का० भट्टाचार्य
४. सरदार बूटा सिंह
५. श्री लक्ष्मी नारायण भंज देव
६. श्री शिवचरण गुप्त
७. श्री लहरी सिंह
८. श्री छोटूभाई पटेल
९. श्री पी० एस० नटराज पिल्ल
१०. श्री यलमन्दा रेड्डी
११. श्री साधूराम
१२. श्री सिद्धनंजप्पा
१३. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
१४. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा
१५. श्री सुमत प्रसाद

---

६. याचिका समिति

(घोषणा की तारीख : २५ मई, १९६२)

१. श्री तिरुमल राव—सभापति
२. श्री अरुणाचलम
३. श्रीमती जोहराबन चावदा
४. श्री गजराज सिंह राव
५. श्रीमती गायत्री देवी
६. श्री जी० ना० हजारिका
७. श्री नारायण सदोबा कजरोलकर
८. श्री यमुना प्रसाद मण्डल
९. श्री मसुरिया दीन
१०. श्री वासुदेवन नायर
११. श्री स० ब० पाटिल

१२. श्री सत्य प्रकाश

१३. श्री रामेश्वरानन्द

१४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री

१५. श्री राम सहाय तिवारी

---

७. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

(घोषणा की तारीख : २५ मई, १९६२)

१. श्री कृष्णमूर्ति राव—सभापति

२. श्री स० मो० बनर्जी

३. श्री प्रिय गुप्त

४. श्री अन्सार हरवानी

५. श्री हेम राज

६. श्री माधवराव लक्ष्मणराव जाधव

७. श्रीमती जमुना देवी

८. श्री परेशनाथ कयाल

९. श्री मुथिया

१०. श्री काशी नाथ पांडे

११. श्री सिद्धय्या

१२. श्री कु० का० सिंह

१३. श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलंकी

१४. श्री उमानाथ

१५. श्री राम सेवक यादव

---

८. लोक-लेखा समिति (१९६२-६३)

(घोषणा की तारीख : २१ जून, १९६२)

लोक-सभा

१. श्री महावीर त्यागी—सभापति

२. श्री बालकृष्णन्

३. श्री भक्त दर्शन

४. श्री गजराज सिंह राव

५. श्री हेम राज

६. श्री जयपाल सिंह

७. सरदार कपूर सिंह

८. श्री र० के० खाडिलकर

९. श्रीमती मैमूना सुल्तान

१०. डा० मण्डल

११. डा० मेलकोटे

१२. श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

१३. श्री मोहन स्वरूप

१४. श्री रविनारायण रेड्डी

१५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री

राज्य-सभा

१६. श्रीमती क० भारती

१७. श्री नवाबसिंह चौहान

१८. श्री दयाभाई व० पटेल

१९ श्री सोनूसिंह धनसिंह पाटिल

२०. श्री लालजी पेन्डसे

२१. श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

२२. श्री जयनारायण व्यास

---

९. अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(घोषणा की तारीख : २५ मई, १९६२)

१. श्री कृष्णमूर्ति राव—**सभापति**

२. श्री भागवत झा आजाद

३. श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ

४. श्री सचीन्द्र चौधरी

५. श्री होमी दाजी

६. श्री गौरीशंकर

७. श्री म० म० हक

८. श्री हरिश्चन्द्र हेडा

९. श्री मुरारका
१०. श्री नरसिम्हा रेड्डी
११. श्री सिद्धनंजप्पा
१२. श्री म० प० स्वामी
१३. श्री उ० मू० त्रिवेदी
१४. श्री महावीर त्यागी
१५. श्री वाडीवा

---

१०. आवास समिति

(घोषणा की तारीख : १ मई, १९६२)

१. श्री कृष्णमूर्ति राव—सभापति
२. श्री भक्त दर्शन
३. श्री युद्धवीर सिंह चौधरी
४. श्री सुबोध हंसदा
५. श्री बाकर अली मिर्जा
६. श्री मोहन स्वरूप
७. श्री वासुदेवन् नायर
८. श्री राजेश्वर पटेल
९. श्री व० क० रामस्वामी
१०. श्रीमती रेणुका राय
११. श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलंकी
१२. श्री रामेश्वर टांटिया

---

११. लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

(घोषणा की तारीख : १५ जून, १९६२)

लोक-सभा

१. श्री गो० ना० दीक्षित—सभापति
२. श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ
३. श्री म० ला० द्विवेदी
४. श्री न० रं० घोष
५. श्री प्र० कु० घोष
६. श्री म० म० इक

७. श्री हरिश्चन्द्र हेडा
८. श्री परेशनाथ कयाल
९. श्री जसवन्तराज मेहता
१०. श्री युवराज दत्त सिंह

राज्य-सभा

११. श्री ज० राजगोपालन
१२. श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह
१३. श्री हीरा बल्लभ त्रिपाठी
१४. श्री क० व० रघुनाथ रेड्डी
१५. श्री लोकनाथ मिश्र

---

१२. संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

(घोषणा की तारीख : १८ मई, १९६२)

लोक-सभा

१. श्री च० का० भट्टाचार्य
२. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
३. श्री नरेन्द्र सिंह महीदा
४. श्री आनन्द नम्बियार
५. श्री दे० द० पुरी
६. श्री मुत्याल राव
७. श्री दिग्विजय नारायण सिंह
८. श्री सत्य नारायण सिंह
९. श्री सिंहासन सिंह
१०. श्री मं० गं० उइके

राज्य सभा

११. श्री जगन्नाथ कौशल
१२. श्री अकबर अली खां
१३. श्री ए० डी० मणि
१४. श्रीमती उमा नेहरू
१५. श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह

१३. नियम समिति

(घोषणा की तारीख : २५ मई, १९६२)

१. सरदार हुकम सिंह---सभापति
२. श्री कृष्णमूर्ति राव
३. श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े
४. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
५. श्री गोविन्द हरि देशपाण्डे
६. श्री मूलचन्द दुबे
७. श्री हनुमन्तैया
८. श्री कर्णी सिंहजी
९. श्री हरेकृष्ण महताब
१०. श्री नाथ पाई
११. डा० राजेन्द्र कोहर
१२. श्रीमती सरोजिनी महिषी
१३. श्री सत्य नारायण सिंह
१४. श्री अमरनाथ विद्यालंकार
१५. श्री राधेलाल व्यास

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू
वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई
परिवहन तथा संचार मंत्री—श्री जगजीवन राम
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री —श्री गुलजारी लाल नन्दा
श्री ति० त० कृष्णमाचारी—बिना विभाग के मंत्री
गृह-कार्य मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री
रेलवे मंत्री—श्री स्वर्ण सिंह
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री क० च० रेड्डी
प्रतिरक्षा मंत्री—श्री कृष्ण मेनन
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल
सिंचाई और विद्युत् मंत्री—श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम
विधि मंत्री —श्री अ० कु० सेन
खान और ईंधन मंत्री—श्री केशव देव मालवीय
सूचना और प्रसारण मंत्री—श्री बे० गोपाल रेड्डी
इस्पात, और भारी उद्योग मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम
शिक्षा मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली
वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर
संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्यनारायण सिंह

राज्य-मंत्री

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री—श्री मनुभाई शाह
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन तथा संचार मंत्रालय धें नौवहन मंत्री—श्री राज बहादुर
सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे
स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री ब० ना० दातार
श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री—श्री जयसुख लाल हाथी
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री —श्री रघुरामैया
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री —श्री अलगेशन
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह

उप-मंत्री

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री —डा० म० मो० दास

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रा० मा० हजरनवीस

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० मू० मूर्ति

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रम्

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चावन

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री —श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय उपमंत्री—श्री शाम नाथ

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री —डा० द० स० राजू

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री —श्री दिनेश सिंह

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेंद्र मिश्र

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भगवती

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाशचन्द्र सेठी

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव—श्री अन्नासाहिब शिन्दे

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री डा० एरिंग

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री स० चु० जमीर

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव—श्री सै० अ० मेहदी

खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव—श्री डोडा तिम्मय्या

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव—श्री मं० रं० कृष्ण

श्रम और रोजगार मंत्री के सभा-सचिव—श्री रतनलाल किशोरी लाल मालवीय

लोक-सभा

सोमवार, ६ अगस्त, १९६२

१५ श्रावण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : जो सदस्य शपथ लेना चाहें या प्रतिज्ञान करना चाहते हैं, वे अब ले सकते हैं ।

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : आपकी अनुमति से श्रीमन् मुझे आपसे और आपके जरिये इस सभा से डा० एंटोनियो कोलाको और डा० पुंडलिक गायतोन्डेका, जिन्हें राष्ट्रपति ने गोआ, दमन और दीव का इस सभा में प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्देशित किया है, परिचय कराने में बड़ी प्रसन्नता है ।

डा० एंटोनियो कोलाको (नामनिर्देशित—गोआ, दमन और दीव)
डा० पुंडलिक गायतोन्डे (नामनिर्देशित—गोआ, दमन और दीव)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कागज के लिये निर्यात सम्वर्द्धन परिषद

†*१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यलमंदा रेड्डी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न प्रकार के कागजों के निर्यात के लिये एक **निर्यात** सम्वर्द्धन परिषद् स्थापित करने का इरादा रखती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि कागज उद्योग संघ से पड़ोसी देशों की कागज की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये कहा गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह अनुमान लगा लिया गया है ; और

(घ) उन देशों को किस प्रकार के कागज की आवश्यकता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) जी हां। कागज और कागज से बनी चीजों के लिये निर्यात संवर्धन परिषद् स्थापित करने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

(घ) पड़ोसी देशों को मुख्यत: इन कागजों की जरूरत है : सिगरेट का कागज, लपेटने और बंडल बांधने का कागज, अखबारी कागज के अलावा छपाई और लिखाई का कागज।

†**श्री सुबोध हंसदा** : सामान्यतया किन-किन देशों में इन कागजों की खपत हो ी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसाकि मैंने बताया, वे पड़ोसी देश हैं। कुछ कागज जर्मनी गया है लेकिन उसमें से अधिकतर दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रिका गया है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन कागजों का वर्तमान उत्पादन कितना है और क्या वह इस देश की मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उत्पादन ४,२५,००० टन है। निर्यात मुश्किल से लगभग १० टन किया जाता है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या हाथ के बने कागज की भी, जो खादी आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है, दूसरे देशों में मांग है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां। करीब २½ लाख टन की कुछ मांग है।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या मूल्य और किस्म के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ताकि वे हमारा कागज खरीद कर सकें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जो कागज तैयार किये जा रहे हैं और निर्यात किये जा रहे हैं वे सभी सबसे अच्छी किस्म के हैं। मूल्य के संबंध में, अर्थात् जहां कहीं मूल्य अधिक है, वहां उस मामले की छानबीन की जा रही है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि जो एक्स्पोर्ट कौंसिल बनाई गई है उसके सदस्य कौन-कौन से हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी उसके बनाने पर विचार हो रहा है।

†**श्री त्यागी** : क्या सभी निर्यात वस्तुओं के लिये अलग-अलग परिषदें कायम करने का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं। जब उसकी रकम काफी होती है और निर्यात की संभावना बहुत अधिक होती है तभी अलग परिषद् बनाया जाता है अन्यथा विशिष्ट उद्योगों के लिये छोटी छोटी तालिकाएं बनायी जा रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेपाल सीमा पर हुये आक्रमणों की संयुक्त जांच

श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा :
श्री बसुमतारी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बी० चं० शर्मा :
(श्री प्र० चं० बरुआ :
*२. श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री काजी :
श्री राम रतन गुप्त :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल, नेपाल सीमा पर आक्रमणों की संयुक्त जांच करने के लिये सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त समिति में कौन व्यक्ति हैं ; और

(ग) क्या इस समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) मामले के तथ्यों के संबंध में गलतफहमी और मतभेद दूर करने की दृष्टि से किसी भी सरकार की ओर से संयुक्त अनौपचारिक जांच की जा सकती है ।

(ख) हर समय जब भी ऐसी जांच करने का फैसला किया जाता है, दोनों ही सरकारें तदर्थ आधार पर अपने अपने प्रतिनिधि नामनिर्देशित करती हैं ।

(ग) अब तक हुई दो जांचों के संबंध में भारत सरकार के प्रतिनिधि ने रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं ।

†श्री प्र० के० देव : नेपाल सरकार के साथ अधिक अच्छे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता को देखते हुये क्या सरकार इन सीमावर्ती आक्रमणों को रोकने के लिये मिलीजुली पुलिस कार्यवाही, सुरक्षा कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं इसे ठीक ठीक समझ नहीं पाता । माननीय सदस्य का यह आशय है कि हमारी पुलिस नेपाल में घुस जाये क्योंकि वह हालत नेपाल में पैदा हुई है और भारत में नहीं । मैं नहीं समझता कि हमारी पुलिस

---

†मूल अंग्रेजी में

का नेपाल में प्रवेश करना किसी प्रकार भी उचित होगा। नेपाल सरकार भी उसे पसन्द नहीं करेगी।

†श्री प्र० के० देव : कभी-कभी हमें समाचार मिलते हैं कि नेपाल की ओर से आयी हुई गोली इस ओर के लोगों को भी लग जाती है। इसलिये यह दोनों सरकारों के लिये चिन्ता का विषय है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : एक या दो बार ऐसी सूचना मिली है। उसकी जांच की गयी है लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि हमारी पुलिस को नेपाल में प्रवेश करना चाहिये। एक अर्थ में तो यह एक ऐसी चीज है जिसे नेपाल सरकार शायद बहुत पसन्द नहीं करेगी।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में यह बताया गया था कि भारतीय प्रतिनिधि ने प्रस्तुत की है। क्या उससे यह समझा जाये कि आयोग के नेपाली सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है या वे भारतीय रिपोर्ट सहमत नहीं हैं या अब भी उनकी यही राय है कि सीमावर्ती आक्रमणों के लिए उत्तरदायी लोग भारतीय राज्य-क्षेत्र से कार्यसंचालन करते हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि दूसरी पार्टी की रिपोर्ट हमें मिली है। मेरा ख्याल यह है कि एक या दो जाँच के सम्बंध में सभी इसमें सहमतय कि भारत की ओर से कोई आक्रमण नहीं हुआ था, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं था। एक मामले में कुछ मतभेद था। हमने अभी तक नेपाली प्रतिनिधियों की रिपोर्ट नहीं देखी है।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह परस्पर मान लिया गया है कि हर मामले में संयुक्त जाँच पड़ताल समिति के निष्कर्ष दोनों ही पक्ष बिना आपत्ति के स्वीकार कर लेंगे और वे दोनों ही उनसे बाध्य होंगे ?

†श्री दिनेश सिंह : इन अफसरों ने व्यक्तिगत रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। अब दोनों ओर के अफसरों की एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव है।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह रिपोर्ट दोनों पक्षों को मंजूर होगी ?

†अध्यक्ष महोदय : वह एक प्रस्ताव है। इसलिए वे उसे तैयार करने जा रहे हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : यह संयुक्त समिति कब से काम करना शुरू करेगी और उसमें कौन-कौन होंगे ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसाकि मैंने अभी बताया, वह कुछ समय से काम कर रही है।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या नेपाल सरकार ने इन सीमावर्ती आक्रमणों के संबंध में कुछ लोगों के प्रत्यर्पण की माँग की है और यदि हाँ, तो उस बारे में सरकार की क्या राय है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, नहीं, उस बारे में मुझे मालूम नहीं है। किस देश से कहाँ प्रत्यार्पण ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भागवत झा आजाद : सचिव ने जिन मामलों की जाँच पड़ताल की है क्या उनमें से किसी में यह मालूम हुआ है कि हमारे पक्ष ने नेपाल सीमा पर आक्रमण किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसमें कोई पक्ष नहीं है । वे व्यक्ति हैं । वे किसी पक्ष के नहीं हैं। जहाँ तक हमारी रिपोर्टों का संबंध है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कोई भारतीय हमारी ओर से सीमा पर पार करके गया हो या हमारी ओर लौट आये हों।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की अब तक कुल कितनी घटनायें हुई हैं जिन की वजह से यह कमिशन नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ी और कहाँ कहाँ वे घटनायें हुई हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो मैं जानता नहीं क्योंकि यह सब घटनायें नेपाल में हुई हैं, वे इन का ब्यौरा रखते होंगे। हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं। कुछ हम सुनते हैं, कुछ अखबारों में छपा है, कभी कोई कुछ लिख देता है । फेहरिस्त तो उनके पास होगी।

भारत स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां

+

†*३. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री प्र० के० देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री अ० व० राघवन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री उमा नाथ :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हेम बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की नेशनल असेम्बली ने पाँडिचेरी तथा भारत स्थित अन्य फ्रांसीसी बस्तियों के विधिसम्मत हस्तान्तरण का अनुसमर्थन कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों को भारत में विलीन करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हाँ, नेशनल असेम्बली और सीनेट, दोनों ने ही।

(ख) दोनों सरकारों द्वारा अनुसमर्थन आलेखों के परस्पर आदान-प्रदान के तुरन्त बाद भुतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों को भारत में मिलाने के लिए आवश्यक विधान प्रस्तुत किया जायगा । अनुमान है कि कुछ हफ्तों में यह हो जायगा।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या पांडिचेरी की भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्ती में विद्यमान न्याय पद्धति को हमारी न्याय पद्धति के साथ मिला देने के प्रश्न पर और उच्चतम न्यायालय में अपीलें दायर करने के प्रश्न पर तुरन्त विचार किया जायगा और उसे लागू किया जायगा ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पहले इस विषय पर विचार किया गया था और कुछ कार्यवाही की गयी है। जो भी हो, जब पूरा पूरा विलय होगा तब उसे लागू किया जायगा लेकिन हमें यह अवश्य याद रखना चाहिये कि फ्रांस के साथ हामारे समझौते के अनुसार कुछ पुराने विशेषाधिकार, अपील के नहीं, वह तो निश्चय ही भारत के होंगे, बल्कि इसके कि वे किस विधि के अधीन प्रशासित किये जायँ, उन्हें दिये गये हैं। मैं निश्चित रूप से ठीक ठीक नहीं बता सकता कि वे कौन से अधिकार हैं।

†श्री प्र० के० देव : इस बात को देखते हुए कि चन्द्रनगर को पश्चिम बंगाल के साथ मिलाया जा चुका है, क्या पाँडिचेरी को मद्रास के साथ, माहे को केरल में और अन्य फ्रांसीसी बस्तियों को निकटवर्ती राज्यों में मिलाया जा रहा है या सरकार की यह इच्छा है कि उन्हें अलग इकाइयों के रूप में रखा जाये ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह कई बार स्पष्ट बताया गया है कि पांडिचेरी एक अलग इकाई रहेगा। हमारी यही इच्छा है और यही आश्वासन उन लोगों को दिया गया है, जब तक कि वे खुद ही उसके विपरीत निश्चय न करें।

†श्री नाथ पाई : क्या वह संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र होगा या जसा कि प्रतिनिधियों की माँग है, उसे एक अलग राज्य का स्थान दिया जायगा ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : वह किसी भी तरह से संघ राज्य क्षेत्र होगा, आन्तरिक व्यवस्था चाहे जो भी मंजूर की जाये । वहाँ पूर्ण आन्तरिक स्वायत्तशासिता हो सकती है लेकिन वह संघ राज्य क्षेत्र होगा। उसे जो स्वायत्तशासिता दी जायगी उसके लिए कोई परिसीमन नहीं होगा।

†श्री नाथ पाई : अभी हाल में एक शिष्टमंडल प्रधान मंत्री से मिल रहा है जिसकी माँग यह है कि वह संघ राज्यक्षेत्र न हो बल्कि एक राज्य हो।

† अध्यक्ष महोदय : उसे आने दीजिये।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न यह है कि वहाँ विधान मंडल होगा या नहीं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हम उस पर विचार कर रहे हैं। हमने किसी प्रकार उसकी संभावना समाप्त नहीं कर दी है ?

---

†भूल अंग्रे

†श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या मैं यह समझूं कि सरकार पाँडिचेरी की जनता को निश्चित रूप से यह नहीं बतायेगी कि भारत के साथ विलय का मूल्य यह होगा कि उन्हें वयस्क मताधिकार के आधार पर विधान मंडल और संसद् के लिए चुनाव द्वारा कुछ लोकतंत्रात्मक अधिकारों से वंचित रहना होगा ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारे द्वारा मूल्य लगाने का कोई प्रश्न नहीं है और हम निश्चय ही उन्हें किसी अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहते, लेकिन उसे हमें अपनी पद्धति के साथ मिलाना है। हम उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक स्वायत्तशासिता देना चाहते हैं।

श्री यशपाल सिंह : इसी हाल के हुए इलेक्शन में पाँडिचेरी के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ बैठने में क्या दिक्कत थी, क्या सरकार बतला सकेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरी बात है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्योंकि अभी तक कानूनी तरीके से वह भारत के भाग नहीं हुए हैं। जब हो जाएंगे, दो तीन हफ्ते में, उसके बाद आ सकते हैं।

†श्री उमानाथ : लगभग १,५०० भूतपूर्व सैनिकों को फ्रांसीसी सरकार से पेंशन मिल रही है। विधिवत् हस्तान्तरण हो जाने के बाद जब अंतिम व्यवस्था के बारे में बातचीत की जायगी तब क्या सरकार उस पेन्शन को जारी रखने का सवाल उठायेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या किया गया है इस बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि यह किसी हद तक उठाया गया है और बाद में निश्चय ही अधिक विस्तार से उस पर चर्चा की जायगी।

वियना में भारतीय राजनयाधिकारी की मृत्यु

+

†*४. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६१ में वियना (आस्ट्रिया) स्थित भारतीय दूतावास के तत्कालीन प्रथम सचिव श्री ए० के० मिश्रा की मृत्यू के सम्बन्ध में की जा रही जाँच पूरी हो चूकी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी उपपत्तियाँ और निष्कर्ष क्या हैं ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पुलिस की जाँच पड़ताल अभी जारी है।

(ख) अभी अंतिम परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है।

†श्री हरि विष्णु कामत : जांच कौन कर रहा है और वहाँ कहाँ तक पहुंची है ? क्या जाँच करने वाले अधिकारियों ने आस्ट्रिया के गूप्तचर विभाग का तथा आस्ट्रिया के

†मूल अंग्रेजी में

चिकित्सा विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया है जिन्होंने १२ मई, १९६२ की ब्रिटिश साप्ताहिक पत्रिका "टॉपिक" में "इंडिया दी ग्रेट गोल्ड मर्डर मिस्ट्री" शीर्षक वाले लेख में यह सिद्ध किया है कि वह उहत्या नहीं आत्महत्या का मामला था।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आस्ट्रिया की पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है और यदि आवश्यकता होगी तो वे अवश्य ही किन्हीं विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या अखबारों की इन खबरों में सचाई है कि श्री ए० के० मित्र ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले सरकार को एक मिसल पेश की थी जिसमें भारत के कई बड़े बड़े आदमियों को चोरी छिप सोना लाने वाले गिरोह से संबंधित बताया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मूझे उस बारे में मालुम नहीं है। मैं निश्चित रूप से नहीं कहता, लेकिन अनूमान यह है कि वह आत्महत्या का मामला था। वह पूरी पूरी तौर से सिद्ध तो नहीं किया जा सकता लेकिन अनुमान यही है कि वह आत्महत्या थी।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या श्री मित्र के आश्रितों को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता । सामान्यतया, सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों को, मृत्यु की दशा में, कुछ दिया जाता है वह निश्चय ही दिया गया होगा । कुछ दिया गया है या नहीं, यह निश्चित रूप से मूझे मालूम नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : चोरी से सोना लाने ले जाने के इस प्रश्न और रिपोर्ट का काफी प्रचार किया गया है। क्या जाँच का काम आस्ट्रिया पर ही छोड़ देने का सरकार का विचार है या भारत की ओर से यथासंभव कोई जाँच की जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि उस संबंध में भारत में कोई जांच पड़ताल करनी हो तो वह अवश्य की जानी चाहिये। वह की जा रही है।

†**श्री हेम बरूआ** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि माननीय वित्त मंत्री ने पहले एक अवसर पर यह कहा था कि श्री ए० के० मित्र सोने की चोरी को पकड़ने में लगे हुये थे, क्या यह खबर यहां के कुछ सर्वोच्च व्यक्तियों ने कुछ ऐसे लोगों को जिनका उसमें हित था, बता दी थी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं सकता।

†**श्री हेम बरूआ** : स्पष्टीकरण के हेतु, श्रीमन्.....

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सुन लिया गया है। माननीय प्रधान मंत्री कहते हैं कि वह प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : यह खुला आरोप लगाया गया है लेकिन.....

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अपने प्रश्न की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : स्पष्टीकरण के लिये मैं यह पूछूंगा कि....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री कहते हैं कि वह उसका उत्तर नहीं दे सकते ।

†**श्री हेम बरूआ** : 'टापिक' नामक इस लन्दन पत्रिका ने लिखा है कि भारत के कुछ बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों ने.....

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य को वह जानकारी मालूम है तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है । यदि वह प्रधान मंत्री से उत्तर चाहते हैं तो प्रधान मंत्री का कहना है कि वह उत्तर नहीं दे सकते ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या भारत का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी जैसे गुप्तचर पदाधिकारी, इस जांच से संबंधित होगा और क्या उसे यह जांच करने का अधिकार होगा कि.....

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर दिया जा चुका है, वह आस्ट्रिया में हो रहा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वह भारतीय था, वह आस्ट्रिया का नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका उत्तर भी दिया जा चुका है । यदि कोई जांच यहां की जाती हो तो वह अलग से की जायगी ।

†**श्री प्रभात कार** : पहले एक दिन माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि वह आत्महत्या का मामला था और जांच पूरी हो गयी है । अब हमें यह बताया गया है कि वह अभी जारी है और वह सोने की चोरी छिपे व्यापार से संबद्ध हो सकती है । हम जानना चाहते हैं कि ठीक ठीक स्थिति क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें यह सूचना दी गयी थी कि वह आत्महत्या का मामला था लेकिन हम आस्ट्रिया के अधिकारियों से प्रार्थना करते है कि वे इसकी और जांच करें । इसलिये वित्त मंत्री ने उस समय जो कुछ कहा था वह उस समय की हमारी जानकारी के अनुसार ठीक था । फिर भी हमने आस्ट्रिया के अधिकारियों से कहा है कि यदि किसी पहलु के बारे में सन्देह हो तो वे जांच जारी रखें ।

ल्हासा और नथु ला के बीच हरकारा सेवा

†*५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार राजनयिक संचार बनाये रखने के लिये ल्हासा, तिब्बत और सिक्किम में नथू ला के बीच एक हरकारा सेवा के संचालन के लिये चीन सरकार के साथ एक नया करार करने हेतु बातचीत कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** :

(क) जी हां ।

(ख) यह बातचीत खत्म हो चुकी है और एक ठेके पर जिसमें हरकारा सेवा की शर्तों का उल्लेख किया गया है, १७ जुलाई, १९६२ को ल्हासा में हस्ताक्षर किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : इस करार की शर्तें क्या हैं और उनसे दोनों देशों को क्या लाभ होगा ?

†श्री दिनेश सिंह : हमारे करार के अनुसार, चीन सरकार हमारी सीमा के किसी भाग से ल्हासा तक परिवहन की व्यवस्था करेगी जिसके लिये हम उन्हें भुगतान करेंगे।

†श्री दी० च० शर्मा : क्या इसका यह मतलब है कि यह हरकारा सेवा स्थापित करने से पहले ल्हासा और हमारे देश के बीच राजनयिक संचार का कोई मार्ग नहीं था और यदि हां तो उस समय क्या होता था ?

†अध्यक्ष महोदय : इसके लिये पहले क्या व्यवस्था थी ?

†श्री दिनेश सिंह : वही व्यवस्था थी।

†श्री भक्त दर्शन : : यह जो नया करार किया गया है इस पर कब से अमल किया जायगा ?

†श्री दिनेश सिंह : इस पर इस वक्त अमल हो रहा है।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या यह हरकारा सेवा केवल राजनयिक सेवाओं के लिये ही है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां। सामान्यतया हरकारा सेवा केवल राजनयिक थैलों और चीजों के लिये ही होती है।

†श्री काशीराम गुप्त : क्या पहले एग्रीमेंट और इस एग्रीमेंट में कोई विशेष फर्क है ?

†श्री दिनेश सिंह : जी हां पहले जो हमारी कोरियर सर्विस थी वह हर हफ्ते जाया करती थी अब यह हर पन्द्रहवें दिन जाया करेगी। पहले यहां से कुछ दूर तक हमारे म्यूल्स वगैरह जाते थे अब बौर्डर से उनके म्यूल्स जायेंगे।

हिन्दुस्तान एंटी-बायोटिक्स, पिम्परी

†*६. श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबाघ हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एंटी-बायोटिक्स के पिम्परी स्थित स्ट्रेप्टोमाईसीन संयंत्र से संबंधित अनुसंधान प्रयोगशाला ने एक नयी किस्म का पदार्थ खोज निकाला है जिससे बढ़िया किस्म की पेनिसिलीन बनाई जा सकती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इस खोज का उक्त संयंत्र में बनने वाले पेनिसिलीन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) फैक्टरी ने हाल में कौन से नये एंटी-बायोटिक्स बनाया हैं ;

(घ) पिम्परी फैक्टरी द्वारा हाल में बनाये गये इन एंटी बायोटिक्स के बारे में देश और विदेश के डाक्टरों की क्या राय है ;

(ङ) क्या सरकार इस नये एंटी बायोटिक्स का उचित मात्रा में उत्पादन करने का विचार कर रही है ; और

(क) यदि हां, तो कब ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). जी हां। वर्तमान संकेतों के अनुसार नेनिसिलीन श्रिसोजेनस की नयी किस्म से, पहली किस्म के मुकाबले में, अधिक मात्रा में पेनिसिलीन प्राप्त होती है । इस नयी किस्म से कार्य संचालन व्यय और कच्चे माल की लागत भी कम हो जायगी ।

(ग) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, की अनुसन्धान प्रयोगशाला ने "हेमाइसिन" नामक एक नया एन्टीबायोटिक निकाला है । इ सके अलावा और नये एन्टीबायोटिक्स ढूंढ निकालने के लिए अनुसन्धान कार्य जारी है ।

(घ) सरकारी और अर्ध सरकारी अस्पतालों में हेमाइसिन की परीक्षा की गयी है और उसके कारगर होने के बारे में उत्साहजनक रिपोर्टें मिली हैं ।

(ङ) और (च). पिम्परी में वाणिज्यिक स्तर पर हेमाइसिन तैयार करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

†श्री **बसुमातारी** : यह नया एन्टीबायोटिक कारखाना स्थापित करने से सम्बन्धित वित्तीय पहलू क्या हैं ?

†श्री **कानूनगो** : यह अभी विकास की दशा मे है । वित्तीय खर्च आदि का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है ।

†श्री **स० चं० सामन्त** : प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने बताया कि हमारे देश में उसकी सफलता के बारे में उत्साहजनक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । लकिन हम जानना चाहते हैं कि दूसरे देशों में इसको क्या प्रतिक्रिया है । वह नहीं बताया गया है ।

†श्री **कानूनगो** : दूसरे देशों मे इसका प्रयोग नहीं किया गया है । मैं उसके अन्तर को स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा । यह कोई नया एन्टीबायोटिक नहीं है । यह एक नया एन्टीफन्गल एन्टीबायोटिक है जिसक. हमारे अस्पतालों में और हमारे देश मे प्रयोग किया गया है । हम दूसरे देशों में उसका प्रयोग करन का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस नयी किस्म से निकाले गये पेनिसिलीन का अस्पतालों मे परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ? क्या अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री कानूनगो** : अग्रिम परियोजना में हम ने यह देखा है कि नयी प्रक्रिया से पेनिसिलीन का अधिक उत्पादन सम्भव है ।

†**श्री ब० कु० दास** : जो एन्टीफन्गल एन्टीबायोटिक्स अभी खोजे गये हैं उन्हें तैयार करने के लिए क्या कोई नया कारखाना स्थापित करने का कोई विचार है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं, वह पिम्परी कारखाने में ही तैयार किया जायगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या वर्तमान कारखाने को नया रूप देना सम्भव है ताकि बिना किसी बहुत बड़े निदेश के इस नयी किस्म में अधिक मात्रा मे पेनिसिलीन तैयार की जा सके ?

†**श्री कानूनगो** : उस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मंत्री महोदय ने जो बयान सदन् के पटल पर रखा है उस के "सी" हिस्से में यह लिखा है :—

"और नये एन्टीबायोटिक्स ढूंढ निकालने के लिए अनुसन्धान कार्य जारी है"

मैं जानना चाहता हूं कि एन्टीबायोटिक्स की वह कौन कौन सी नई औषधियां हैं जिन का कि डेवलपमेंट किया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : पार्ट सी में दिया हुआ है कि 'हेमाइसिन' नामक एक नया एन्टीफन्गल एन्टीबायोटिक निकाला गया है . . . . . .

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : यहां यह कहा गया है कि और नये एन्टीबायोटिक्स के लिए अनुसन्धान जारी है . . . . .

†**श्री कानूनगो** : अभी तक कोई परिणाम नहीं हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या इस महत्वपूर्ण औषधि की नकल रोकने की दृष्टि से, जैसा कि कई महत्वपूर्ण औषधियों के मामले में मालूम हुआ है, कोई प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : जहां तक हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स कारखाने की बात है, प्रत्येक दौर पर बहुत पक्का नियंत्रण है और परीक्षण के सम्बन्ध में जहां तक जितना सम्भव है, किया गया है । बाजार मे नकली दवाओं के लिए कड़ा कानून है और उसे लागू करने के लिए विभाग भी है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उसे और अधिक कड़ा बनाइये ।

†**श्री कानूनगो** : वह काफी कड़ा है और अधिकांश राज्यों में यह ठीक तौर से लागू किया जा रहा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में यह बताया गया है कि 'अभी हाल में निकाली गयी किस्म से कार्य संचालन व्यय और कच्चे माल की लागत कम हो जायगी ।' मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुमान क्या है और उससे लागत कितनी कम होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : उस प्रक्रिया का आय व्यय यह है कि एक निर्धारित मात्रा से ५०,००० यूनिट के उत्पादन के मुकाबले में, वह ७५,००० होगा।

†**श्री प्र० के० देव** : कुछ समय पहले अखबारों से हमें यह मालूम हुआ था कि कई एन्टी-बायोटिक्स के पेटेन्ट अधिकारों के बारे में पिम्परी स्थित हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स और किसी अमरीकी फर्म के साथ झगड़ा चल रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि वह किस तरह का झगड़ा है और उस बारे में हमारी क्या स्थिति है ?

†**श्री कानूनगो** : हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक कारखाने पेटेन्ट दर्ज किया है और एक अमरीकी कम्पनी ने उस पर आपत्ति की है। पेटेन्टस महानिदेशक उस पर विचार कर रहा है।

तीसरी योजना में सहायता का ढांचा

*७. **डा० रानेन सेन :**
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री ० प्रवं ० बरूआ :
श्री यलमन्दा रेड्डी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता का ढांचा अब तक बनाया नहीं गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम स्वरूप तीसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाओं की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : : (क) नहीं। केन्द्रीय सहायता के ढांचे अक्तूबर १९६१ मे भेजे गये थे। तब से जो कुछ छोटे परिर्तन किये गये हैं वे भी बता दिये गये हैं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

†**डा० रानेन सेन** : क्या कलकत्ता के समीप वांडेल में बनाये जाने वाले प्रस्तावित थर्मल संयंत्र मे, संयंत्र के निर्माण के लिए उचित आवंटन न होने के कारण विलम्ब किया जा रहा है ?

श्री नन्दा : जी नहीं। इन दो वर्षों में ऐसे किसी कारण से कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस सहायता के ढांचे को धीरे धीरे बदलने का कोई इरादा है ताकि संयुक्त योजना में केन्द्र का अंश काफी कम किया जा सके ?

श्री नन्दा : वास्तव में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता की मात्रा का निश्चय प्रारम्भ में ही किया गया था और प्रति वर्ष यह वार्षिक योजनाओं के द्वारा वितरित किया जा रहा है। इसलिये सहायता का ढांचा राज्यों द्वारा अपनी पूरी सहायता प्राप्त करने के मार्ग मे बाधक नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या यह सही है कि बिजली के सम्बन्ध में उपयुक्त सहायता न मिलने के कारण, पश्चिम बंगाल में बिजली संभरण में भारी कमी हुई है ?

†**श्री नन्दा** : मैंने अभी स्पष्टीकरण किया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ऐसे मामलों मे जहां अचानक आवश्यकता होती है, और बिजली की कुछ कठिनाई होती है, क्या केन्द्रीय सहायता में केन्द्रीय योजना के द्वारा राज्य में ऐसी आकस्मिकताओं के लिए व्यवस्था होती है ?

†**श्री नन्दा** : राज्य में समचे वर्ष के लिए व्यवस्था होती है और यह अपने साधनों के तथा दी गई सहायता के आधार पर चलती है। मैं अवश्य इस बात से सहमत हूं कि जब कुछ बड़ी कठिनाई होती है और अधिक सहायता की आवश्यकता होती है, उसका शीघ्र प्रबन्ध किया जाता है और किया जाना चाहिए।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्या सरकार ने राज्यों में उन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में कमी का कोई अनुमान लगाया है और यदि हां तो साधारणतया यह कैसा है ?

†**श्री नन्दा** : यदि इसका सम्बन्ध परिव्यय से है, तो अवश्य ही वर्ष के अन्त में, हमें प्रत्येक राज्य के लिए विविध मदों के अधीन लक्ष्य पूर्ति सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त होते हैं। जहां तक उत्पादन आदि के लक्ष्यों का सम्बन्ध है, सूचना प्राप्त हो जाती है और देश की राष्ट्रीय आय में जोड़ दी जाती है।

†**डा० क० ला० राव** : क्या योजना आयोग ने राज्यों को सहायता की शर्तें भेजी हैं, जिनकी प्रतिज्ञा राज्य की योजना सीमाओं के बाहर छोटी सिंचाई और भूमि परिरक्षण आदि के सम्बन्ध में की गई है ?

†**श्री नन्दा** : सहायता के इन ढांचों में बहुत भारी कमी की गई है और वे विवरण मे दिये गये हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं ब्योरा दे दूंगा।

ल्हासा में भारतीय महा-वाणिज्य दूत

+

†*८. { **श्री हेम बरुआ** :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री नाथ पाई :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ल्हासा में चीन के अधिकारियों ने ल्हासा स्थित भारतीय महा-वाणिज्य दूत को उपलब्ध बेतार संचार की सुविधा जारी रखने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने १९३६ से चल कर काम कर रहे इस सम्पर्क को बन्द कर देने के उनके मनमाने निर्णय के विरुद्ध चीनी सरकार से विरोध किया है तथापि चीनी सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया । ल्हासा के साथ हमारा सम्बन्ध अब साधारणतय व्यवस्था के द्वारा है ।

†श्री हेम बरुआ : ल्हासा में हमारे महा वाणिज्य दूत के सम्बन्ध में पीकिंग द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई का दृष्टि से क्या सरकार इस देश में चीनी ट्रांसमिशन पर प्रतिबन्ध लगा कर उन के विरुद्ध तत्समानी कार्रवाई करने का विचार करती है ।

†श्री दिनेश सिंह : पारस्परिक कार्रवाई का कोई सवाल नहीं है क्योंकि चीनियों के ट्रांसमीटर भारत में नहीं है ।

†श्री हरि विष्णु कामत : मा० उपमंत्री थोड़ा ऊंचा बोलें ।

†प्रधानमंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): चीनी यहां से बेतार के द्वारा ट्रांसमिट नहीं करते ।

†श्री दिनेश सिंह : उन के कोई बेतार ट्रांसमीटर यहां नहीं है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सही है कि चीनियों ने इस ट्रांसमिशन को अवैध कहा है और यदि हां तो क्या सरकार ने इस के कारण जानने का यत्न किया है कि इस अवैध क्यों कहा गया ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : अवैधता या वैधता का कोई प्रश्न नहीं है । इन मामलों को संबद्ध सरकार की अनुमति के साथ किया जाता है । यदि चीनी सरकार इस से सहमत नहीं होती तो यह उल्लंघन होता है । यदि हम सहमत नहीं होते, तो वहां से बेतार ट्रांसमिशन नहीं कर सकते ।

†श्री नाथ पाई : क्या यह सही है कि ये ट्रांसमिशन सुविधायें चीन के साथ किये गये पहले करार का अंग थीं और आज उस की इनकारी से उन करार का उल्लंघन होता है और दूसरे, चीन सरकार ने इस सुविधाओं की इनकारी के लिये यह कारण दिया है कि भारतीय महावाणिज्य दूत द्वारा इन सुविधाओं का जासूसी के लिये दुरुपयोग किया जाता है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे पास चीनी सरकार का उत्तर तथा इस विषय से सम्बन्धी पत्रव्यवहार नहीं है । संभवत: कुछ श्वेत पत्रों से मैं मा० सदस्य के समक्ष रख रहा हूं, वे स्वयं इस का कारण निकाल सकते हैं । किन्तु स्पष्टत: वे यह अनुभव करते थे कि इन बेतार सुविधाओं का उपयोग उन के लिये लाभदायक नहीं था और वे इनको समाप्त करना चाहते थे ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : ल्हासा में ये विशेष सुविधायें हैं । जब हम ने वहां पर अपने राज्य क्षेत्रातीत अधिकार छोड़े, हमने किस आश्वासन पर उन को छोड़ा ? उस समय क्या बात तै हुई थी और क्या अब उस का पालन किया जा रहा है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे ठीक से वे शब्द याद नहीं है । जहां तक मैं जानता हूं, इस के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ था, किन्तु मुझे पक्का निश्चय नहीं है । बात कुछ भी हो, चीन के

---

†अंग्रेजी में ।

साथ इन मामलों सम्बन्धी सन्धियां भंग हो गई है और उन के साथ हमारे अधिकांश समझौते समाप्त हो गये हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस समय ल्हासा के साथ हमारा सम्बन्ध किस प्रकार रखा जाता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : साधारण तार द्वारा या हरकारे के द्वारा ।

†**श्री हेम बरुआ** : चीनियों ने ल्हासा स्थित हमारे महा वाणिज्य दूत द्वारा ट्रांसमिशन को अवैध घोषित किया है । क्या उन्हों ने यह अवैधता संधि भंग होने के पश्चात् या पहले मालूम हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्हों ने यह बाद में किया है किन्तु जैसा मैं ने कहा, वैधता या अवैधता का सवाल नहीं है । यदि चीनी सरकार कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिये, यह अवैध हो जाता है ।

भारत–चीन सीमा विवाद

+

†*९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने भारत-चीन सीमा विवाद पर आगे बातचीत के बारे में भारत सरकार द्वारा सुझाये गये आधार को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत संभवतः कब शुरू होगी ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी नहीं । चीनी सरकार ने १४ मई १९६२ के हमारे टिप्पण में किये गये इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है जिसमें चीन के प्रधान मंत्री चाऊ एन लाइ को १६ नवम्बर १९५९ के अपने पत्र में प्रधान मंत्री ने जो पेशकश की थी उसको दुहराया गया था कि अन्तरिम उपाय के तौर पर, लद्दाख प्रदेश में सब सैनिकों को परस्पर हटा लिया जाय ताकि सीमा पर तनाव कम किया जा सके और बातचीत के द्वारा भारत-चीन सीमा विवाद के निपटारे के लिये अपेक्षित लाभदायक वातावरण पैदा किया जा सके । २ जून १९६२ के चीनी सरकार के टिप्पण तथा ६ जुलाई १९६२ के हमारे उत्तर की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखदी गई देखिये संख्या एल० टी० २६१।६२**]

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या हमें ६ जुलाई १९६२ के हमारे टिप्पण का चीनी सरकार का उत्तर प्राप्त हो चुका है जिस में हम ने कहा है :

> "निश्चय ही चीनी प्राधिकारियों को यह तथ्यगत स्थिति तथा शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा समझौते के लिये उचित वातावरण बढ़ाने के लिये यथास्थिति कायम रखने की आवश्यकता मालूम है ।"? क्या इस टिप्पण का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं अभी एक वक्तव्य देने वाला हूं और अब तक प्राप्त सभी उत्तरों को सभापटल पर रखूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न सरल था । मैं जानना चाहता था कि क्या हमें उत्तर प्राप्त हो चुका हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर यह था कि विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा हैं और उस में सब सूचना दी गई है जो मा० सदस्य चाहते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं इस विषय पर आपका विनिर्णय चाहता हूं । मैंने यह प्रश्न पूछा हैं विवरण बारह बजे के पश्चात् सभा पटल पर रखा जा सकता है । तब मुझे कोई प्रश्न पूछने नहीं दिया जायगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे पता नहीं था कि विवरण सभा पटल पर रखा जाने वाला था, अन्यथा मैंने इस प्रश्न की अनुमति न दी होती । किन्तु वह सूचना मुझे बाद में मिली । अब जबकि यह बताया गया हैं कि सूचना दी जा रही हैं, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : बाद के प्रश्न भी है ।

†**श्री नम्बियार** : इस प्रश्न तथा अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में जो विवरण रखे जाने की संभावना हैं, क्या उन में चीन के विदेश कार्य मंत्री चेन यी द्वारा व्यक्त भावनाओं का भी उल्लेख किया गया हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये कि इसमें क्या दिया गया हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : समुची बातचीत में यह बात स्पष्ट होती है कि भारत और चीन के बीच बातचीत के लिये मिलने का कोई आधार नहीं है । ऐसी परिस्थिति में, क्या चीन के लिये स्थिति को संभाले रखना और जो वह हड़प कर चुका है उसे पचाना लाभदायक नहीं है हम इस के बार में क्या कर रहे है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता । कई बार ऐस प्रयत्न अत्यधिक अपमान के कारण हुआ करते हैं ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत और चीन के सीमा-विवादों को सुलझाने के लिये अभी पीछे भारत के प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री की रूस और चीन के जिम्मेदार अधिकारियों स बातचीत हुई थी और हम ने अपना पक्ष उन के सामने रखा था ? यदि हां, तो इस पर उन की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : रूस से तो कोई खास बातचीत नहीं हुई । रूस के एक बड़े नेता यहां आये थे । उन से मेरी बातचीत हुई थी । मैंने उन को बता दिया था कि आज-कल हालत नाजुक हैं । उन्होंने सुन लिया था । उसमें कुछ ज्यादा बहस नहीं हुई थी । जेनेवा में हमारे रक्षा मंत्री जी की चीन के विदेश मंत्री स बातचीत हुई थी और उन दोनों ने अपनी अपनी राय दी थी । उस का कुछ और खास नतीजा नहीं हुआ ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या राजधानी में चलित समाचारों और बहुत फैली हुई अफवाहों का कोई आधार हैं कि प्रतिरक्षा मंत्री ने हाल ही में जेनेवा में चीन के विदेश मंत्री के साथ नाश्ते

†मूल अंग्रेजी में

भोजन और कौकटेल पार्टी की प्रसन्नता में आ करने केवल उसे प्रधान मंत्री का संदेश ही बताया कि चीन भारत के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और सीमा पर तनाव बढ़ रहा है किन्तु उसे लद्दाख की वर्तमान स्थिति के आधार पर युद्ध विराम समझौता कराने की उस की समकक्षता बतलाई ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह पेचीदा प्रश्न है। मैं बातचीत के समय मौजूद नहीं था। किन्तु प्रतिरक्षा मंत्री ने जो बातचीत की हैं अधिकतर मेरे सुझाव पर वह यह बताने के लिये थी कि लद्दाख में स्थिति खराब है और इस से बड़े पैमाने पर झगड़ा बढ़ सकता है और इसे रोकना चाहिये। जहां तक इस मामले का संबंध है चीनी मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सब कुछ करना चाहिये किन्तु उसने बड़ी शक्ति के साथ जोर दिया है कि झगड़े का कारण यह था कि जो कुछ हम कर रहे है और न कि वह जो कुछ कर रहे हैं और यह उन का राज्य क्षेत्र है और हम इसका अतिक्रमण कर रहे है। अतः दोनों ओर से अपने अपने पक्ष की बातें कही गईं और बात समाप्त हुई।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कभी कभी क्रोध दिलाने और सीमा पर घटनाओं को तेज करने के बावजूद दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने बहुत उच्च स्तर पर समझौते के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की और इस सीमा स्थिति को किसी भयानक चीज में के बढ़ने देने के लिये अपनी अनिच्छा व्यक्त की क्या सरकार की पूर्व समझौते और बातचीत की घोषित नीति देश के सामने पुष्ट की जायगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें उस प्रत्येक मामले को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिये जो सुलझाया जा सकता है, और प्रत्येक प्रयत्न करना चाहिये। हमें ये प्रयत्न जारी रखेंगे।

†**श्री प्र० के० देव** : पटल पर रखे गये पत्रों से पता चलता है कि चीनी बहुत बुरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : चूंकि माननीय मत्री ने इसे रखा है वह इसे जानते हैं। सीधा प्रश्न पूछा जाए।

†**श्री प्र० के० देव** : "झूठ सर्वथा झूठ होता है" और भारतीय सरकार का प्रति आरोप हास्यस्पद है यदि बातें अत्यन्त आपत्तिजनक हैं और इनमें सामान्य शिष्टता नहीं है। इस पत्र को दृष्टिगत रखते हुए, और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि हमारे भारतीय सैनिकों को भारतीय भूमि पर मार गिराया गया है, क्या किसी शान्तिपूर्ण समझौते की कोई गुंजाइश है ? किंतु प्रधान मंत्री फिर भी बातचीत जारी रखना चाहते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस बात से सहमत हूं कि चीनी लोग बड़ी अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किंतु वह हमारे द्वारा उठाये जाने वाले किसी सही कदम के मार्ग में बाधक नहीं होना चाहिये।

थुम्बू (भूटान) में राजनीतिक कार्यालय

†***१०. श्री नाथ पाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि थुम्बू भूटान की नई राजधानी बनने वाली है क्या सरकार वहां एक स्वतंत्र राजनीतिक कार्यालय स्थापित करने का इरादा रखती है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई**: क्या यह सही है कि भारत और भूटान के बीच के वर्तमान संबंध को विशेषकर चीन के द्वारा, खराब करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमें पता नहीं ।

†**श्री नाथ पाई** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान करार के अधीन चीन और भूटान के बीच विदेश कार्य इस देश द्वारा किये जाने चाहियें क्या प्रधान मंत्री का ध्यान केवल कुछ दिन पहले श्री जिगमी दोरजी के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा था चीन का भूटान के किसी भाग पर अब कोई दावा नहीं है । क्या ऐसी बातें भारत सरकार के माध्यम से की जाती हैं या श्री जिगमी दोरजी और चीन सरकार के बीच सीधा सचार स्थापित हो गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक हमें पता है, चीन और भूटान सरकार के मध्य कोई सीधा पत्र व्यवहार नहीं है । श्री जिगमी दोरजी ने स्थिति के संबंध में अपनी जानकारी दी है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सही नहीं कि सिक्किम और भूटान के लिये एक राजनीतिक अफसर है ? अत: क्या सरकार का ध्यान हाल ही में महाराजकुमार सिक्किम के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि अवांछित भारतीय सिक्किम में प्रवेश कर रहे हैं? यदि हां तो क्या उन्होंने सिक्किम स्थित भारतीय राजनीतिक अफसर से बातचीत की थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां हम किसी विशिष्ट अफसर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे ।

†**श्री नाथ पाई** : मैं वह दावा जानना चाहता हूं जो चीनजो ने बड़ी उदारता एवं दयालुता के साथ अब छोड़ दिया है ? क्या यह चीन का यह विचार पैदा करने का प्रयत्न नहीं है कि बुरे भारत को छोड़ कर किसी भी देश के साथ राज्य क्षेत्र संबंधी दावे के बारे में समझौता होना संभव है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इसका ज्ञान नहीं किंतु पुराने चीनी मानचित्रों में भूटान का एक किनारा शामिल है, जिस प्रकार नीफा शामिल है उसके राज्य क्षेत्र में । संभव है कि श्री जिगमी दोरजी का यही आशय रहा हो । यह उनको प्राप्त किसी सूचना की बजाए इच्छा की अभिव्यक्ति होगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : पिछले अवसर पर यदि मैं पुन: पुन: कही गई बात कहूं, चीन इन पहाड़ी राज्य क्षेत्रों के साथ समुचित भारतीय संबंध को स्वीकार करने के लिये तैयार था । यदि हां तो क्या चीन ने अब इस में परिवर्तन कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इसका पता नहीं है ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : भूटान के साथ हमारे विशेष संबंध को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस बात के लिये कि भूटानी क्षेत्र में प्रजातंत्रात्मक जीवन प्रणाली स्थापित हो जाए, अपनी सद्भावनाओं का प्रयोग करने का प्रयत्न कर रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह सर्वथा भिन्न मामला है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था

+

†*११. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सरजू पांडेय : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संस्था के कब तक स्थापित होने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने सहायता के तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अपने वशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करने का आश्वासन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो इन देशों ने किस प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया है ; और

(ङ) इस संस्था के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) व्यापार मंडल ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है और राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के यहां निदेशक से प्रार्थना की है कि वह शीघ्र पूर्ण योजना बनाए । संस्था निर्यात व्यापार की ब्रिटिश संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का इटली की संस्था एवं जापानी निर्यात व्यापार अनुसंधान संगठन के नमूने की होगी ।

(ग) और (घ). कुछ विदेशी देशों ने इस परियोजन में भारत की सहायता करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, किन्तु इतनी जल्दी यह नहीं कहा जा सकता कि किसी रूप से सहायता की पेशकश आएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) संस्था में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के संबंध में व्यापक अध्ययन प्रशिक्षण अनुसंधान तथा सूचना की सुविधाओं की व्यवथा होगी ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : यह संस्था कहां स्थापित की जाने की संभावना है और कितने धन की आवश्यकता होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम इसे आगामी वर्ष के प्रारंभ में अर्थात् जून १९६३ तक आरंभ करने का इरादा करते हैं । स्थान का भी अभी निर्णय नहीं किया गया । योजना की पूर्णता के साथ स्थान का फैसला भी किया जाएगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस संस्था में प्रवेश की कसौटी क्या होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें पाठ्य-क्रम की प्रतीक्षा करनी चाहिये, किंतु यह कोई योग्य व्यक्ति होगा, जिसकी उच्च शैक्षिक योग्यता तथा विदेश व्यापार का कुछ व्यवहारिक अनुभव होगा ?

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : इस इंस्टीट्यूट के सम्बन्ध में जो योजना बनाई जा रही है वह कौन बना रहा है, कब तक बन कर तैयार हो जाएगी और साइट के बारे में क्या कोई निर्णय हो गया है?

†**श्री मनुभाई शाह** : यही चीज अंग्रेजी में बताई जा चुकी है । योजना बनाने के लिए डा० लोकनाथन् को जो डायरेक्टर जनरल, इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड इकोनोमिक्स हैं, कहा गया है । इसका खाका भी तैयार हो गया है । बोर्ड आफ ट्रेड ने उसको एप्रूव किया है । अब उसकी डिटेल्ज एक कमेटी बना रही है । विदेशों ने भी उनकी मदद करने का वायदा किया है । जल्दी ही इसकी तफ्सील तैयार हो जायगी और आने वाले जून १९६३ तक यह शुरू हो जाएगी, ऐसी हमारी आशा है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या यह किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के तत्वाधान में स्थापित की जाएगी, यदि हां, तो किस के ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी सहायता देंगे जैसे आई० सी० अमरीका, फोर्ड फाउंडेशन, जापानी निर्यात व्यापार अनुसंधान संगठन और अन्य विविध अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या यह सरकारी उपक्रम होगा या गैर-सरकारी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह पूर्णतया सरकारी संस्था होगी, जिसका प्रबंध योग्य सरकारी और गैर-सरकारी लोगों के हाथों में होगा, जो इस संस्था की शासी निकाय होगी ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या यह स्वतंत्र रूप में पंजीबद्ध निकाय होगी या वह सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संस्था होगी ?

†**श्री मनभाई शाह** : वर्तमान इरादा इसे भारतीय संस्था पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध कराने का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय

+

†*१२. श्री विश्वनाथ राय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० क० गोपालन :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दशरथ देव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री डी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० के० देव :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हेम बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विदेशों में स्थित पुर्तगाली क्षेत्रों में भारतीयों के निवास के परमिट रद्द करने तथा उनकी आस्तियों के समापन के लिए पुर्तगाल सरकार द्वारा जारी की गई डिगरी के विरुद्ध कोई कदम उठाया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : भारत सरकार ने लिस्बन स्थित संयुक्त अरब गणतंत्र दूतावास की मार्फत पुर्तगाल सरकार से माँग की है कि वह अपनी २५ जून, १९६२ की डिगरी संख्या ४४४१६ को रद्द कर दे और दोनों सरकारों के बीच हुए करार के अनुसरण में भारतीय राष्ट्रजनों को अपना कारबार बन्द करने और अपनी आस्तियों के भेजने के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान करे। इसके अलावा भारत सरकार के अनुरोध पर संयुक्त अरब गणतंत्र की सरकार ने लिस्बन स्थित संयुक्त अरब गणतंत्र दूतावास के प्रथम सचिव श्री वगीह

†मूल अंग्रेजी में

सफात को मोजाम्बिक इसलिए भेज दिया है कि इन पुर्तगाली राज्यक्षेत्र को छोड़ने वाले भारतीय राष्ट्रजनों को उस करार का पूरा-पूरा लाभ मिले। इस मामले में पुर्तगाल भी सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, हिन्दुस्तानी में तर्जुमा हो जाये तो अच्छा है ताकि पूरक प्रश्न पूछे जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप से एक दो बार कहा है कि आप कोशिश करें किसी दूसरे से मतलब जानने की . . .

श्री बागड़ी : कोई अंग्रेज़ी वाला मेरे पड़ोस में नहीं है। अगर सवाल हिन्दी में पूछा जाता है तो उसका जवाब अंग्रेज़ी में दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है। बना तो रहे हैं हम हिन्दी को सगी भाषा लेकिन उसके बारे में . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। इसका उनको इतिहास मालूम है। सारा काम पहले अंग्रेज़ी में हो रहा था और अब आहिस्ता आहिस्ता हम हिन्दी की तरफ जा रहे हैं। इस वास्ते उन्हें उस पुराने इस्तेमाल के मुताबिक ऐसा करना पड़ता है। लेकिन इस से यह मतलब नहीं है कि हम तेज़ी से हिन्दी की तरफ बढ़ना नहीं चाहते। मगर जब कभी भी कुछ होता है आप इस को साथ लाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हिन्दी में हो मगर इस में कुछ वक्त लगेगा। आप कुछ पूछना चाहें तो दूसरे साथी के पास बैठ कर पूछ लें। मैं कोशिश यह करूंगा कि अगर आप को तकलीफ हो और आप बतलायें तो आप को सवाल बतला दिया जाय।

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय इस का तर्जुमा हिन्दी में नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी में तर्जुमा तो बहुत से मंत्री महोदय कर सकेंगे, यह मैं मानता हूं। लेकिन यह भी तो देखना है कि इस में कितना वक्त खर्च होगा अगर हर एक सवाल का दोनों जबानों में तर्जुमा किया जाय। कुछ कष्ट हमें भी उठाना चाहिए इस बात को जल्दी लाने में, और कुछ मैं भी कोशिश करूंगा कि हमारे मंत्री महोदय जब कोई बयान दिया करें तो हिन्दी में भी समझा दिया करें। माननीय सदस्य भी इस में कुछ यत्न करें और समझ लिया करें ताकि दोनों मिल कर चल सकें। थोड़ा सा आप का ताव्वुन भी इस में चाहिए। इस समय मंत्री महोदय हिन्दी में बतला देंगे।

श्री दिनेश सिंह : भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार से यह कहा है कि जो उन्होंने अपनी नई डिगरी पास की है, जिस का नम्बर है ४४४१६, उसे वे रद्द कर दें। यू० ए० आर० सरकार ने, जो हमारे इस मामले में पुर्तगाल सरकार से बात चीत कर रही है, अपने फर्स्ट सैक्रेटरी को मोजम्बिक भेजा है, जहां पर कि ज्यादातर हिन्दुस्तानी हैं जो वहाँ से भेजे जा रहे हैं, यह देखने के लिये कि जो ऐग्रीमेन्ट पहले हुआ था हम से और पुर्तगाल से, वह पूरा किया जाय और उन को दिक्कत न हो।

†**श्री विश्वनाथ राय** : पुर्तगाली उपनिवेशों में भारतीय राष्ट्रजनों की जो सम्पत्ति सभापित की जा रही है, उसकी कीमत का सरकार को कोई अनुमान है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : पूरी जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दीनारायण दास** : उस डिगरी का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ने वाला है ?

श्री दिनेश सिंह : लगभग २,२३९ व्यक्तियों पर ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि मोजम्बिक से जिन भारतीयों को भगाया जा रहा है उनकी जायदादों को वापस दिलाने के लिए क्या भारत सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं ने अभी अर्ज़ किया कि इस सम्बन्ध में हम ने यु० ए० आर० सरकार से कहा है कि वे इस मामले को पुर्तगाल सरकार से उठायें ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या एकीकरण के अलावा पुर्तगाल सरकार की ओर भारत सरकार के कुछ वित्तीय उत्तरदायित्व या वायदे हैं जिनके द्वारा हम मोजम्बिक में होनी वाली हानियों को पूरा कर लें ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे पता नहीं; मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार ने अब यह गलती महसूस की है कि पुर्तगाली बस्तियों से भारतीयों के सकुशल आने की शर्त लगाये बिना ही उसने गोवा से पुर्तगालियों को चले जाने की अनुमति दे दी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम समझते हैं कि हम ने बिल्कुल ठीक किया था ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी पीछे मोजम्बिक से कुछ इस प्रकार के भारतीय आये हैं जिहोंने मोजम्बिक के कैम्प में रहने वाले भारतीयों की दर्दनाक स्थिति का चित्रण किया है और यह भी कहा है कि पाशविक ढंग से रखने के कारण बहुतों की मृत्यू भी हो गई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सही स्थिति को जानने का यत्न करेगी और उस के निराकरण का भी कुछ प्रयत्न करेगी ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी हां, मोजम्बिक से कुछ लोग अभी आये हैं । एक्स्टर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्री ने एक अफसर को बम्बइ भेजा था जिस ने उन से बातें की हैं । उस ने अपनी रिपोर्ट अभी दी है, उस के ऊपर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या यह सच है कि पुर्तगाली बस्तियों से निकाले गये अधिकांश भारतीय जो भारत आ गये हैं, उन में से अधिकांश पहले कभी भी भारत नहीं आये थे और वे कोई भी भारतीय भाषा नहीं जानते और यदि यह सच है, तो भारत सरकार उन्हें यहां कैसे बसाना चाहती है और क्या सहायता देना चाहती है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : आने वाले लोगों से इस मामले पर बातचीत करने के लिए हम ने एक अफसर बम्बई भेज दिया है । यह मामला विचाराधीन है । हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि इन लोगों को कोइ तकलीफ न होने पाये ।

†**श्री प्र० के० देव** : कुछ समय पहले जो पहला भारतीय दल बम्बई पहुंचा है उससे पता लगा है कि पुर्तगाली जेल शिविर में ६ भारतीय मर गये । साथ ही ३०,००० भारतीयों को पुर्तगाली बस्तियों से निकाला जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इन ३०,००० भारतीयों को वापस लाने और उन्हें बसाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कई प्रश्नों के उत्तर में यह बात स्पष्ट की जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि हमारा पुर्तगाल से यह करार हो गया था कि पुर्तगाली बस्तियों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजन अपनी आस्तियों का समापन करने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार भारत आ जायेंगे ? उपमंत्री महोदय ने अभी कहा कि डिगरी के विरुद्ध एक विरोध पत्र भेज दिया गया है। इस करार के उल्लंघन के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह डिगरी करार का उल्लंघन है और इसी के सम्बन्ध में हम ने विरोध पत्र भेजा है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : स्पष्ट है कि पुर्तगाल अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का एक शिष्ट सदस्य नहीं है, क्या सरकार ऐसा कोई उपाय करने जा रही है जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के सिद्धान्तों को मानने से इनकार करने वाले देश को अन्तर्राष्ट्रीय मंच से दण्ड दिया जा सके या कम से कम उस पर विश्व का मत प्रकट किया जा सके। क्या इस काम के लिए हम अन्तर्राष्ट्रीय मंच का उपयोग नहीं कर सकते ?

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : यह विचार योग्य बात है।

†**श्री राम रतन गुप्त** : क्या सरकार ने अनुमान लगाया ह कि पुर्तगाली भारत में अपनी कितनी सम्पत्ति छोड़ गये हैं और क्या सरकार के पास कोई योजना है कि पुर्तगाली बस्तियों में भारतीयों को होने वाली क्षति को कैसे पूरा किया जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

†

†*१३. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राय में अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की कुछ योजनाओं में कुछ समायोजन और परिवर्तन आवश्यक है; और

(ख) क्या यह सच है कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा तैयार किये गय एक टिप्पण में अर्थ-व्यवस्था में विद्यमान उस असंतुलन पर प्रकाश डाला गया है जिसके फलस्वरूप योजना के कई क्षेत्रों में लक्ष्यों की पूर्ति न होने की आशंका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जैसे जैसे कोई पंच वर्षीय योजना आगे बढ़ती है, वास्तविक अनुभव के आधार पर समय-समय पर कुछ समायोजन और परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। इन समायोजनों का उद्देश्य योजना के मुख्य लक्ष्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करना है।

(ख) विकास के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन का प्रश्न योजना आयोग और सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों के सामने निरन्तर बिचाराधीन रहता है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने उन के आवंटनों अथवा उन के समन्जन में कोई कमी करने की सिफारिश की है ?

†**श्री नन्दा** : सरकार का हर सदस्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिये अपनी भरसक कोशिश करता है, और जिन माननीय सदस्य का उल्लेख किया गया है, वह इस दिशा में महान् सहयोग दे रहे हैं।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा की गई सिफारिश के सम्बन्ध में योजना आयोग ने कुछ निर्णय किया है ? यदि हां, तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन के कारणों को दूर करने के लिये कितना आवश्यक समायोजन किया गया है ?

†**श्री नन्दा** : बताया जा चुकका है कि कुछ समय से ऐसा किया जा रहा है। यह होता रहता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हुं कि वे कौन से इस प्रकार के इम्बैलेन्सेज़ हैं जिन की तरफ श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने प्लैनिंग कमीशन को इशारा किया है, और उन को दुरुस्त करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**श्री नन्दा** : किसी एक सख्श ने क्या कहा है, खास कर जो गवर्नमेंट के मेम्बर्स हैं, उन का रिफरेन्स करना मेरी समझ में मुनासिब नहीं है। लकिन जिन चीजों के बारे में कहा जाता है, वे सब जानते हैं। जो जो मुश्किलात पेश आई हैं, ट्रान्सपोर्ट वगैरह के बारे में, वही बातें हैं, जिन का जिक्र हो रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्री कृष्णमाचारी ने कोई नोट तैयार किया है ; यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं और क्या उसे सभापटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री नन्दा** : मैं समझता हुं कि ऐसा करना उचित नहीं होगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : एक औचित्य प्रश्न है। कुछ बातें अखबार में आई हैं। उन्हों को ले कर माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। माननीय मंत्री भी उपस्थित हैं। अतः क्या आप के लिये उचित नहीं है कि आप माननीय मंत्री से यह बताने के लिये कि यह मामला कैसे अखबारों तक पहूंचा।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब अखबार में कोई बात आई है, तो माननीय सदस्य को यह पूछने का अधिकार है परन्तु माननीय मंत्री को भी यह कहने का अधिकार है कि वह उसे नहीं बतलाना चाहते। अतः यदि वह इस समय बताने के लिये तैयार नहीं हैं, तो मैं उन्हें बताने के लिये मजबूर नहीं कर सकता।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री को या सरकार को यह कहना चाहिये कि लोकहित की दृष्टि से वह जानकारी नहीं देना चाहते। यह केवल मर्जी की बात नहीं है।

†**श्री नन्दा** : प्रश्न यह है कि क्या हमें लोकमहत्व के किसी विषय पर चर्चा से वंचित किया जा रहा है। परिवहन, विद्यत्, कोयला आदि सभी विषयों पर हम विचार करते रहते हैं। मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच कई प्रकार के नोट आते जाते रहते हैं, मेरा ख्याल है कि उन के नोटों के बारे में सभा में हर बात बताना ठीक नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य चाहते हैं कि मंत्री महोदय यह कहें कि यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है। अतः माननीय मंत्री बतायें कि क्या यही कारण है जानकारी न देने का, या कोई और कारण है ?

†**श्री नन्दा** : जी हां, जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत और जापान में आर्थिक विकास के अध्ययन के लिये समिति

†१४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान में आर्थिक विकास के अध्ययन के लिये गठित समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने सर्वप्रथम कौनसी गतिविधियां आरम्भ की हैं ;

(ग) भारत और जापान की अर्थ-व्यवस्थाओं के कौन से पहलू समान हैं जिन से इस समिति के गठन की प्रेरणा मिली है ; और

(घ) उस से भारत के किस प्रकार लाभान्वित होने की आशा है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने योजना सम्बन्धी प्रक्रिया से सम्बन्धित कुछ जापानी सामग्री का अनुवाद कराने का काम शुरू कर दिया है। उस ने जापानी समिति के सहयोग से यह अनुसंधान कार्यक्रम बनाने का भी निश्चय किया है।

(ग) समिति बनाने की प्रेरणा इस इच्छा से मिली कि दोनों देशों के बीच, जबकि दोनों ही देश योजना के माध्यम से विकास की गति बढ़ाने के इच्छुक हैं, आर्थिक विकास की दीर्घकालीन समस्याओं से संबंधित अध्ययन में दोनों देशों का ननिकट संबंध बढ़े और दोनों देशों के बीच योजना की प्रणालियों तथा प्रविधियों के सम्बन्ध में जानकारी का आदान-प्रदान हो।

(घ) इस से भारत को जापानी अनुभव मिलेंगे और एशियाई क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण विकासोन्मुख देश भारत और जापान के बीच आर्थिक सम्बन्धों का अधिक अधिकृत भावी स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हो जायेगा।

जाली पासपोर्ट

†*१५. **श्री रा० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ जुलाई, १९६२ को पालम पर तीन व्यक्तियों को जाली पासपोर्ट रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जाली पासपोर्ट जारी करने वाले मुख्य स्रोत का पता लगा सकी है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां, ३ जुलाई, १९६२ को पालम पर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक के पास एक जाली ब्रिटिश पासपोर्ट था। अन्य दो व्यक्तियों को उस पासपोर्ट में उन के पुत्र के रूप में दिखाया गया था। ये दोनों पृष्ठांकन तथा पासपोर्ट की मान्यता भी जाली थी।

(ख) मामले की छानबीन हो रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी मुद्रा और तीसरी योजना

†*१६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० वास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुरारका :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वाजी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अ० व० राघवन :
श्री नम्बियार :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा की स्थिति का योजना के लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है और इस वर्ष के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को हिदायतें दे दी गई हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या प्रमुख योजनाओं की स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**योजना और श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). योजना आयोग 'योजना' की प्रगति और उसके विदेशी मुद्रा सम्बन्धी पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा है। अध्ययन के परिणाम कालान्तर में सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(ग) योजना की परियोजनाओं की शीघ्रता से कार्यान्विति पर जोर देने और केवल अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं तक ही आयात सीमित करने के अलावा सरकार ने विदेश यात्रा तथा विदेश में जा कर शिक्षा प्राप्त करने पर अनेक रुकावटें लगा दी हैं ।

राज्य योजना मंडल

†*१७. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री मुरारका :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में राज्य योजना बोर्ड गठित किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन बोर्डों को कौन से विशिष्ट कार्य सौंपे गये हैं ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). उड़ीसा में अभी हाल में राज्य योजना मंडल बन गया है । अन्य राज्यों में प्रस्थापना विचाराधीन है ।

(ग) उड़ीसा योजना मंडल के कार्य निम्नलिखित हैं :—

(क) दीर्घकालीन था १५ वर्षीय विकास योजना तैयार करना ;

(ख) योजना के लिये अत्यावश्यक आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक आंकड़ों के संग्रह हेतु अध्ययन और सर्वेक्षण करना ;

(ग) एक संगठित ढंग से तीसरी योजना को कार्यान्वित करना ;

(घ) प्रगति का पुनरावलोकन करना ;

(ङ) ऊपर (क) में उल्लिखित दीर्घकालीन योजना के अनुरूप बनाने के दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना में सुधार करना ; और

(च) जिले और खण्ड स्तर पर पंचायत राज्य संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले आयोजन के लिये पर्याप्त निदेश देना तथा मार्गदर्शन करना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे जूट के मूल्य

*१८. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दशरथ देव :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री मुहम्मद ताहिर :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे जूट की कीमतें स्थिर करने के लिये अब तक क्या योजनायें तैयार की गई हैं ;

(ख) इन योजनाओं को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) कीमतों को किस स्तर पर स्थिर रखने का विचार है ; और

(घ) जूट की कीमतों को स्थिर करने का पाकिस्तान से आयात किये जाने वाले जूट के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जूट उत्पादकों को इस से क्या लाभ होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जूट उद्योग ने एक जूट बफर स्टाक एसोसियेशन बनाई है जिस ने १९६१-६२ की फसल में लगभग ११.२५ लाख मन जूट खरीदी है ।

(ग) इस के बारे में नई फसल को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा । इस बीच १९६१-६२ के लिये निश्चित की गई कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा ।

(घ) इस योजना से आयात की गई जूट की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता । आयात की व्यवस्था अभी तक जैसी है उसे आगे भी इस प्रकार नियंत्रित किया जाता रहेगा कि जिससे देश में जूट के मूल्य स्तर पर कोई असर न पड़े । जूट उत्पादक को भी उसके उत्पादन की उचित कीमत मिलती रहेगी ।

केरल में रेडियो सक्रियता

†*१९. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रोफेसर ग्रन्कर्बी के नेतृत्व में ब्रिटिश वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा किये गये अनुसंधान के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की ओर आकृष्ट किया गया है कि चावरा (क्विलोन, केरल) तटीय प्रदेश में लोगों पर रेडियो सक्रियता का प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के अणु शक्ति आयोग ने कोई और अध्ययन करने का आदेश दिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) सरकार ने इस आशय का समाचार अखबार में देखा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संबंधित समाचार के बारे में अणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे के शरीर विज्ञान और चिकित्सा दल के प्रमुख द्वारा दिये गये प्रेस वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिए, परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]** केरल के मोनाजाइट खान क्षेत्रों का नमूना सर्वेक्षण ट्राम्बे संस्थान ने कर लिया है और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये और आगे नापजोख का काम चल रहा है।

छोटे इस्पात संयंत्र

†*२०. **श्री प्रभात झा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के 'पर्सपेक्टिव प्लैनिंग डिवीजन' ने इस्पात के उत्पादन में वृद्धि की संभावनाओं के बारे में ज्ञापन में बताया है कि "कोकिंग कोयले से अलग अलग स्थानों में बड़ी संख्या में छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने की काफी गुंजाइश है"; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां। यह उल्लेख लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास संबंधी "तीसरी योजना के लिये अपेक्षित अग्रिम कार्यवाही" संबंधी नोट के एक परिशिष्ट में है। इसमें भारत में छोटे-छोटे लोहा तथा इस्पात संयंत्रों की गुंजाइश के बारे में धातुकार्मिक विशेषज्ञों के दृष्टिकोण दिया गया है इसका उद्देश्य उन विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना था जिनकी छानबीन करनी थी और अनन्तिम संभावनाओं का ठोस ढंग पर पता लगाना था। यह बताया गया कि ऐसी छानबीन विशेषज्ञ संस्थानों और संगठनों या इस प्रयोजन के लिये बनाये गये प्रविधिक दलों द्वारा करानी होगी।

(ख) अभी हाल में इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्रालय में "एक स्टीयरिंग ग्रुप" बना दिया गया है, और बनाई गई अनेक उप-समितियों में से एक उप-समिति लगाये जाने वाले इस्पात संयंत्रों के आकार और स्तर के प्रश्न को भी देखेगी। और आगे के ब्योरे इन अध्ययनों के परिणामों के बाद तैयार किये जायेंगे।

लद्दाख में चीनियों द्वारा एक सड़क का निर्माण

†*२१. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम राज :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री तन सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि चीनियों ने लद्दाख में एक नयी सड़क बनाई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या चीनियों ने चिप-चाप नदी के दक्षिण में वर्तमान भारतीय चौकी के "खतरनाक रूप से नजदीक" एक नई सैनिक चौकी स्थापित की है ;

(ग) क्या इस बारे में चीनी अधिकारियों को १६ और २८ जून १९६२ को नोट भेजे गये हैं ;

(घ) क्या पीकिंग से कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) इस क्षेत्र में चीनियों ने कई सैनिक चौकियां बना ली हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अभ्रक खान श्रमिकों को बोनस

†*२२. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समझौता पंचाट के अधीन अभ्रक खानों में श्रमिकों को दिया जा रहा प्रति २४ दिन के काम के लिये एक दिन की मजूरी का उपस्थिति बोनस १ जून, १९६१ से बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या श्रमिकों को कोई लाभ बोनस दिया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इसको लागू करन के लिये आवश्यक कदम उठाने का इरादा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) दोनों पक्षों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन विधिवत नोटिस देकर पं ाट को समाप्त कर दिया ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इस मामले पर कोई विवाद सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूटान में सीमेन्ट कारखाना

†*२३. श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये भारत सरकार और भूटान सरकार में हाल में ही बातचीत हुई है ;

(ख) क्या भारत सरकार सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये भूटान सरकार को प्रविधिक और वित्तीय सहायता देने को राजी हो गयी है ; और

(ग) क्या भूटान में भारत सरकार की सहायता से कोई और उद्योग भी स्थापित किये जायेंगे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) हमारे सामने कोई औपचारिक प्रस्थापना नहीं रखी गयी है परन्तु अनौपचारिक बातों के दौरान इस बात का जिक्र हुआ था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भूटान सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना के ढांचे के भीतर ही, जोकि हमारी सहायता से कार्यान्वित की जा रही है, कुछ कारखाने स्थापित करने सम्बन्धी भूटान सरकार की प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं।

निर्यात

†*२४. श्री मुरारका :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९६२ को समाप्त होने वाली तिमाही में कुल कितना निर्यात किया गया और वर्ष १९६१ में इसी अवधि में कितना निर्यात हुआ था ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा हाल में उठाये गये कदमों के कारण कोई सुधार हुआ है और निर्यात बढ़ाने के लिये और क्या कदम उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अप्रैल, १९६२—जून, १९६२ वाली तिमाही में लगभग १५४ करोड़ रु० का जबकि वर्ष १९६१ में इसी तिमाही में यह १५६ करोड़ रु० था।

(ख) थोड़ी सी कमी के दो मुख्य कारण मालूम होते हैं : १९६२ में कलकत्ता पत्तन पर मई में लगभग १७ दिनों तक पायलटों की हड़ताल और विश्व व्यापार में जूट के सामान तथा अन्य सामानों के मूल्य में तुलनात्मक कमी। निर्यात पर हड़ताल का अधिक प्रभाव पड़ा।

गत वर्ष जूट के सामान की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत असाधारण रूप से बहुत बढ़ गई क्योंकि जूट के सामान की कमी थी और इसका कारण यह था कि भारत और पाकिस्तान में कच्ची जूट की फसल कम हुई। अतः यद्यपि इस वर्ष जूट के सामान के निर्यात की मात्रा अधिक है, फिर भी जूट के सामान के मूल्य में इस वर्ष कमी होनी ही थी। इसके अलावा, ऐसा अनुमान है कि मई में कलकत्ता पत्तन में हुई हड़ताल के कारण जूट के सामान के निर्यात में ६ करोड़ रु० की हानि हुई।

फेरो मैंगनीज और इस्पात के मामले में इस साल अप्रैल और मई के महीनों में क्रमशः ३·४ करोड़ रु० और २·९ करोड़ रु० की कमी रही। जून, १९६२ के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इस वर्ष इस तिमाही में चीनी, चाय, तम्बाकू, जूट का कपड़ा, खली, वनस्पति तेलों, रूई की लच्छियों, कच्चे चमड़े तथा खालों, नकली सिल्क के धागे, मशीनरी, परिवहन, जूते तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है।

निर्यात बढ़ाने के लिये सोचे गये कुछ उपायों को बताने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]**

ग्राम्य औद्योगीकरण योजना

†*२५. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने जैसाकि उड़ीसा सरकार ने सुझाव दिया है, पंचायत समिति के स्तर पर छोटे उद्योग स्थापित करके ग्राम्य औद्योगीकरण योजना का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) क्या इस समाचार में कोई सचाई है कि इस बारे में राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में आवश्यक उपबन्ध कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो नई योजनाओं के लिये उपबन्ध करने के लिये, योजना में सम्मिलित की जा चुकी योजनाओं में से कौन सी योजनायें निकाली गयी हैं अथवा इस कार्य के लिये केन्द्र ने कोई और धनराशि आवंटित की है ; और

(घ) इस कार्य के लिये कुल कितनी धनराशि अलग रखी गयी है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) ग्राम समितियों के स्तर पर छोटे उद्योगों की स्थापना के लिये ग्राम्य उद्योगीकरण की योजना को, जैसा कि उड़ीसा सरकार ने अपनी १९६२-६३ की वार्षिक योजना में सुझाव दिया है, योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्राथमिकता योजनाओं/कार्यक्रमों संबंधी उपबन्ध पर प्रभाव डाले बिना ही विभिन्न मदों के अधीन समुचित समायोजन कर दिया गया है ।

(घ) राज्य की पुनरीक्षित तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये प्रस्तावित कुल उपबन्ध ५८७·१५ लाख रु० का है जबकि पहले ५१०·०० लाख रु० की बात मान ली गई थी ।

अल्जीरिया के साथ राजनयिक सम्बन्ध

†*२६. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्जीरिया की सरकार के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : अल्जीरिया के स्वतंत्र होते ही भारत सरकार ने उसे मान्यता प्रदान कर दी और अपना एक राजदूत वहां नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा । अल्जीरिया सरकार जब हमारे राजदूत को स्वीकार करने की स्थिति में हो जायेगी, तो हमारा राजदूत वहां की सरकार तथा जनता के साथ हमारे राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिये उपाय करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय चौकी

†*२७. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रिशांग किशिंग :
श्री प्र० के० देव :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री बासुमतारी :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री मोहसिन :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख में गलवान नदी घाटी में एक भारतीय चौकी को लगभग ४०० चीनी सैनिकों ने घेर लिया था तथा भारत सरकार ने चीनी सरकार को इसका विरोध-पत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) भारत और चीनी सरकार के बीच हुये संबंधित पत्र व्यवहार की प्रतियां (चीन सरकार का ८ जुलाई, १९६२ का नोट और भारत सरकार का १० जुलाई, १९६२ का उत्तर) सभा-पटल पर रखी जाती ह [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३**]। उसके बाद चीनी सेनाओं ने चौकी पर अपना दबाव कम कर दिया है और अब चीनी सेनायें लगभग ४०० गज पीछे हट गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सूत का मूल्य

†*२८. **श्री केप्पन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सूत के मूल्य में वृद्धि का हथकरघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मूल्य मे कमी करने के लिये कदम उठायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हथकरघा बुनकरों की सूत की लच्छियों की जरूरत मोटे तौर से समुचित मूल्य पर पूरी की जा रही है। पर कुछ किस्म या प्रकार की लच्छियों की कमी या उनकी कीमतें बढ़ जाने के बारे में कभी-कभी शिकायतें आई हैं।

(ख) वस्त्र आयुक्त भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ से सम्बंध स्थापित किये हुये हैं और मिलों से बुनकरों की सहकारी समितियों को सीधे सूत की लच्छियां देने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

नागालैंड में विकास परियोजनायें

†*२९. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में नागालैण्ड मे कई विकास योजनायें आरम्भ की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का क्या स्वरूप है ; और

(ग) इन परियोजनाओं से लोगों का उत्साह कैसे बढ़ा है और इनसे उस क्षेत्र में तनाव दूर करने मे किस प्रकार सहायता मिली है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री स० चु० जमीर) :** (क) जी हां।

(ख) विकास परियोजना नागालैंड की तीसरी पंचवर्षीय योजना का भाग है। इस योजना में कृषि उत्पादन, ग्रामोद्योग व छोटे पैमाने के उद्योगों, और चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है।

(ग) नागा लोगों में एक बड़ी जनसंख्या नागालैंड के विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए बड़े उत्साह से काम कर रही है। इससे नागालैंड में तनाव मे बड़ी कमी हो गयी है।

कोचीन में चाय का स्टाक

†*३०. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन में विशेषत: ब्रिटेन को माल भेजने के लिये जहाजों मे स्थान की कमी के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थति का पता है ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) क्या कोचीन में गोदामों में निर्यात के लिये भेजी जाने वाली चाय बड़ी मात्रा में पड़ी है जो अभी उठाई नहीं गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान नौवहन कठिनाई को पार करने के लिये चाय की पत्तियों और चाय के चूरे की साप्ताहिक नीलामी बंद कर दी गयी है ; और

(घ) इस कठिन स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जुलाई के आरम्भ मे कोचीन में लगभग ७००० टन चाय इकट्ठा हो गयी थी।

(ग) कोचीन की चाय व्यापार संस्था ने १९ जुलाई और २४ जुलाई के लिए निर्धारित नीलाम को क्रमशः २४ जुलाई और ३१ जुलाई, १९६२ के लिए अर्थात् लगभग एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था।

(घ) अगस्त के महीने तक सामान उठा लिये जाने की आशा है। हमारे भाड़ा जांच ब्यूरो के दखल देने पर मालाबार-ब्रिटेन कांफ्रेंस लाइन्स ने अब पर्याप्त नौवहन स्थान की व्यवस्था कर दी है।

लंका में भारतीय

†*३१. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नम्बियार :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री हेम बरुआ :
श्री मुहम्मत इलियास :
श्री प्रकाशवीद शास्त्री :
श्री बसुमतारी :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लंका मे भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की समस्या सुलझाने के लिये सरकारी स्तर पर भारत लंका वार्ता हुई हैं और बाद में यह वार्ता दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के बीच जारी रहेगी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : नई दिल्ली स्थित श्रीलंका का उच्च आयुक्त श्रीलंका मे भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के भविष्य के प्रश्न पर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ अभी हाल तक बातचीत करता रहा है। ये बातें आरम्भिक हैं और इस समय यह बताना संभव नहीं है कि बाद में दोनों देश के प्रधान मंत्रियों के बीच यह बातचीत चालू रहेगी और यदि ऐसा हुआ, तो कब होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में आवास योजनायें

†*३२. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के **अभिधारणों** के जरिये चलाई जाने वाली विभिन्न आवास योजनाओं पर विचार करने के लिये राज्य सरकारों के मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहती है ;

(ख) क्या इन योजनाओं के अधीन उपलब्ध की गई निधि का राज्य सरकारों ने उपयोग कर लिया है ; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां, काफी हद तक विचार है।

(ग) जी हां, लगभग सभी राज्य सरकारों ने किसी न किसी योजना के अधीन तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए अतिरिक्त धन की मांग की है।

भारतीय श्रमिकों का भविष्य निधि का रुपया

†*३३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के भविष्य निधि को भविष्य निधि आयुक्त के क्षेत्राधिकार में न रखने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भविष्य निधि के रूप मे भारतीय श्रमिकों का लाखों रुपया लन्दन में और अन्य विदेशी बैंकों मे रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले के कानूनी पहलू का पुनर्विलोकन किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) विमान परिवहन उद्योग अभी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अधीन नहीं है।

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

काठमांडू में भारतीय सहायता से औद्योगिक बस्ती

†*३४. **श्री प्र० क० देव** :
श्री नरेन्द्र सिंह महाड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू मे भारत सरकार की सहायता से एक औद्योगिक बस्ती स्थापित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता दी गई है ; और

(ग) औद्योगिक बस्ती कब बन कर पूरी हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार बस्ती स्थापित करने के लिये १८ लाख रुपये देने को सहमत है। भारत तकनीकी व्यक्ति और उपकरण भी देगा और परियोजना प्रतिवेदन और डिजाइन तैयार करने और इमारतों के निर्माण के लिये आवश्यक सहायता देगा।

(ग) परियोजना का प्रथम प्रक्रम, जिसमे १२ कर्मशाला शेड, एक केन्द्रीय कर्मशाला और सम्बद्ध इमारतें हैं, मार्च, १९६३ तक पूरा हो जायेगा। द्वितीय प्रक्रम के लिये निर्धारित १८ कमशाला शेड, मांग के अनुसार बनाये जायेंगे।

भारतीय प्रदेश में चीनियों का धावा

†*३५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम रतन गप्त :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बागड़ी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री कि० पटनायक :
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों मे चीनियों ने उत्तरी सीमा पर कोई नये धावे किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन धावों के ब्यौरे बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां। पिछले तीन महीनों में चीनी सेना ने १२ धावे किये हैं।

(ख) इनमे से आठ चिपचाप नदी क्षेत्र के प्रांगण मे हैं, २ स्पांगूक क्षेत्र में और २ चांग चेन्मो क्षेत्र में हैं। भारत सरकार ने दिनांक २१ मई, १६ जून, २८ जून और १२ जुलाई, १९६२ के अपने नोटों मे इन धावों के विरुद्ध चीन सरकार से विरोध प्रकट किया है। सम्बन्धित पत्र-व्यवहार की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० २५९/६२]**

---

†मूल अंग्रजी में

ठेका पद्धति का समाप्त किया जाना

†*३७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका पद्धति के समाप्त किये जाने के सबंध में उन्नसिवें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसकी क्रियान्विति के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) उन्नीसवें भारतीय श्रम सम्मेलन ने ठेका पद्धति को बिल्कुल समाप्त करने की सिफारिश नहीं की। इसने सिफारिश की कि जहां—

(१) काम निरन्तर होता है और रोज होता है ;

(२) काम आकस्मिक होता है और कारखाने के लिये आवश्यक प्रकार का है ;

(३) काम इतना है कि काफी संख्या में पूर्णकालिक श्रमिक रखे जा सकें ; और

(४) काम अधिकांश (अन्य) कारखानों में नियमित श्रमिकों द्वारा होता हो—ठेका श्रमिक न रखे जायें।

इसने यह भी सिफारिश की कि जहां यह संभव न हो, स्तर दर निर्धारित किये जायें, और ठेका की शर्तों पर कुछ सुविधायें दी जाये। जहां तक संभव होता है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कारखानों में निर्धारित सिद्धान्त लागू किये जाते हैं। जहां कारखाने में और कारखाने के बाहर ठेका श्रमिक रखे जाते हैं, उनको उचित मजूरी और अन्य सुविधायें दी जाती हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

काठमांडू में एशिया उत्पादकता सम्मेलन

†*३८. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया में उत्पादकता में वृद्धि की समस्याओं पर विचार करने के लिये काठमांडू के हुए नौ राष्ट्र सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये तथा वे निर्णय विशेषत: भारत के लिये कहां तक हितकर थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां। भारत ने १४ से १८ जून तक काठमांडू में हुए एशिया उत्पादकता सम्मेलन के सदस्य देशों के उत्पादकता संगठनों के निदेशकों के सम्मेलन में भाग लिया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सम्मेलन में एशिया उत्पादकता सम्मेलन के सदस्य देशों के उत्पादकता कार्यों पर विचार किया गया था क्या उसने एशिया उत्पादकता सम्मेलन के १९६३ के अस्थाई कार्यक्रम पर चर्चा की थी। सम्मेलन में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश अनुबन्ध में दिया गया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या ४]**। आशा है कि भारत में उत्पादकता आन्दोलन को आगे बढ़ाने में इन निर्णयों तथा चर्चाओं से सहायता मिलेगी।

भारतीय दूतावासों के वाणिज्य विभाग

†*३९. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में भारतीय दूतावासों के वाणिज्यिक विभागों की स्थापना तथा कार्यों का पूर्ण सर्वेक्षण करने का है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या सुझाव मिले हैं तथा इस से अध्ययन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या उन के मंत्रालय में विश्व में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को मान्यता देते हुए व्यावहारिक योजना बनाने के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्रालय तथा योजना आयोग में सम्पर्क स्थापित किया हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४क]**।

भारत-अमरीका प्रशुल्क करार

†*४०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यलमन्दा रेड्डी :
श्री दशरथ देव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही नया भारत-अमरीका प्रशुल्क करार लागू हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो दोनों देशों ने एक दूसरे को क्या रियायतें देना स्वीकार किया है ; और

(ग) इस करार से भारत को किस सीमा तक, यदि कोई हो तो, सहायता मिलेगी कि वह युरोपीय साझा बाजार वाले देशों को किये जाने वाले निर्यात को अमरीका के बाजार में भेज दें ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हाँ ।

(ख) दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० २६०/६२**]

(ग) करार का उद्देश्य भारत के व्यापार को बढ़ाने का है तथा एक बाजार से दूसरे बाजार में ले जाने का नहीं है ।

दक्षता तथा कल्याण संहिता

†*४१. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री यलमादा रेड्डी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिदलीय समिति ने दक्षता तथा कल्याण संहिता के प्रारूप पर अन्तिम रूप से चर्चा कर ली ;

(ख) यदि हाँ, तो इस संहिता की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) दक्षता तथा कल्याण की प्रस्तावित संहिता पर विचार करने के लिए स्थापित त्रिदलीय समिति की अभी बैठक नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) त्रिदलीय समिति की बैठक शीघ्र ही होगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार

†*४२. **श्री रा० बरुआ :**
श्री वारियर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी मात्रा में काफी निर्यात के लिये उपलब्ध होने के कारण क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार में शामिल होने का है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि कांफी के व्यापारियों ने सरकार को इस अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार में शामिल होने का सुझाव दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों का बातचीत करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया था कि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार को अन्तिम रूप दे। उसकी ९ जूलाई से न्युयार्क में बैठक हो रही है । भारत सम्मेलन में भाग ले रहा है । इस समय न्युयार्क में हो रही बातचीत के आधार पर यह निर्णय किया जायेगा कि भारत को इस करार में शामिल होना चाहिए अथवा नहीं।

(ख) जी हाँ ।

दिल्ली विश्वविद्यालय काम दिलाऊ ब्यूरो

†*४३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उन के मंत्रालय ने अपना काम-दिलाऊ ब्युरो खोल रखा है ;

(ख) क्या नौकरी चाहने वाले विद्यार्थियों में ब्युरो लोकप्रिय है ; और

(ग) ऐसे विद्यार्थियों को अंशकालिक काम दिलाने में क्या कठिनाई अनूभव की गई थी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी हाँ ।

(ग) विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त अंशकालिक काम पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है ।

रुआन्डा और बरुन्दी के साथ राजनयिक सम्बन्ध

†*४४. **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूआन्डा और बूरुन्डी के बीच राजनीयिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने वाले हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो यह सम्बन्ध किस प्रकार के होंगे ;

(ग) क्या रुआन्डा और बूरुन्डी में भारतीय अथवा भारतीय हित हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो वहाँ पर कितने भारतीय हैं, तथा उन देशों में उनके किस -किस प्रकार के हित हैं ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय म उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). दस वर्ष से भी अधिक अवधि से नरोबी में भारतीय उच्चायुक्त रुआन्डा-उरुन्डी में भारत के महा-वाणिज्य दूत थे। रवान्डा और बूरुन्डी के स्वतंत्र हो जाने के बाद अग्रेतर कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). रवान्डा और बूरुन्डी में भारतीय उद्भव के लगभग २,००० व्यक्ति हैं। लगभग सभी वहाँ पर फुटकर व्यापार करते हैं।

उड़ीसा में खानों का बन्द हो जाना

†*४५. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९६१ से जुन, १९६२ की अवधि में उड़ीसा की कुछ लौह तथा मैंगनीज अयस्क खाने बन्द हो गयी थीं तथा यदि हाँ, तो इस के परिणामस्वरूप कितने मजदूर बेकार हो गये थे ;

(ख) क्या इस अवधि में कुछ मजदूरों को निकाल दिया गया है ; और

(ग) क्या खानों के इस प्रकार अनाचक बन्द होने जाने के सम्बन्ध में कोई जाँच की गई है, और क्या खानों को चलाने के लिये फिर से कार्यवाही की सिफारिश की गई है?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा में बता दी जायेगी।

गोआ में बेरोजगारी

†*४६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये तथा वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कौन से उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : इस वर्ष के आरम्भ में गोआ में औद्योगिक संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए विशेष दल भेजा गया था।

यह निर्णय किया गया है कि वहाँ पर छोटे उद्योग सेवा संस्था की शाखा स्थापित की जाये । एक निदेशक के अधीन एक उद्योग विभाग स्थापित करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है । यह विभाग गोआ में स्थापित होने वाले उद्योगों के प्रस्तावों पर कार्य आरम्भ करेगा । गोआ प्रशासन के परामर्श से विशेषज्ञों के विभिन्न दलों की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में कार्यवाही की जा रही है ।

बेकार व्यक्तियों को उपर्युक्त काम दिलाने के लिए गोआ में एक काम दिलाऊ दफ्तर खोला गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पुर्तगाली बस्तियों में नजरबन्द भारतीय

†*४७. श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नाथ पाई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल तथा उस की बस्तियों में नजरबन्द भारतीयों को अब मुक्त कर दिया गया है ;

(ख) इस प्रकार नजरबन्द तथा मुक्त किये गये कितने भारतीय राष्ट्रजनों ने अब तक पुर्तगाली बतिस्यों को छोड़ दिया है ;

(ग) ये कहाँ गये हैं ;

(घ) क्या पुर्तगाली बतिस्यों से जाने वाले भारतीयों को अपने साथ अपनी आस्तियाँ लाने की अनुमिति दे दी गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो कितनी आस्तियाँ लाने की अनुमति नहीं दी गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय म उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). २४ जुलाई को सात भारतीय राष्ट्रजन साप्तो थोमे भारत में आये थे। बताया गया है कि कुछ भारतीय राष्ट्रजन मकाओ से हांगकांग चले गये हैं। मालूम हुआ है कि लगभग सत्तर भारतीय राष्ट्रजन मोजामबोक से भारत की ओर चल दिये हैं तथा आशा है कि वह ३ अगस्त, १९६२ तक बम्बई आ जायेंगे।

(घ) और (ङ). अभी तक कोई भी ठीक जानकारी नहीं मिली है। भारत सरकार जानती है कि २५ जून १९६२ की पुर्तगाली डिग्री, भारत और पुर्तगाल के बीच इस संबंध में हुये करार का उल्लंघन करती है। संयुक्त अरब गणराज्य का एक वरिष्ठ अधिकारी अब मोजामबोक में है। मोजामबोक में ही सबसे अधिक संख्या में भारतीय रहते हैं। वह प्रयास कर रहे हैं कि पुर्तगाली अधिकारी भारतीय राष्ट्रजनों को दोनों देशों के करार के अनुसार अपनी अस्तियां लाने की अनुमति दे दें।

मध्य प्रदेश में अल्मूनियम संयंत्र

†*४७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दाजी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के सहयोग से मध्य प्रदेश में अल्युमीनियम का कारखाना स्थापित करने के बारे में बातचीत पूरी हो गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलकत्ता पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात

†१. **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन से १९६२–६३, १९६३–६४ और १९६४–६५ में लौह अयस्क के निर्यात का लक्ष्य क्या है ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में भारत का राज्य व्यापार निगम किस किस्म के लौह अयस्क का निर्यात करना चाहता है ;

(ग) वर्ष १९५७–५८ और १९६०–६१ में राज्य व्यापार निगम ने कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया ;

(घ) कलकत्ता पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात घट जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) कलकत्ता पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) लौह अयस्क के निर्यात का पत्तनवार कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है। पत्तन पर सामान रखने–उठाने की क्षमता और उपलब्ध परिवहन सुविधाओं पर निर्भर होता है कि किस पत्तन से कितनी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है।

(ख) ६२ प्रतिशत फी या इससे अधिक वाला लौह अयस्क।

(ग) निर्यात इस प्रकार रहा :

	लाख टन
१९५७–५८ .	६.९९
१९६०–६१	४.९०

(घ) कलकत्ता पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात कम होने का मुख्य कारण यह है कि यहां से अन्य वस्तुओं तथा अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण निर्यात वस्तुओं का निर्यात होता है।

(ङ) ऊपर (क) में कही गयी बात को देखते हुये कलकत्ता पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि कलकत्ता पत्तन अधिक सामान रखने–उठाने की सुविधाओं तथा रेलवे द्वारा सामान ढोने की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

उड़ीसा में लौह प्रस्तक का भंडार

†२ { **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री मुनि नाथ द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के आदेशानुसार कितना लौह अयस्क उड़ीसा की विभिन्न खानों तथा रेलवे लाइन के अन्तिम स्टेशनों पर खुला पड़ा हुआ है ; और

(ख) उड़ीसा में खानों पर तथा रेलवे लाइनों के अन्तिम स्टेशनों पर पड़े लौह अयस्क के भंडार को बेचने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम उतना ही लौह अयस्क खरीदता है जितना निर्यात के लिये और भारत के इस्पात कारखानों की जरूरत पूरी करने के लिये जरूरी होता है। लौह अयस्क के भंडार खानों पर या रेलवे के अन्तिम स्टेशनों पर इकट्ठा नहीं होने पाते। ३१ मई, १९६२ को अनुमानत: २८०,००० टन लौह अयस्क रेलवे के अन्तिम स्टेशनों पर पड़ा हुआ था। इसमें ऐसा भंडार बहुत ही कम था जो राज्य व्यापार निगम के करार के अधीन नहीं था। खानों पर कितना लौह अयस्क पड़ा हुआ है, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

गुरदासपुर (पंजाब) में औद्योगिक बस्तियां

†३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के गुरदासपुर जिले में कितनी औद्योगिक बस्तियां बनाने का प्रस्ताव था ;

(ख) क्या उनमें से कोई बस्ती उस क्षेत्र में पड़ती है, जिस को ब्यास बांध परियोजना को कार्यान्वित करने के सिलसिले में खाली कराना पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कितनी बस्तियां हैं और उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) औद्योगिक बस्तियां बनाने की योजना में कैसे परिवर्तन करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) ६।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नकली रेशम के धागे की कीमतें

†४. **श्री तन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि देश में नकली रेशम के धागे की निर्धारित कीमत उसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत से अधिक है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कीमतें कम करने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हां ।

(ख) कारण यह है कि नकली रेशम का धागा तैयार करने के लिये आवश्यक कच्चे माल और रसायनों को आयात करना पड़ता है ।

(ग) कारखानों को नकली सिल्क का धागा तैयार करने के लिये आवश्यक कच्चे माल जैसे रेयनग्रेड पल्प और रसायनों के उत्पादन का लाइसेंस देने के अलावा उनसे यह भी कहा गया है कि वे अपनी प्रविधिक कार्य कुशलता बढ़ाने तथा उत्पादन की लागत घटाने के लिये भी उपाय करें ।

नकली रेशम के धागों का आयात

†५. श्री तन सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नकली सिल्क के धागे के आयातकर्त्ता उस धागे को बहुत लाभ पर बेच रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसी बिक्री उनको दिये गये आयात लाइसेंस की शर्तों के विरूद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में सरकार ने अपराधी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाही की ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). आयात किये गये धागे की ऊंची कीमतों के बारे में कुछ आम शिकायतें सरकार के पास आई हैं । आयात किये गये नकली सिल्क के धागे की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है ।

त्रिपुरा में लुग्दी (पल्प) उद्योग

†६. श्री दशरथ देव : क्या वाणज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में, जहां बांस अधिकता से उपलब्ध है, मध्यम पैमाने पर अल्प उद्योग आरम्भ करने की संभावनाओं का पता लगा लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में पता लगाना चाहती है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) कागज उद्योग का विकास गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। त्रिपुरा में इस प्रकार के उद्योग शुरू करने के लिए यदि कोई ठोस योजनायें आयेंगी, तो उन पर अलग-अलग विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अल्प वेतन वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत ऋण

†७. **श्री दशरथ देव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अल्प वेतन समूह आवास योजनाओं के अधीन ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र देने हेतु क्या अपेक्षित योग्यतायें हैं ; और

(ख) क्या आदिम जाति के आवेदनकर्त्ताओं के लिए सरकार नियमों में कुछ छूट देने की बात सोच रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जिन आवेदन कर्त्ताओं की वार्षिक आय ६००० रु० से अधिक न हो और जिनके पास अपने निजी मकान न हों, वे सामान्य रूप से इस योजना के अधीन ऋण सहायता लेने के अधिकारी हैं।

(ख) जी नहीं।

ऋणों का परिहार

†८. **श्री दशरथ देव** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री २१ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये कुछ प्रकार के ऋणों के परिहार के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है।

कागज मिल

†९. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि देश में स्थापित कागज मिलों को बांस और सबलाई घास आदि जैसे कच्चे माल की कमी पड़ रही है ;

(ख) क्या सरकार को कागज मिलों की इस मांग का भी ज्ञान है, जिसका समर्थन प्रशुल्क आयोग ने भी किया है, कि इन मिलों को बनों का दीर्घकालीन पट्टा दे दिया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाया है या उठाने जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) राज्य सरकारों से कहा गया है कि पल्प तथा कागज मिलों को वे निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करें :—

(१) दीर्घकालीन आधार पर वनों का पट्टा दे दें।

(२) रायल्टी की समुचित दरें निर्धारित कर दें।

(३) बांस के पेड़ तथा पल्प बनाने योग्य लकड़ी की तेजी से उगने वाली किस्म के पेड़ लगाने के लिए कागज मिलों को सुविधायें दें।

अशोक होटल लिमिटेड की शाखायें

†१०. **श्री माते** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अशोक होटल की नयी शाखायें खोलना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नारियल जटा का सामान बनाने वालों को कठिनाइयां

†११. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है कि नारियल जटा से "मैटिंग" बनाने वालों को भाड़े तथा जगह की कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इसी कारण कई कारखानों में नारियल जटा से "मैटिंग" बनाने का काम बिल्कुल बन्द हो गया है ; और

(ग) इस दिशा में सरकार उनकी मदद के लिए क्या करना चाहती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) नारियल जटा की चटाइयों आदि ('मैट्स' और 'मैटिंग्स') पर लिये जाने वाले नौवहन भाड़े की दर को कम करने के प्रश्न पर सम्बन्धित कान्फ्रेन्स लाइन्स से बातचीत की जा रही है। इस समय अपेक्षित स्थान (जहाज में) पाने में कुछ अधिक कठिनाई नहीं होती।

महाराष्ट्र में औद्योगिक लाइसेंस

†१२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में महाराष्ट्र में व्यक्तियों तथा फर्मों के कितने लाइसेंसों के लिए आवदन पत्र आये और इनमें से विदर्भ क्षेत्र से कितने आवेदन पत्र आये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें में कितनों को लाइसेंस दिये गये ;

(ग) अभी तक जिन व्यक्तियों तथा फर्मों को लाइसेंस दिये गये, उनके नाम क्या हैं और उन्हें किस उद्योग के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(घ) कितने आवेदन पत्र नामंजूर किये गये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). १९६१-६२ में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन महाराष्ट्र में कुल १००५ व्यक्तियों तथा फर्मों ने लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिये और उनमें से २८६ को लाइसेंस दिये गये । इनमें से कितने आवेदन पत्र विदभ क्षेत्र से सम्बन्धित थे, यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६२/६२**)

(घ) २९४ आवेदन पत्र नामंजूर किये गये।

महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग

†**१३. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए क्या उपाय किये गये ;

(ख) क्या छोटे पैमाने के विद्यमान उद्योगों का कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का सर्वेक्षण कराया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५**]

श्रीलंका जाने वाले भारतीय फर्मों के प्रतिनिधियों के लिये वीसा

†**१४. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उत्पादनों के लिए बिक्री के आदेश प्राप्त करने हेतु श्रीलंका जाने वाले भारतीय फर्मों के प्रतिनिधियों को पाकिस्तान के उच्च आयुक्त से वीसा प्राप्त करने का आवेदन पत्र देने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है ;

(ख) जब आवेदन कर्त्ताओं के पास मान्य पासपोर्ट होता है, तो इस प्रक्रिया को अपनाने की क्या आवश्यकता है ; और

(ग) अन्य किन देशों के मामले में यह प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) व्यापार सम्बन्धी काम के लिए श्रीलंका जाने वाले भारतीयों को भारत सरकार से अपनी सदाशयता का एक प्रमाणपत्र लेना पड़ता है और श्रीलंका के उच्च आयुक्त को दिये जाने वाले वीसा सम्बन्धी आवेदन पत्र के समर्थन में उसे प्रस्तुत करना पड़ता है। अनुमति के रूप में कोई अनुमति लेनी जरूरी नहीं होती।

(ख) यह श्रीलंका के बीसा जारी करने वाले प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में है।

(ग) यह प्रक्रिया इराक, सऊदी अरब और थाईलैंड के मामले में भी अपनानी पड़ती है क्योंकि इन देशों की सरकारें ऐसा चाहती हैं।

मध्य प्रदेश में उद्योग

†**१५. श्री दाजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ और १९६१-६२ में कितने लोगों को मध्य प्रदेश में उद्योग आरम्भ करने के लिए लाइसेंस दिये गये ;

(ख) उनके नाम क्या हैं और किन उद्योगों के लिए उन्हें लाइसेंस दिये गये ;

(ग) उनमें से कितनों ने उत्पादन शुरू कर दिया है ;

(घ) १९६०-६१ और १९६१-६२ में लाइसेंस के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ; और

(ङ) कितने आवेदन पत्र विचारधीन हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). यह जानकारी समय-समय पर, सरकारी प्रकाशनों में, जैसे कि इस मंत्रालय के वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय द्वारा प्रकाशित उद्योग व्यापार पत्रिका में, छापी जाती है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ईरान के साथ व्यापार

†**१६.** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त।
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१ में ईरान के साथ व्यापार में बड़ी कमी रही ;

(ख) निर्यात का लक्ष्य कितना था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कुल कितनी कमी रही ; और

(घ) इस कमी का क्या कारण था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) निर्यात के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं था ।

(ग) १९६१ में २६.१९ करोड़ रुपये की कमी रही । परन्तु यह कमी १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० की कमी से कम रही जोकि क्रमशः ४९.२४ करोड़ रुपये, २७.२२ करोड़ रुपये, ३१.१९ करोड़ रुपये और २८.०१ करोड़ रुपये थी ।

(घ) इसका मुख्य कारण ईरान से हमारा पैट्रोलियम उत्पादकों का आयात रहा जो कि प्रतिवर्ष ३० से ३५ करोड़ रुपये का रहा ।

चाय का निर्यात

†**१७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में चाय की कमी की बिक्री बढ़ाने में गत तीन वर्षों में (वर्षवार) कितना धन खर्च किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :

वर्ष	राशि
१९५९–६०	४५,७२,७७०.९२ रुपये
१९६०–६१	३०,११,४३८.३९ रुपये
१९६१–'६२	३०,७३,७०८.२० रुपये

दिल्ली में दुकानों का समय

†**१८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में पिछले कुछ समय से दुकानों के खुलने और बन्द होने के लिए निर्धारित समय में कुछ परिवर्तन करने के लिए कुछ नये सुझाव सरकार के पास आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां । नरेला मंडी के व्यापारियों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के सुझाव आये हैं ।

(ख) नरेला में कुछ दुकानों के लाइसेंस बम्बई कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम, दिल्ली में लागू किये गये रूप में, के अधीन दिये हुए हैं । इन दुकानों के काम के घण्टे दिल्ली कृषि उत्पाद बाजार नियमों के नियम ५८ के अधीन बाजार समिति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं । अतः व्यापारियों से कह दिया गया है कि समय बदलने के लिये वे उन

†मूल अंग्रेजी में

अधिकारियों से बात करें जो उक्त अधिनियम के अधीन इस काम के लिए सक्षम हों। दिल्ली दुकान तथा संस्थापन अधिनियम के अधीन समय में कोई फेर बदल करने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा।

, अलग अलग व्यक्तियों से जो आवेदन पत्र आये हैं, उनमें कोई ठोस या विशिष्ट सुझाव नहीं हैं अतः उन पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बर्मा को सूखी 'प्रॉन' मछली का निर्यात

†१९. डा० पू० ना० खान :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूखी प्रॉन मछली के निर्यातकर्त्ताओं की समस्याओं तथा कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए चार व्यक्तियों का कोई प्रतिनिधि मंडल बर्मा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई हल निकाला गया ; और

(ग) इन समस्याओं तथा कठिनाइयों को कैसे दूर किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी हां। जुलाई १९६२ में समुद्री उत्पाद निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल वहां की आयातकर्त्ता एजेंसियों से इस बारे में बातचीत करने गया था कि उस देश में निर्यात होने वाली सूखी प्रान मछलियों के सम्बन्ध में कोई किस्म नियंत्रण उपाय अपनाया जाना चाहिए।

बातचीत के परिणामस्वरूप यह तय हुआ कि यह परिषद् जहाज पर चढ़ाये जाने से पहले भेजे जाने वाले सामान का निरीक्षण करेगी और उनके बारे में प्रमाणपत्र देगी।

रामकृष्णपुरम् में क्वार्टरों का आवण्टन

†२०. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री शिव चरण गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १९ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णपुरम् में क्वार्टरों का आवण्टन कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी क्वार्टरों में सब सुविधायें पूरी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) रामकृष्णपुरम् में बन रहे ४,३१६ क्वार्टरों में से १,२६४ क्वार्टर मई, १९६२ के अन्त में हर दृष्टि से पूरे बन गये थे । उन सब का आवण्टन कर दिया गया है ।

(ख) जी हां, इन सब क्वार्टरों में सब आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

परामर्शदात्री समितियां

२१. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री अनौपचारिक परामर्शदात्री संसदीय समितियों के लिये विभिन्न कार्यों में व्यय के विगत पांच वर्ष के आंकड़े बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् सदस्यों के देश के विभिन्न निर्माण कार्य देखने के लिये, संसद् कार्य विभाग द्वारा आयोजित विगत ५ वर्ष में कुल कितने दौरे हुए ; और

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का इन दौरों पर क्या क्या व्यय हुआ ?

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : संसद्-कार्य विभाग ने देश के विभिन्न निर्माण कार्यों के ज्ञानार्जनार्थ संसत्सदस्यों के ५२ दौरों का आयोजन किया।

अनौपचारिक सलाहकार समितियों के विभिन्न कार्यों में हुए व्यय और संसत्सदस्यों के दौरों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

विगत ५ वर्षों के आंकड़े इकट्ठा करने में लगने वाला समय और श्रम इस से प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

बिहार में शरणार्थियों के लिये मकान

†२२. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि बिहार में मनिहारी गांव में शरणार्थियों के मकान निचली जमीनों पर बनाये गये हैं और इसलिए उन्हें गंगा और कोसी नदियों की बाढ़ से बराबर खतरा बना रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निरन्तर आतंक दूर करने के लिए ऊंची सतह पर ये मकान बनाने की कोई योजनाएं सरकार के पास हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) यह एक निचला क्षेत्र है और यदि असाधारण बाढ़ आये तो यहां के सारे मकान, चाहे वे विस्थापित व्यक्तियों के हों या गैर-विस्थापित व्यक्तियों के हों, बह जा सकते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

भारत नेपाल व्यापार

२३. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल में भारतीय माल और चीनी माल में कड़ी प्रतियोगिता की संभावना उत्पन्न हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इसका भारत-नेपाल व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) .अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

मजूरी बोर्ड

†२५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों में और अधिक मजूरी बोर्ड नियुक्त किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से उद्योग हैं ; और

(ग) अन्तिम निश्चय संभवत: कब किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय म श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग) .कोयला खनन उद्योग के लिए एक मजूरी बोर्ड शीघ्र ही बनाया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा ऋणों की वापसी

†२६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को ५०० रुपये से २००० रुपये तक के छोटे ऋण वापस चुकता करने के लिए कहा गया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को इस ऋण की अदायगी से छूट दे दी गयी है ;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के लिए क्या औचित्य है ; और

(घ) उसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जिन शर्तों के अधीन वे ऋण दिये गये थे, उनके अनुसार वे वसूल किये जा रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कॉफी बोर्ड

†२७. श्री अ० क० गोपालन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड ने अपने प्रचार और विक्रय विभागों को एक में मिला देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निश्चय किया ;

(ग) क्या उस प्रस्ताव के कारण कहवा बोर्ड के किन्हीं कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी ;

(घ) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) कहवा बोर्ड उन विभागों का एकीकरण क्यों चाहता है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ङ) . कॉफी बोर्ड द्वारा अपनायी गयी विक्रय पद्धति का पुनर्विलोकन करने के लिए १९५८ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की थी कि विक्रय और प्रचार विभागों को एक में मिला कर एक निदेशालय संगठित किया जाये । सरकार ने यह सिफारिश मान ली है और बोर्ड ब्यौरे तैयार कर रहा है । अभी इस दशा में यह नहीं बताया जा सकता कि इस प्रस्ताव के कारण, कोई छंटनी करनी पड़ेगी या नहीं ।

सिल्लिमैनाइट का उत्पादन

†२८. श्री अ० क० गोपालन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ट्रावनकोर-मिनरल्स में सिल्लिमैनाइट का उत्पादन भी आरम्भ किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां । सरकार जानती है कि ट्रावनकोर-मिनरल्स लिमिटेड के कारखानों में सिल्लिमैनाइट का उत्पादन हो सकता है ।

(ख) अभी फिलहाल सिल्लिमैनाइट रेत के देश में या दूसरे देशों में कोई मांग नहीं है । जब कभी मांग उत्पन्न होगी, फ्लो-शीट में आवश्यक परिवर्तन करने के बाद उत्पादन आरम्भ कर दिया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जादूगुड़ा खानों में हड़ताल

†२९. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणुशक्ति आयोग की जादूगुड़ा खानों के करीब ५०० कर्मचारियों ने उनकी मांग पूरी न किये जाने के कारण २९ मार्च, १९६२ से हड़ताल की थी ;

(ख) हड़ताल कितनी देर तक चलती रही ;

(ग) उनकी मुख्य मांगें क्या थीं ; और

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगें पूरी तौर से मान ली हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां। जादूगुड़ा खानों के ४०० कर्मचारियों ने २९ मार्च, १९६२ को हड़ताल की थी।

(ख) हड़ताल २९ मार्च से ३ अप्रैल, १९६२ तक, १ अप्रैल को छोड़ कर जो छुट्टी थी, ५ दिनों तक जारी रही।

(ग) उनकी मांगें मुख्यतः मजूरी में वृद्धि, ग्रैचुइटी, बोनस और छुट्टी की मंजूरी, आवासन और कैंटीन की सुविधाओं की व्यवस्था और स्कूल, होस्टल और बाजार बनाने के सम्बन्ध में थीं।

(घ) जादूगुड़ा खानों के सामान्य प्रबन्धक ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ मांगों पर चर्चा की। नतीजा यह रहा कि कुछ मांगें उन्होंने वापस ले लीं और कुछ मांगें मान ली गई हैं और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि बाकी मांगों पर विचार किया जायेगा।

सामूहिक संचार का प्रशिक्षण

†३०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १० मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक संचार प्रणालियों का प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्र स्थापित करने की दिशा मे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए कि भारत की जनता को अब भी देश की और विदेश की खबरों को जानकारी देने के न्यूनतम साधनों की कितनी कमी है, कोई सर्वेक्षण किया जाने वाला है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) फोर्ड फाउन्डेशन के साथ इस मामले पर बातचीत हो रही है।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है लेकिन ऐसा सर्वेक्षण किये जाने की कोई संभावना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखबारों को लाइसेंस आदि का दिया जाना

†३१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये अखबारों को लाइसेंस देने और अखबारी कागज का कोटा नियत करने के मामले में छोटे और मंझले दर्जे के अखबारों के बीच भेदभाव किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह भेदभाव समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं। सभी वर्तमान समाचारपत्रों को दिये जाने वाले अखबारी कागज का हिसाब समाचारपत्र के आकार, औसत पृष्ठ, प्रकाशन की नियमितता और औसत बिक्री संख्या के आधार पर लगाया जाता है। छोटे और मंझले अखबारों के मामले में जिनके लिए एक साल में १०० टन से कम कागज निर्धारित किया गया है, पूरा पूरा कोटा दिया जाता है और सम्पूर्ण मात्रा आयात करने की अनुमति दी जाती है। नये समाचारपत्रों के प्रकाशकों को अपने प्रकाशन के लिए अखबारी कागज की उपलब्धि के सम्बन्ध में आयात व्यापार नियंत्रण संगठन से एक निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। सभी श्रेणियों के अखबारों के लिए अखबारी कागज नियत करने के सम्बन्ध में एकसी नीति बरती जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मीट्रिक बाट

३२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९६२ से सारे देश में मीट्रिक बाटों का प्रयोग अनिवार्य हो जाने पर भी पुराने बाट बहुत से स्थानों पर खुले आम प्रयोग किये जा रहे है;

(ख) उन्हें रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाये गये है और उन्हें क्या दण्ड दिये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) मीट्रिक बाटों का व्यापार में व्यापक रूप स समस्त देश में प्रयोग किया जा रहा हैं। शहरी क्षेत्रों का सारा थोक और अधिकांश खुदरा व्यापार मीट्रिक बाटों से हो हो रहा ह। ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के कुछ असंगठित व्यापारों जैसे फल और तरकारियों के व्यापार में कुछ हद तक पुराने बांट अभी प्रयोग में लाये जा रहे हैं। शहरो और ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने बांटों का प्रयोग लगातार कम होता जा रहा है।

(ख) बांट तथा माप निरीक्षक व्यापारियों को व्यापार में केवल मीट्रिक बाटों का प्रयोग करने के लिये समझाने को बाजारों में जाया करते हैं। व्यापारियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे मीट्रिक इकाइयों में ही मुल्य बताये। व्यापारिक के पास जहां कहीं भी पुराने बाट पाये जाते हैं निरीक्षक उन्हें जब्त कर लेते हैं। बार बार चेतावनी दिये जाने के बाद भी जो व्यक्ति पुराने बांटों का प्रयोग करने

---

†मूल अंग्रेजी में

का हठ करते है उन पर अभियोग चलाया जाता है। जनता तथा व्यापारियों से खरीद बिक्री में केवल मीट्रिक बाटों का ही प्रयोग करने के लिये समस्त देश में एक प्रचार आन्दोलन चलाया जा रहा है।

(ग) अब तक ५८० व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया है। इन में से बहुत से लोगों पर जुर्माने किय जा चुके हैं।

तिब्बत में भारतीय व्यापार अभिकरण

†३३. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत में व्यापार अभिकरण इस बीच बन्द कर दिये गये है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों को इन कार्यों में कई तरह की कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा था; और

(ग) उनको मुख्य-मुख्य कठिनाइयां क्या थीं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) जी हां। १९५४ का चीनी भारतीय व्यापार करार समाप्त हो जाने पर गर्टोक, ग्यांत्से और यातुंग में भारतीय व्यापार अभिकरण बन्द कर दिये गये हैं। यातुंग और ग्यांत्से स्थित व्यापार अभिकर्ताओं को अपने प्रतिष्ठान बन्द करते समय अनेक कठिनाइयां हुई थीं।

(ग) २१ जून, १९६२ और २६ जुलाई, १९६२ को नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को भेजे गये हमारे पत्रों में इनका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। इन पत्रों में भारत सरकार ने तिब्बत से अपने अभिकरण बन्द करते समय भारतीय व्यापार अभिकर्ताओं को चीनी अधिकारियों की ओर से समोचित सहयोग न मिलने का विरोध किया है।

चाय उद्योग

†३४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल (इंडियन चेम्बर आफ कामर्स) की समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री का जुन, १९६२ के चौथे हफ्ते में यह आश्वासन दिया था कि चाय का उत्पादन प्रतिवर्ष ४ लाख पौंड बढ़ाया जा सकेगा बशर्ते कि सरकार बागानों में कृत्रिम सिंचाई के लिये आवश्यक साज सामान आयात करने की अनुमति दे, और

(ख) यदि हां, तो चाय उद्योग की इस मांग के सम्बन्ध में सरकार का क्या निश्चय है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). भारतीय वाणिज्य मंडलों के प्रतिनिधि कलकत्ते में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री से मिले थे। यह विषय ६ जुलाई, १९६२ को कलकत्ते में बोर्ड आफ ट्रेड की बैठक में भी उठाया गया था। चाय बागानों के

†मूल अंग्रेजी में

मालिकों की यह राय थी कि यदि सरकार चाय बोर्ड की उधार-खरीद योजना के जरिये कृत्रिम सिंचाई उपकरण की सप्लाई के लिये ऋण और विदेशी मुद्रा की सहायता देती है, तो वे चाय का उत्पादन अवश्य बढ़ा सकते हैं। सरकार ने यह मंजूर कर लिया है और चाय बोर्ड का यह अधिकार दिया है कि वह अपनी उधार-खरीद योजना में पाइप और फिटिंग आदि सहित कृत्रिम सिंचाई उपकरण की सप्लाई शामिल कर ले। इस मद के कारण रुपये की और अधिक व्यवस्था करने और चाय बोर्ड को अधिक विदेशी मुद्रा देने के प्रश्न पर संबंधित मंत्रालयों के साथ बातचीत की गयी है ।

फलों और सब्जियों आदि का निर्यात

†३५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल और सब्जियों, बिस्कुट और मिठाई आदि के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने एक विशेष "नकद सहायता" योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). फल खाद्य पदार्थ, बिस्कुट और मिठाई की बिक्री बढ़ाने के लिये खाद्य परिष्करण उद्योग से संबद्ध विकास परिषद् को आरम्भ में १ लाख रुपये का अनुदान देना सरकार ने मंजूर किया है।

मशीनी कढ़ाई वाले कपड़े का निर्यात

†३६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनी कढ़ाई वाले कपड़े के निर्यात के विस्तार की काफी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो इस मद के सम्बन्ध में निर्यात बाजार का पूर्णरूपेण लाभ उठाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). कढ़ाई किये हुए कपड़े की मांग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अवश्य है किन्तु भारतीय कढ़ाई किये कपड़े के दाम तेज होने के कारण इस मांग को पूरा करने की भारत की गुंजाइश सीमित है। हमारे कढ़ाई किये गए कपड़े को प्रतियोगी कैसे बनाया जाये, यह प्रश्न विचाराधीन है।

अखिल भारतीय निर्माता संघ

†३७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ का खुला अधिवेशन जून १९६२ के चौथे सप्ताह में बम्बई में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सत्र के क्या मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें की थीं, और

(ग) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) संभवतः अखिल भारतीय निर्माता संघ के २२ वें वार्षिक सम्मेलन का उल्लेख किया जा रहा है जो २३ और २४ जून को बम्बई में हुआ था ।

(ख) सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष एवं सिफारिशें निम्न विषयों के सम्बन्ध में सम्मेलन में स्वीकार किये गये संकल्पों में दी गई हैं :

(१) युरोपीय आर्थिक समाज और भारतीय उद्योग पर इस का प्रभाव;

(२) तीसरी योजना के औद्योगिक लक्ष्यों की सफल कार्यान्विति के लिये पूर्व अपेक्षतायें;

(३) उत्पादकता और वैज्ञानिकन रवैया :

(ग) संकल्पों के तत्व ध्यान में रख लिये गये हैं ।

भारतीय पटसन मिल संस्था

†**३८. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून के चौथे सप्ताह में भारतीय पटसन मिल संस्था के प्रतिनिधियों ने उन से मुलाकात की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या मांगें की थीं; और उन को क्या आश्वासन दिये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंशालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्

†**३९. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधियों ने जून, १९६२ के चौथे सप्ताह से उन से मुलाकात की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं; और उन को क्या आश्वासन दिये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री बनुभाई शाह)** : (क) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधियों के २४ जून, १९६२ को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री से मलाकात की थी ?

(ख) रसायन और संबद्ध उत्पादकों की विशेष निर्यात संवर्धन योजना को सरल करने तथा उदार बनाने के सम्बन्ध में विविध सुझाव दिये गये थे । कुछ सुझाव कार्यान्वित हो चुके हैं । निर्यातकों के पंजीयन की योजना समाप्त कर दी गई है, एक बार पंजीबद्ध निर्यातकों को प्रति वर्ष अपने पंजीयन को नवीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है । प्रोत्साहक लाइसेंस देने की प्रक्रिया सरल कर दी गई है और तेज कर दी गई है । कुछ और सुझाव भी दिये गये थे । जो अभी विचाराधीन । है

†मुल अंग्रेजी में

मैसूर राज्य में शार्क लिवर आयल फैक्टरी

†४०. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में मैसूर राज्य में एक नवीन शार्क लिवर आयल फैक्टरी स्थापित की जाने वाली है,

(ख) इस तेल की प्रति वर्ष की कुल आवश्यकता क्या है; और

(ग) इस समय का उत्पादन कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान ऐंटी बायोटिक्स में स्ट्रैप्टोमाइसिन

†४१. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐंटी बायोटिक्स के स्ट्रैप्टोमाइसिन सन्यन्त्र ने अपनी वस्तुओं का विपणन आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितना माल बाजार में डाला जाएगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

कुल्टी में लाल बाजार विक्टोरिया कोयला खान में दुर्घटना

†४२. **श्री प्रभातकार** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कुल्टी में लाल बाजार विक्टोरिया कोयला खान में एक दुर्घटना हुई,

(ख) क्या यह भी सही है कि जो कर्मकार तीन नंबर गढ़े पर कार्य कर रहे थे, घायल हो गये और मर गये; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां। तीन नम्बर गढ़े पर १७ जून, १९६२ को ।

(ख) एक खनिक घायल हो गया और मर गया।

(ग) दुर्घटना एक खम्भे की ओर से कोयला गिरने के कारण हुई।

दुर्घटना के लिये कोई व्यक्ति उत्तरदायी सिद्ध नहीं हुआ, जो 'दुस्साहस' का काम माना गया है।

हथकरघा बुनकरों के लिये मकान

†४३. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि में प्रत्येक राज्य में हथकरघा बुनकरों के लिये कितने मकान बनाये गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या आवंटन का पूर्ण उपयोग किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कौन राज्य पिछड़े हुए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	पूरे किये गये मकानों की संख्या
१	आन्ध्र प्रदेश	४८६
२	बिहार	कोई नहीं
३	केरल	१००
४	मद्रास	१५६७
५	मैसूर	५०
६	मध्य प्रदेश	कोई नहीं
७	उड़ीसा	९०
८	पंजाब	कोई नहीं
९	राजस्थान	५०
१०	उत्तर प्रदेश	१००
११	पश्चिम बगाल	कोई नहीं
१२	महाराष्ट्र*	१९६

*यह आंकड़े भूतपूर्व अविभाजित बम्बई राज्य के सम्बन्ध में है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल ।

केरल में हथकरघा उद्योग

†४४. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में केरल में हथकरघा उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) तीसरी योजना अवधि में केरल के हथकरघा उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि आवंटित हुई है ; और

(ग) तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में कितनी राशि नियत की गई थी ?

†मूल अग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क)

वर्ष	उत्पादन (सहकारी क्षेत्र)	
	मात्रा (लाख गज़ों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९५९–६० . . .	२४३.२१	१८९.२४
१९६०–६१	२८७.१५	२१०.५८
१९६१–६२	२३१.७५	२०३.०९

(ख) १६५ लाख रुपये ।

(ग) क्रमशः २३ लाख रुपये और २९.१९ लाख ।

केरल में ग्रामीण बेकारी का सर्वक्षण

†४५. **श्री प० कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में ग्रामीण बेकारी का कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की समस्या को हल करने के लिये क्या कारवाई की जा रही है ;

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया तथापि केरल सरकार ने जनवरी-फरवरी १९६२ में बेकारी का नमूने का सर्वेक्षण किया था ।

(ख) केरल सरकार से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई ।

(ग) तीसरी योजना में सम्मिलित विविध विकास योजना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का विकास तथा ग्रामीण निर्माण कार्य क्रम फालतू ग्रामीण जनता का उपयोग करने के लिये बनाई गई हैं ।

निर्माताओं को आयात के लिये सीमाएं

†४६. **श्री विश्वनाथ राय** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माताओं को आयात के लिये खंड सीमाएं (ब्लाक सीलिंग्स) निश्चित करने का आधार क्या है ;

(ख) इस संहिता से विकासोन्मख उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) निर्माणकर्ता उद्योगों के द्वारा पुर्जों, कच्चे माल और फालतू पुर्जों के आयात के लिये सीमाएं (ब्लाक सीलिंग्स) निर्धारित

†मूल अंग्रेजी में

करने का आधार विदेशी मुद्रा की उपलब्धि तथा देशी सम्भरण और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में उद्योग का महत्व है ।

(ख) विकासोन्मुख उद्योगों के साथ कोई विशेष रियायत नहीं की जाती और यदि उन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है तो उतना ही जितना अन्य उद्योगों पर ।

(ग) इन सीमाओं को नियत करते समय इस बात का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है कि उत्पादन पर कुप्रभाव न पड़े किन्तु विदेशी मुद्रा की समूची उपलब्धि को ध्यान में अवश्य रखा जाता है ।

कानपुर की बूट निर्माता फर्में

†४७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि मैसर्स ए० के० ब्रदर्सइ मैसर्स कोहली औद्योगिक निगम, मैसर्स इंडियन सेना व पुलिस उपकरण फैक्टरी, मैसर्स रूबी उद्योग और अन्य बूट निर्माता फर्में, कानपुर, भविष्य निधि, अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम एवं भारतीय रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आतीं;

(ख) इनमें से प्रत्येक फर्म में कितने कितने कर्मचारी हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दावों का निपटारा

†४८. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के दावों के निपटारे के लिये अभी कुछ अर्जियों का फैसला बाकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस काम को बन्द करने में सरकार का कितना समय लगेगा ?

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) १ जुलाई, १९६२ को, विस्थापित व्यक्तियों से प्राप्त ५.०४ लाख अर्जियों में से लगभग ४००० अर्जियों का निपटारा होना बाकी है ।

(ख) आशा है कि अगले कुछ महीनों में बकाया अर्जियों का फैसला कर दिया जायेगा ।

आवास समस्याओं सम्बन्धी गोष्ठी

†४९. **श्री हेम राज :**
श्री हरिविष्णु कामत :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की आवास समस्याओं के सम्बन्ध में हाल में हुए सम्मेलन में क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले गये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सही है कि आदर्श गांव की योजना तथा ग्रामीण आवास योजनाएं, जो केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई हैं, राज्यों द्वारा चलाई गई हैं; और

(ग) यदि उत्तर 'हां' है तो इस को जल्दी करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) ग्रामीण आवास सम्बन्धी गोष्ठी की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं जो मैसूर में जुलाई, १९६२ में हुई थी। **[देखिये परिशिष्ट, १, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ख) जी हां। इस मंत्रालय की ग्राम आवास परियोजना योजना, आसाम, गुजरात तथा जम्मू व काश्मीर को छोड़ कर, सब राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जहां यह रोकी हुई है क्योंकि अभी सम्बद्ध राज्य सरकारों को कुछ प्रारम्भिक बातें पूरी करनी हैं। इन राज्यों से प्रार्थना की गई है कि वे प्रारम्भिक कार्रवाई पूरी करें और यथाशीघ्र योजना को कार्यान्वित करना प्रारम्भ करें।

(ग) गोष्ठी की सिफारिशों में कुछ वे कार्रवाइयां हैं जो योजना की क्रियान्विति को तेज करने के लिए आवश्यक समझी गई हैं।

नई दिल्ली में बंगलों में खाली स्थानों का उपयोग

†५०. **श्री हेमराज :**
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवास समस्या को कम करने के लिए निर्यात कार्य के लिए नई दिल्ली में बंगलों में खाली पड़े स्थानों का उपयोग करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस काम के लिए नई दिल्ली में कितना स्थान उपलब्ध होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). बंगलों के बड़े आंगनों के अंश का अधिक मकान बनाने के लिए उपयोग करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। ब्योरा तैयार किया जाना है।

कुमार घाट त्रिपुरा में कताई मिल

†५१. **श्री दशरथ देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कुमार घाट में एक कताई मिल स्थापित करने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस की क्षमता क्या होगी;

(ग) इसे आरम्भ करने के लिए कितना अनुमानित व्यय होगा; और

(घ) कार्य कब आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन को कुमार घाट में २५,००० तकुओं और ३०० करघों की क्षमता वाला एक कपड़ा मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में एक उपक्रमी से एक योजना प्राप्त हुई है । त्रिपुरा प्रशासन शीघ्र ही योजना को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस लेने के लिये शीघ्र ही आगे भेज रही है ।

(ग) योजना पर १,६२,९३,५०० रुपये का पूंजीगत तथा लगभग ३६,००,००० चालू पूंजी व्यय होने वाली है ।

(घ) योजना का काम उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६१ के अधीन लाइसेंस जारी किये जाने के पश्चात् आरम्भ होगा ।

कुमारघाट, त्रिपुरा में कागज मिल

†५२. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कुमार घाट, त्रिपुरा में एक कागज मिल स्थापित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है; और

(ग) कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

संसद् सदस्यों के लिये फ्लैटों का निर्माण

५३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हेम राज :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ११ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के नार्थ एवेन्यू में प्रतिरक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों से भूमि खाली कराके संसद् सदस्यों के लिये फ्लट बनाने के कार्य में और क्या प्रगति हुई है और कब तक इन फ्लैटों के तैयार हो जाने की आशा है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना : नौर्थ एवेन्यू वाली भूमि, जो इस समय सैन्य परिवहन कम्पनी (आर्मी ट्रांसपोर्ट कम्पनी) के कब्जे में है, अगस्त, १९६२ के मध्य तक खाली हो जायेगी, ऐसी आशा है । तब इस भूमि को साफ किया जायेगा और फ्लैटों के निर्माण का काम शुरू किया जायेगा । आशा है कि ये फ्लैट सन् १९६३ के अन्त तक तैयार हो जायेंगे ।

घड़ियों का आयात

†५४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में घड़ियों (क्लाकों) के आयात के लिए कितने पारपत्र जारी किये गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन में कितनी विदेशी मुद्रा ग्रस्त है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) उन क्लाकों और पुर्जों के आयात के लिए, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, वास्तविक उपभोक्ताओं को चार पारपत्र दिये गये ।

(ख) ४२,५४३ रुपये ।

वर्जीनिया तम्बाकू का निर्यात

†५५. **श्री अ० वा० स्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में अब तक कितनी मात्रा में वर्जीनिया तम्बाकू का निर्यात किया गया;

(ख) निर्यात किये गये तम्बाकू की कुल लागत कितनी है; और

(ग) इस वस्तु से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). वर्ष १९६२ के पहले पांच महीनों में १०७,९७५,६७२ रुपये के मूल्य का २४,५९०,६०० किलोग्राम वर्जीनिया तम्बाकू का निर्यात किया गया ।

बरेली में कृत्रिम रबड़ का कारखाना

५६. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ का कारखाना लगाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : बरेली में कृत्रिम रबड़ के कारखाने के लिये संयंत्र और उपकरण के अधिकांश भाग का आयात किया जा चुका है । इन में से अधिकतर लगाये भी जा चुके हैं । संयंत्र के इस्तेमाल के लिए अपेक्षित रेलवे साइडिंग भी बन कर पूरी हो चुकी है । इस प्रायोजना के लिए अल्कोहल, पानी और बिजली आदि की भी व्यवस्था की जा चुकी है । रहने की बस्ती बनाने तथा अन्य विविध असैनिक निर्माण कार्य प्रोग्राम के अनुसार हो रहा है । प्रायोजना को चलाने के लिए काफी संख्या में विदेशी टेक्नीशियन भारत आ चके हैं । इस प्रकार कारखाने को इस वर्ष के अन्त तक निश्चित रूप से चलाने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

गाजियाबाद का विकास

५७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ३० मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद का विकास करने के लिए इस चाल वर्ष में और कितना ऋण मंजूर किया गया है; और

(ख) पहले जो ऋण दिया गया था उस के द्वारा गाजियाबाद के विकास में कहां तक प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) भूमि अभिग्रहण और विकास योजना (लैंड ऐक्विजिशन ऐंड डैवलपमेंट स्कीम) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को चालू वित्त वर्ष में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, जिन में गाजियाबाद क्षेत्र भी सम्मिलित है, उपयोग के लिए ६० लाख रुपये की राशि उधार दी जानी है।

(ख) ३० सितम्बर, १९६१ को समाप्त हुई तिमाही के लिए प्राप्त प्रगति-रिपोर्ट (अर्थात् अब तक प्राप्त सब से अन्तिम रिपोर्ट) के अनुसार राज्य सरकार ने गाजियाबाद में लगभग ४२२ एकड़ भूमि का अभिग्रहण करने के लिए अधिसूचना (नोटिफिकेशन) दे दी है।

लंका में भारतीयों का आप्रव्रजन

†५८. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका सरकार ने लंका में मद्रास तट से भारतीयों के अवैध आप्रव्रजन को रोकने के लिए मार्गोपायों पर विचार के लिए सरकारी स्तर पर बातचीत करने के लिए भारत सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात और आयात

†५९. **श्री काशी राम गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में क्रमशः कुल कितने मूल्य का निर्यात तथा आयात किया;

(ख) उपरोक्त तीनों वर्षों के लिये क्रमशः इस के व्यापार का और बिना-लाभ प्रतिशतता क्या रही ;

(ग) उसी अवधि में देश के आयात तथा निर्यात व्यापार के कुल मूल्य के सम्बन्ध में उपरोक्त तीन वर्षों में क्रमशः राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये व्यापार की कितनी प्रतिशतता रही ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की गई किस वस्तु पर अधिकतम लाभ हुआ और इन वर्षों में यवह प्रतिशतता क्या रही ; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की गई किस वस्तु पर अधिकतम धन मिला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

उड़ीसा में भारी इंजीनियरिंग संयंत्र

†६०. **श्री गा० महन्ती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष १९६१-६२ में उड़ीसा में एक भारी इंजीनियरिंग संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) क्या प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना तथा श्रम और राजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विदेशों के साथ "लिंक डील"

†६२. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम भारत से निर्यात बढ़ाने के लिये स्वीडन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ट्युनीशिया और जोर्डन जैसे देशों के साथ 'लिंक डील' करेगा ; और

(ख) इन 'लिंक डील' के अन्तर्गत किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम ने भारत से निर्यात बढ़ाने और अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिये स्वीडन, विट्ज़रलैण्ड, फ्रांस, पश्चिम ज़र्मनी, जोर्डन, बेल्जियम, ट्युनीशिया, इटली, आस्ट्रिया और फिनलैण्ड में व्यापार संगठनों से 'लिंक डील' किया है। भारत से निर्यात की वस्तुओं के बारे में संलग्न विवरण में बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

तिब्बत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्री

†६३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५४ के चीन-भारत व्यापार करार के समाप्त होने के बाद भारत सरकार को अपने नागरिकों से तीर्थयात्रा के लिये या अन्य किसी प्रयोजन के लिये तिब्बत जाने के लिये कोई आवेदन-पत्र मिले हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वर्ष १९५४ के चीन-भारत व्यापार करार के समाप्त होने के बाद से कैलाश और मानसरोवर जाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों से कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । भारत सरकार को किसी भी भारतीय व्यापारी से तिब्बत जाने की प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई। यात्रियों को परामर्श दिया गया है कि वर्ष १९५४ के करार के समाप्त होने को ध्यान में रखते हुए करार में व्यवस्थित सुविधायें अब उपलब्ध नहीं हैं । उन्हें, वीसा सहित पासपोर्ट लेने समेत, वे सभी सामान्य औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ेंगी जो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिये करनी पड़ती हैं ।

गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†६४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारें उस धन का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकीं हैं जो उन्हें गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये आवंटित किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी, हाँ, परन्तु कुल मिला कर राज्य सरकारों ने गन्दी बस्तियों को हटाना योजना के अन्तर्गत द्वितीय योजना के पुनरीक्षण आवंटन के १२.९९ करोड़ रुपये का ७८ प्रतिशत खर्च किया है ।

(ख) सरकार इस मामले पर आगे विचार करने से पूर्व योजना में हाल में दी गई ढील, अर्थात् योजना के अधीन दी गई आवास की अधिकतम लागत में लगभग १० प्रतिशत वृद्धि, योजना निधि की गन्दी बस्तियों में सुधार और रैन बसेरे आदि के निर्माण के लिये खर्च किये जाने की अनुमति आदि के परिणाम देखेगी ।

काठमांडू-भारत राजपथ

†६५. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी वर्षा से काठमाँडू-भारत राजपथ (त्रिभुवन राजपथ) क्षति ग्रस्त हो गया है ;

(ख) क्या इस सड़क की, मोटरगाड़ी यातायात के योग्य बनाने के लिये, मरम्मत कर दी गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो मरम्मत पर कितना धन व्यय हुआ ; और

(घ) हमारी सरकार और नेपाल सरकार ने व्यय को किस प्रकार वहन किया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :

(क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) लगभग ३ लाख रुपये ।

(घ) समूची लागत नेपाल में भारत की सहायता से कार्यक्रमों के अधीन उपबन्धित निधि में से दी गई है ।

दिल्ली में सूती कपड़ा मिलें

६६. **श्री कछवाय** :
श्री बड़े :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितनी सूती कपड़ा मिलें हैं ;

(ख) इन मिलों में कितने मज़दूर काम कर रहे हैं ;

(ग) इन में से स्थायी तौर पर बहाल मज़दूरों की संख्या कितनी है ; और

(घ) दिल्ली की कितनी सूती कपड़ा मिलों ने कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू कर ली हैं और उन के नाम क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) चार ।

(ख) २०,४८५

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १३,७६६

(घ) १—दिल्ली क्लौथ मिल्स, दिल्ली ।

२. स्वतत्र भारत मिल्स, नई दिल्ली ।

३. बिड़ला कौटन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स, दिल्ली ।

४. अजुध्या टेक्सटाइल मिल्स, लि०, दिल्ली ।

दिल्ली दुकान तथा संस्थान अधिनियम का उल्लंघन

६७. **श्री क छवाय :**
श्री बड़े :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुकान तथा संस्थान अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये दिल्ली के कितने दुकानदारों को पिछले तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) में दड दिये गये और उनसे कितना जुर्माना वसूल किया गया ;

(ख) इस अधिनियम का उल्लंघन होने के क्या-क्या कारण सरकार के ध्यान में आये हैं ; और

(ग) इसकी रोकथाम के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्रम और रोजगार मत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :

		अभियोग	वसूल हुई रकम
(क)	अप्रैल, १९६२ . . .	४६७	८,८२५
	मई, १९६२ . . .	२२०	१०,३३५
	जून, १९६२ . . .	३९२	८,१८०

(ख) इस प्रकार के उल्लघन होने के मुख्य कारण ये हैं :—

(१) कानून से अनभिज्ञ होना ।

(२) ज्यादा कमाने की इच्छा और कानून की लापरवाही ।

(ग) उल्लंघनों की रोकथाम के लिये निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :—

(१) व्यापारियों को इस बारे में समुचित जानकारी हो, इसके लिये कोशिश की जा रही है ।

(२) कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है ।

(३) मामलों को जल्द निपटाने के लिये चलते-फिरते न्यायालय कायम किये गये हैं ।

मकान बनाने के लिये ऋण

†६८. **श्री काशीराम गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) निम्न आय वर्ग और (२) मध्य आय वर्ग श्रेणी के अधीन जिन लोगों को ऋण दिये गये हैं, उन की भुगतान क्षमता निर्धारित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और अन्यों की भुगतान क्षमता निर्धारित करने में कोई अन्तर है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख) निम्न आय-वर्ग आवास योजना (जो उन लोगों के लिये है जिन की आय ६००० रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है) में मकान (भूमि समेत) की लागत का ८० प्रतिशत तक मकान-निर्माण ऋण दिया जाता है परन्तु यह ८००० रुपये से अधिक नहीं है और मध्य आय-वर्ग आवास योजना के अधीन (जो ६००१ रुपये से १५००० रुपये प्रतिवर्ष आय वाले व्यक्तियों पर लागू होती है), २०,००० रुपये का ऋण दिया जाता है चाहे आवेदन-कर्ता सरकारी कर्मचारी हों या नहीं। इन अधिकतम सीमा में राज्य सरकारें मामले के सभी पहलू पर विचार करके प्रत्येक व्यक्ति को दिये जाने वाले ऋण की वास्तविक राशि निर्धारित करती हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल में मोनाजाइट उद्योग

†६९. **श्री प० कुन्हन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मोनाज़ाइट उद्योग में विवाद के फलस्वरूप केरल राज्य के चावरा, करुणागप्पिल्ली क्षेत्रों में गंभीर रूप से बेरोजगारी की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद के फलस्वरूप कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए ; और

(ग) बेरोजगारी दूर करने और मोनाज़ाइट उद्योग में विवाद सुलझाने के लिये सरकार द्वारा क्या अल्प-कालीन और दीर्घकालीन उपाय किये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) केरल राज्य मे मोनाजाइट उद्योग में कोई झगड़ा नहीं है। वास्तव में वर्ष १९६१–६२ में पहले के वर्षों की अपेक्षा मोनाजाइट के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विदेशी मुद्रा संसाधन

†७१. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल फेडरेशन ने एक ज्ञापन दिया है जिसमे विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण के मार्गोपाय बताये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ज्ञापन मे दिये गये किसी सुझाव को क्रियान्वित करेगी ; और

(ग) क्या इनको क्रियान्विति से सरकार की सामान्य नीति के विरूद्ध कोई कार्य होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) फेडरेशन ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उसने सुझाव दिया है कि विदेशी मुद्रा बचाने के खयाल से सरकार ऐसे उद्योग स्थापित करने, जिनसे आयात कम किया जा सके और मशीन निर्माण की संभावना को दृढ़ बनाने को प्रोत्साहन दे। फेडरेशन से ठीक प्रस्ताव देने को कहा गया है।

(ग) जो भी कार्यवाही सुझायी गयी है वह सरकार की नीति के अनुरूप है।

मनीपुर में औद्योगिक परियोजनायें

†७२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने और रोजगार देने के लिये मनीपुर में हथकरघा के कुटीर उद्योगों, खादी तथा ग्रामोद्योगों के अतिरिक्त कोई औद्योगिक परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक परियोजनाओं के क्या नाम हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) तृतीय योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों, हस्तशिल्प और रेशम कीट पालन के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के बारे में संलग्न विवरण में बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९]**।

लौह-अयस्क

†७३. **श्री नटराज पिल्ले** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम केवल उच्च श्रेणी के लौह-अयस्क के संभरण पर बल देता है जिससे चुनी हुई खानों से खनन की आवश्यकता है ; और

(ख) क्या इस चुनींदा संभरण के कारण औसत दर्जे का लौह-अयस्क खानों पर जमा हो गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) विदेशी की मांग मुख्यत: उच्च श्रेणी के लौह-अयस्क की होने से, राज्य व्यापार निगम सामान्यत: उच्च श्रेणी का लौह-अयस्क खरीदता है। तथापि, इससे जहां कहीं व्यवहार्य हो, उच्च और निम्न श्रेणी के अयस्क का बहिष्कार नहीं किया जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

निगम द्वारा भारत में इस्पात मिलों को संभरण के लिये बड़ी मात्रा में निम्न श्रेणी का लौह-अयस्क भी खरीदा जाता है ।

(ख) कोई ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा

†७४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत–पूर्व पाकिस्तान सीमा के सीमांकन के बारे मे नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें भारत–पूर्व पाकिस्तान सीमा के सीमांकन के बारे में की गयी प्रगति के बारे में बताया गया है :

विवरण

३१ मई, १९६२ तक भारत–पूर्व पाकिस्तान सीमा के सीमांकन की प्रगति ।

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	कुल लम्बाई	खंभे लगाकर ३१ मई, १९६२ तक पूरा किया गया सीमांकन कार्य
		मील	मील
१	पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान .	लगभग १३४९	लगभग १०६४
२	आसाम–पूर्व पाकिस्तान	लगभग ६२०	लगभग ४११½
३	त्रिपुरा–पूर्व पाकिस्तान . . .	लगभग ५५०	लगभग १८४

अम्लई (मध्य प्रदेश) में कागज मिल

†७५. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५६ में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अम्लई में एक कागज मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारखाना अभी तक स्थापित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां ।

(ख) अभी कारखाना स्थापित नहीं किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) काफी समय तक लाइसेंसधारी संयंत्र तथा मशीनों के आयात के लिये सरकार की संतुष्टि के अनुरूप व्यवस्था नहीं कर सका था। संयंत्र और मशीनों को आयात के लिये वर्ष १९६१ के मध्य में आयात लाइसेंस दिया गया। लाइसेंसधारी ने अब क्रयादेश दे दिये हैं और आशा की जाती है कि वर्ष १९६४ तक मिल में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

जम्मू तथा काश्मीर में परियोजनायें

†७६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने राज्य के वृहत् प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके राज्य के औद्योगिक विकास के लिये परियोजनाओं की एक सीरीज आरम्भ करने के लिये कोई प्रस्थापनायें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्र से कोई सहायता मांगी गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे मे क्या निर्णय किया गया है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ग) और (घ) राज्य सरकारें अपनी औद्योगिक परियोजनाओं के लिये स्वीकृत तरीके के अनुसार केन्द्रीय सहायता की हकदार हैं।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : कुछ समय पूर्व मैंने लद्दाख में चीनियों द्वारा गोली चलाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक महत्वसूर्ण दल के नेता के नाते आपको मेरे कुछ कहने के पूर्व अपनी बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, अब तो आपकी बारी हो गयी . . .

†**अध्यक्ष** महोदय : यह जरूरी नहीं है कि मेरी बारी के बाद आपकी बारी आ जाये। आप बैठ जाइये। कहिये क्या कहना चाहते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिगण की ओर से बड़ा यत्न किया गया है हिन्दी में उत्तर देने का। मुझे उनसे शिकायत नहीं है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं अपने सदस्य महानुभावों से कि वे यदि अधिक से अधिक प्रश्न हिन्दी मे करें तो बहुत भला होगा क्योंकि सभी लोग हिन्दी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनसे अपील करने का आप कोई और अवसर ढूढें, यह अवसर नहीं है। मुझे लगभग १५ स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है। लगभग इतने ही अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यान दिलाना प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। अतः मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्यों को इतने

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के पूर्व आपस में भी परामर्श कर लेना चाहिये । कम से कम एक ही दल के सदस्यों को तो ऐसा करना ही चाहिये ।

निर्धन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा को यह ज्ञात है कि श्री मु० हि० रहमान, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन और श्री विधान चन्द्र राय का देहान्त हो गया । वे तीनों ही भारत के सच्चे सपूत थे । उनकी तपस्या, त्याग, तथा देश की स्वतंत्रता के लिय संघर्ष सभी को विदित है । इनमे से श्री टंडन और श्री राय को उनकी सेवाओं के लिये भारत सरकार की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न प्रदान की गयी थी ।

हम सभी को उक्त नेताओं की मृत्यु से अत्यन्त दुख हुआ है । मुझे विश्वास है कि सभा इनके शोक संतप्त परिवारों को समवेदनायें भेजने के संबंध में मुझसे सहमत होगी ।

अतः सभा उनकी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये कुछ समय के लिये मौन खड़ी होगी ।

इसके पश्चात् सदस्य उनके सम्मान में कुछ समय तक मौन खड़े रहे ।

औचित्य प्रश्न के बारे में

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष पीठ से जिस प्रकार की बात कही है वह अनुचित है, क्योंकि मैंने केवल एक ही स्थगन प्रस्ताव रखा था और वह चीन द्वारा लद्दाख में गोली चलाने की घटनाओं के जारी रहने के विषय में है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लद्दाख में चीनियों द्वारा अतिक्रमण के संबंध में अनेक सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं । कुछ स्थगन प्रस्ताव पिछले चार महीनों में हुई रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में हैं । तथापि हमारी कार्यसूची पर मंत्रियों द्वारा कुछ वक्तव्य भी रखे गये हैं अतः इन स्थगन प्रस्तावों पर उन वक्तव्यों के बाद विचार किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : लद्दाख की स्थिति के संबंध में हमें गम्भीर चिन्ता है ।

†**श्री प्र० के० देव** : प्रधान मंत्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा करने का यह तात्पर्य होगा कि सरकार की निन्दा करने का यह अवसर जाता रहेगा । हमारे लिये यह इस बात का उचित अवसर है कि हम सरकार की इस आधार पर निन्दा करें कि वह देश की अखंडता और प्रतिष्ठा कायम नहीं रख सकी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य को सरकार की निन्दा ही करनी अपेक्षित थी तो वह निन्दा प्रस्ताव रख सकते थे ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मेरा सुझाव है कि यदि हम सीमा विवाद का संगठित रूप से सामना करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये कि विदेशों में यह भ्रांति पैदा हो कि सीमा विवाद के संबंध में सरकार और विरोधी पक्ष में एका नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : हमने यह स्थगन प्रस्ताव देश की सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिये रखा है तथापि एक सदस्य हम पर अनुत्तरदायिता का आरोप लगा रहे हैं।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : श्री मुकर्जी ने हमें लक्ष्य कर जिस प्रकार उपदेश दिया है वह आपत्तिजनक है, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाने के लिये यहां जो कुछ करते हैं उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मदसौर) : श्री ही० ना० मुकर्जी उस दल की ओर से बोल रहे हैं जिसने सदैव चीन का पक्ष लिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई औचित्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। हां किसी प्रश्न पर पारस्परिक मतभेद हो सकता है। प्रत्येक को अभिव्यक्ति की स्वतत्रता है अत: हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मुझे एक अन्य सूचना प्राप्त हुई है। कार्य मत्रणा समिति की बैठक चार बजे होनी निश्चित हुई है। जो माननीय सदस्य किन्हीं विषयों में चर्चा करना चाहते हों वह मेरे कक्ष में आ सकते हैं। वहां सरकार का प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खनिज रयायत (द्वितीय संशोधन) नियम, १९६२

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक २६ मई, १९६२ के अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१८ में प्रकाशित खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय म रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २२०/६२]

भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, १९६२

(१९६२ का संख्या ३)

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं सविधान के अनुच्छेद १२३ (२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत २० जुलाई, १९६२ को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश १९६२ (१९६२ का सख्या ३) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४७/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश १९६२

भारत के राज्य व्यापार निगम नई दिल्ली की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा निगम के कार्य पर सरकार की समीक्षा

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २० जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या ८/२६/६२—आयात में प्रकाशित अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४८/६२]

(२) (क) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ क की उपधारा (१) के अन्तर्गत भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २४९/६२]

प्रशुल्क आयोग अधिनियम के अधीन सरकारी संकल्प तथा वर्ष १९६१–६२ के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २३ जून, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या ७(१) मेट/६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २५०/६२]

(दो) वर्ष १९६१–६२ के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड की गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २५१/६२]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**श्री हजरनवीस** : मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम मंत्री श्री हाथी की ओर से निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ को फलों तथा वनस्पति परिरक्षण उद्योग पर लागू करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १६ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० दिनांक ७८६।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २५२/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) योजना, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २५३/६२]

चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लायसेंस देना) संशोधन नियम

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): मैं खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री थामस की ओर से चावल कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम १९५८ की धारा २२ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ७ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९१४ में प्रकाशित चावल कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी० २५४/६२]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) वित्तीय संशोधन नियम १९६२ तथा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ के अधीन अधिसूचनायें

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री पू० शे०नस्कर):** मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५० में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २३५/६२]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) एक्ट १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक २३ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८४५।

(दो) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८८४।

(तीन) दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९५२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २५५/६२]

केरल विधान सभा के सामान्य निर्वाचन का प्रतिवेदन

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन):** मैं श्री विबुधेंद्र मिश्र की ओर से केरल विधान सभा के सामान्य निर्वाचन का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २५८/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मैं २१ मई, १९६२ को सभा को दी गई अंतिम प्रतिवेदन के बाद संसद की दोनों सभाओं द्वारा गत सत्र में पारित किये गये और राष्ट्रपति की अनमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२

(२) वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२

(३) भेषज (संशोधन) विधेयक, १९६२

(४) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६२

(५) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६२

(६) राष्ट्रपति को पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२

मैं २१ मई, १९६२ को सभा को दी गई अन्तिम प्रतिवेदन के बाद संसद् की दोनों सभाओं द्वारा गत रात्र में पारित किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६२ की एक प्रति राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, मैं २८ नवम्बर, १९६१ को सभा पटल पर श्वेत पत्र सख्या ५ रखा था। उस श्वेत पत्र में भारत सरकार और चीन सरकार के बीच बाद में आये गये नोट्स (टिप्पण) ज्ञापन और पत्र सम्मिलित थे। अब मैं एक दूसरा श्वेत पत्र संख्या ६ सभा पटल पर रख रहा हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २५६/६२**]। इसमें १० नवम्बर, १९६१ के बाद चीन सरकार को भेजे गये हमारे लगभग ९० नोट्स और चीन सरकार द्वारा भेजे गये लगभग ७५ नोट्स सम्मिलित हैं। इनमें से कई समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हो चुके हैं। चीन सरकार कभी कभी हमको भेजे जाने वाले अपने पत्रों और नोट्स को हम तक पहुंचने से पहले भी प्रकाशित कर देती है। इसलिये हमने भी अपने उत्तरों को कुछ पहले प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। पहले हम ऐसा नहीं करते थे। राजनयिक प्रथा के अनुसार, सामान्यतया ऐसे पत्रों और नोट्स का प्रकाशन उनके मिलने के बाद ही किया जाता है। हमने इस राजनयिक प्रथा की ओर चीन सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और आशा है कि वह भविष्य में इस प्रथा का पालन करेगी। हमने इसी कारण चीन सरकार को भेजे गये २६ जुलाई, १९६२ को अपने अन्तिम नोट को प्रकाशित नहीं होने दिया है। मैं अब उसे सभा पटल पर रख रहा हूं। श्वेत पत्र संख्या ६ में यह सम्मिलित नहीं है ।

मैंने संसद् के पिछले सत्र में बताया था कि चीन को भारतीय राज्य क्षेत्र में और आगे न बढ़ने देने के लिये सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं। हमारी सरकार के वे प्रयत्न जारी हैं और कई सैनिक चौकियां भी स्थापित की गई हैं। विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई इन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अनेक सैनिक चौकियों के कारण, अब चीन सरकार की सेनाओं के लिये बिना किसी मुठभेड़ के और आगे बढ़ाना काफी मुश्किल हो गया है। चीन सरकार ने हमारे पास इतने सख्त और एक तरह से गाली गलोज से भरे जो नोट्स भेजे हैं, उनको हमें इस नयी परिस्थिति के साथ रखकर देखना चाहिये। हमें इसी दृष्टभूमि में उनकी व्याख्या करनी चाहिये। हमने अपने सब नोट्स में चीनी अधिकारियों से बार बार उन की आक्रमणात्मक कार्यवाइयों के खतरों का उल्लेख किया है और उन को बताया है कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारा दृढ़ निश्चय है यद्यपि हम झगड़े को होने से रोकने का प्रयत्न करेंगे।

हाल के सप्ताहों में अधिक संख्या में चीनी सेनाएं कई बार हमारी चौकियों के बिल्कुल पास तक उन को परेशान और हैरान करने की दृष्टि से आए। ऐसा गाल्वान घाटी में हुआ है हमारे सैनिकों ने अत्यन्त संयम रखा और चीनी सेनाओं के द्वारा अत्याधिक उत्तेजित किये जाने के बावजूद भी आदर्श, उत्साह एवं धर्य का प्रदर्शन किया। तदुपरांत चीनी सेनाएं कुछ सीमा तक पीछे हट गई, किन्तु इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाएं बिल्कुल समीप हैं यद्यपि इस क्षेत्र में अभी तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई।

चिप चैप घाटी की निचली तराई में, एक भारतीय गश्ती दस्ते पर, जो अपना नियमित दैनिक कार्य कर रहा था, चीनी सैनिकों ने धावा कर दिया और राइफल, मशीन गन तथा मौर्टर आदि से गोली चलाई। हमारी सेनाओं को आत्मरक्षा में गोली का उत्तर गोली से देना पड़ा। इस घटना में भारतीय दस्ते के दो सैनिक घोयल हो गए, एक को थोड़ी सी चोट आई। दूसरी घटना पांगोई क्षेत्र में हुई। उत्तेजना के बावजूद हमारी सेनाओं ने वहां चीनी सैनिकों पर गोली नहीं चलाई।

इन घटनाओं के बारे में चीनी प्रचार की एक चाल यह आरोप लगाने की रही है कि भारतीय दस्तों ने चीनी सेनाओं को चारों ओर से घेर कर उन पर गोली चलाई है, जब कि चीनियों ने चिल्लाकर हमारे सैनिकों से आक्रमण न करने के लिये कहा है। हम ने देखा है कि ये आरोप निराधार हैं और हमारी चौकियों या गश्ती दस्तों के विरुद्ध चीनी लोगों की आक्रमणात्मक कार्यवाई को छिपाने का केवल प्रयत्न है। जैसा कि सभा को श्वेत पत्र में दिये गये पत्र व्यवहार से पता चलेगा, चीनी नोटों में दोतरफा रुख अपनाया गया है। नोट के पहले भाग में सामान्यतः निराधार आरोप लगाये गये हैं, अधिकतर बढ़ा चढ़ा कर तथा गाली गलौच की भाषा में, तथा उत्तर भाग में चीनी लोगों को यह इच्छा दर्शाई गई है कि वे शान्तिपूर्ण बातचीत के द्वारा हमारे सीमा संबंधी विवादों का निपटारा करना चाहते हैं।

लद्दाख क्षेत्र में अभी हाल में जो तनाव बढ़ा है उसका कारण यह है कि उस क्षेत्र में चीनी सैनिक हलचलों में वृद्धि हुई है, यह बात चीनियों की उस उदघोषणा के प्रतिकूल है जो कि उन्होने इस प्रश्न को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के संबंध में व्यक्त की थी। हम भारतीय स्वभाव एवं परम्परा से ही शांति प्रिय हैं। हम बातचीत और चर्चा द्वारा मतभेदों के निपटारे में विश्वास करते हैं। अतः चीनियों द्वारा इस अप्रत्याशित आक्रमण से हमें अत्यधिक आश्चर्य और दुख हुआ। चीन के इस आक्रमक रवैये और उनकी उद-घोषणा तथा व्यवहार में अंतर होने के बावजद भी हम चीन से अपने मतभेदों को पारस्परिक चर्चा व बातचीत के द्वारा निपटाना चाहते हैं, तथापि साथ ही हम अपनी क्षेत्रीय अखंडता

पर किसी प्रकार के अतिक्रमण का सामना दृढ़ता और आवश्यकता होने पर, बल प्रयोग द्वारा करने से भी नहीं हिचकेंगे।

चीन सरकार को १४ मई, १९६२ को भेजे गये एक नोट में, इस उद्देश्य से कि इस प्रश्न का शांतिपूर्वक बातचीत द्वारा हल हो सके, हमने यह ठोस सुझाव रखा था कि दोनों पक्ष लद्दाख क्षेत्र में उस सीमा पर हट जायें जिसका कि उन्होंने दावा किया है। चीन इस पर तैयार नहीं हुआ। इसके बावजूद पिछले कुछ महीनों में हुई वारदातों से तनाव में वृद्धि हुई है। हमने अभी हाल में २६ जुलाई, १९६२ को भेजे गये अपने एक नोट में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा तनाव को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा उनसे भारत द्वारा रखे गये ठोस सुझावों को अमल में लाकर सीमा विवाद के शांतिपूर्ण हल के लिये आवश्यक वातावरण तैयार करने पर पुनः बल दिया। मैं भारत सरकार द्वारा २६ जुलाई को भेजे गये नोट से निम्नलिखित पैरा उद्धृत करता हूं :—

> "पैराग्राफ ८ वर्तमान तनाव कम होने और उचित वातावरण के बनने पर भारत सरकार, भारत–चीन सीमा के प्रश्न पर अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर आगे चर्चा करने के लिये तैयार है, जैसा कि भारत के प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री श्री चाउ-एन-लाई की १९६० में हुई बैठक में तय हुआ था। भारत सरकार आशा करती है कि चीन सरकार वर्तमान तनावों को कम करने और बातचीत के लिये उचित वातावरण बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करेगी।"

हमारे इस पत्र का उत्तर हमें कल शाम को प्राप्त हुआ। यह उत्तर बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि चीन सरकार ने अपने आरोपों को दुहराया है और उसका रवैया अब भी वही है जो पहले था। उसने अपने अन्तिम पैराग्राफ में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं :—

> "भारत–चीन सीमा के प्रश्न पर दोनों देशों के अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर आगे चर्चा करने के बारे में भारत सरकार ने अपने पत्र में जो सुझाव दिये हैं उन्हें चीन सरकार स्वीकार करती है। ऐसी चर्चा के लिये पहले से ऐसी शर्तें रखना आवश्यक नहीं है। सच तो यह है कि यदि भारत सरकार चीन के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही बन्द कर दे तो सीमा की स्थिति को लेकर जो तनाव उत्पन्न हुए हैं वे एक दम कम हो जायेंगे। चूंकि, न तो चीन की सरकार और न भारत सरकार ही लड़ाई करना चाहती है और चूंकि दोनों सरकारें सीमा सम्बन्धी विवाद को बातचीत के जरिये शान्तिपूर्ण तरीके से हल करना चाहती हैं, इसलिये भारत–चीन सीमा के प्रश्न पर दोनों देशों के अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर आगे की जाने वाली चर्चा अब और स्थगित न की जाये। चीन सरकार प्रस्ताव करती है कि इस प्रकार की चर्चा शीघ्रातिशीघ्र आयोजित की जाये और यह चर्चा किस स्तर पर हो, किस तारीख को हो, कहां हो और चर्चा सम्बन्धी प्रक्रिया की अन्य बातों को राजनयिक परामर्श द्वारा तुरन्त तय कर लिया जाये। चीन की सरकार आशा करती है कि भारत सरकार इस प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय करेगी और इस पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करेगी।"

[श्री हरि विष्णु कामत]

हम चीन सरकार के इस नोट पर विचार कर रहे हैं और उसे जल्दी ही उत्तर दे देने की उम्मीद रखते हैं। हम संसद् को घटनाओं की जानकारी देते रहेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या १९६० में दिखाये गये नक्शे के अनुसार चीनी लद्दाख की पश्चिमी सीमा में जहां तक बढ़े हैं, वहां तक बलपूर्वक कब्जा किया गया है।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं प्रधान मंत्री से यह बात पूछना चाहता हूं कि क्या चीनी विदेश मंत्री द्वारा स्विटजरलैंड में दिये गये वक्तव्य के उपरांत भी बातचीत का कोई आधार निकल सकता है। तथा क्या २४ तारीख के बाद से लद्दाख में कोई इस प्रकार की घटनायें नहीं हुई?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस विषय पर या तो प्रश्न ही पूछ सकते हैं या इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। माननीय सदस्यों को इन दो में से एक को चुनना है।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, यह सीमा का प्रश्न, लद्दाख का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश के सम्मान का प्रश्न है, देश की सावरेनटी का सवाल है। आए दिन हम देखते हैं कि हमारी भूमि हम से छीनी जा रही है। सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थ रही है। हम इस पर बहस करना चाहेंगे, प्रश्न पूछना नहीं चाहेंगे। प्रश्न अनेकों बार पूछे जा चुके हैं, कुछ निकला नहीं है। सदन की यह इच्छा है कि इस पर बहस हो।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : हमें यथाशीघ्र इस विषय पर चर्चा करनी चाहिये जिससे कि प्रधान मंत्री को सदस्यों की भावनाओं का परिचय मिल सके।

श्री बागड़ी (हिसार) : मैं अर्ज करूंगा कि इससे बड़ा सवाल पार्लियामेंट के सामने कोई दूसरा आ नहीं सकता है। यह ठीक है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया है और इससे हमें कुछ जानकारी मिल गई है। लेकिन सवाल जानकारी का नहीं है। सवाल नीति का है। हम कौन सी नीति अपनायें कि इस देश को बचाया जा सके...

अध्यक्ष महोदय : आप बहस चाहते हैं।

श्री बागड़ी : बहस नहीं, मैं तो सजैशन दे रहा हूं। ऐसी क्या बात हो गई कि दो मिनट में बहस हो गई।

मैं अर्ज कर रहा था स्पीकर साहब, कि मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट का वक्त बड़ा कीमती है। लेकिन अगर हम वक्त दे सकते हैं, मक्खी, मच्छर टैक्सों के वास्ते, तो जो इस तरह के अहम मसले हैं.....

अध्यक्ष महोदय : आप कहें कि आप क्या चाहते हैं?

श्री बागड़ी : हिन्दुस्तान की जो नीति है उसी का यह नतीजा है कि काश्मीर के दो टुकड़े हो गए हैं और एक आजाद काश्मीर बन गया है। अगर यही नीति चलती रही

---

†मूल अंग्रेजी में

लो लद्दाख के भी दो टकड़े हो जाएंगे। इस वास्ते सवाल बहस का नहीं है। हम एड-जर्नमेंट मोशन चाहते हैं और चाहते हैं कि उसको एडमिट किया जाए। कौम को चेतावनी दी जानी चाहिये और पार्लियामेंट को अपने सुझाव देने चाहियें। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक ने कह दिया "अहम् ब्रह्मास्मि" और दूसरे ने कह दिया "तथास्तु"।

†**श्री प्र० के० देव** : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से मेरी इस बात की और भी पुष्टि होती है कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव ही समीचीन होगा, चाहे कुछ हो इस विषय पर तत्काल चर्चा की जाये।

†**श्री फ्रैंक एंथनी** (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : वस्तु स्थिति को देखते हुये इस विषय पर तत्काल सभा में चर्चा की जानी अनिवार्य है।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार प्रार्थना कर चुका हूं....

अध्यक्ष महोदय : आपकी बारी आयगी तो आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर एक मैम्बर साहब को मौका मिल ही जाय।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर बहस होनी चाहिये और बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिय और वह भी हिन्दी में होनी चाहिये। यह हिन्दुस्तान है इंग्लिस्तान नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने स्थगन प्रस्ताव पढ़ लिया है और अब मैं उनको अपना दृष्टिकोण बतला रहा हूं। मैं उनको यह सलाह दूंगा कि यदि वे स्थगन प्रस्ताव के स्थान पर एक चर्चा की मांग करें, तो अधिक अच्छा होगा। इसीलिये मैंने माननीय सदस्यों से कहा है कि वे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो ४ बजे हो रही है, आकर भाग लें और चर्चा की मांग करें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं चर्चा के लिये बिलकुल तैयार हूं। मेरा इरादा यह था कि में आपसे विदेशी मामलों पर चर्चा के लिये एक दिन नियत करने की मांग करूं जिसके दौरान मैं यह मामला उठाया जा सकें। किन्तु एक बात जो मैं स्वीकार नहीं कर सकता यह है कि मैं अपनी चिट्ठियां जो अन्य सरकारों को भेजी जाती हैं, सदन की सलाह लेने के बाद भेजा करूं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मेरा सुझाव है कि चर्चा लद्दाख स्थिति तक ही सीमित रखी जाय और उसके लिये अलग समय रखा जाये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो कार्य मंत्रणा समिति में दिन और समय निश्चित किया जा सकता है।

वित्त मंत्री की हाल की पश्चिमी यूरोप की यात्रा के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं २ जुलाई को, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद् की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने और यूरोपीय आर्थिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

समुदाय की सदस्य सरकारों और ब्रिटेन के साथ बातचीत करने के लिये भारत से यूरोप गया था और २३ जुलाई, १९६२ को दिल्ली लौटा।

परिषद् की बैठक में, जो जेनेवा में हुई थी, चर्चा का मुख्य विषय विकास के संबंध में था। परिषद् के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का व्यापक प्रतिवेदन था, जो उन्होंने स्वयं प्रस्तुत किया था। वहां मैंने जो वक्तव्य दिया था, उसकी एक प्रति मैं सभा पटल पर रखता हूं, जिसमें सहायता और व्यापार की दो समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया था। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २५७/६२]

जेनेवा के बाद मैंने ब्रिटेन, ब्रुसेल्ज, लक्सम्बर्ग, नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली गया था। वहां के प्रधान मंत्रियों और विदेश मंत्रियों से बातचीत की और हमारी आर्थिक समस्याओं, विदेशी सहायता और निर्यात आय बढ़ाने के बारे में संबंधित मंत्रियों से बातचीत की।

अपने दौरे के दौरान मैंने देश की विकासात्मक प्रपजो का उल्लेख किया और सभी यूरोपीय देशों में सहायता करने की भावना पाई। बहुत सी सरकारों ने बताया कि वे किस हद तक हमारी सहायता कर सकती हैं।

उसके बाद विश्व बैंक संघ की बैठक हुई है। इटली, नेदरलैंड, बेल्ज्यिम और आस्ट्रिया अब संघ के सदस्य बन गय हैं। उन्होंने जितने ऋण का वचन दिया है और संघ के पुराने चार सदस्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने जो वचन दिये हैं, हमारी योजना के पहले दो वर्षों के लिय संघ के द्वारा विदेशी सहायता की कुल रकम ११२६ करोड़ रुपय हो जायगी, जो ११६२ करोड़ रुपये के लक्ष्य से केवल ३८ करोड़ रुपये कम है। यह कमी और भी पूरी हो जायगी, जब अमेरिका तथा अमेरिका से भिन्न और देशों से अतिरिक्त ऋण प्राप्त होंगे। पहले वर्षों की सहायता के अतिरिक्त, आगे के वर्षों के लिये भी सहायता के हमें कुछ अनुमान है।

मैं पहले भी भारत सरकार की ओर से उन बहुत से देशों का जो हमारी सहायता करते रहे हैं, धन्यवाद दे चुका हूं। और अब दोबारा देता हूं। विश्वबैंक ने और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने इस संबंध में हमारी विशेष सहायता की है।

किन्तु मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इन ऋणों से हमारी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां दूर नहीं हो जायेंगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमें आयात कम करने और अनधिकृत विदेश यात्रा रोकने के लिये सख्त कदम उठाने पड़े हैं। इनका प्रभाव कुछ समय बाद मालूम पड़ेगा। इस बीच हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार पर काफी दबाव रहा है। हमने ९ जुलाई, १९६२ को एक साल के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के साथ १००० लाख डालर तक की राशि के लिये समझौता किया है। इस समझौते के अन्तर्गत, अभी तक हमने २५० लाख डालर लिये हैं। हमारा इरादा यह है कि हम इस प्रबन्ध का कम से कम प्रयोग करें। यह रकम ३ वर्षों की अवधि में वापस की जानी है। इन परिस्थितियों में हमें अपनी आयात आवश्यकताओं पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। हमें यह भी प्रयत्न करना पड़ेगा कि इस सहायता के अधिकांश भाग परियोजनाओं की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं के स्थान पर संधारण आवश्यकताओं के लिये प्रयोग किया जाय।

अन्त में विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां निर्यात आये बढ़ा कर ही दूर की जा सकती हैं। संधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त, हमने जो ऋण लिये हैं, उनकी वापसी निर्यात बढ़ाने से ही हो सकेगी। निर्यात बढ़ाने का मुख्य प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा, किन्तु औद्योगिक रूप से उन्नत देश व्यापार, आयात शुल्क आन्तरिक करके और अन्य प्रतिबन्धों को दूर करके भी हमारा काम आसान बना सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने साझा बाजार के देशों से, जिनके साथ हमारा व्यापार अधिक नहीं है, अपने उत्पादों के लिय रियायतें लेने की कोशिश की है इस बात से कि ब्रिटेन, जिसके अन्दर हमारा उत्पाद निःशुल्क जा सकता है, समुदाय में शामिल होने की बातचीत कर रहा है, हमारे लिये नई कठिनाइयां पैदा कर दी हैं।

श्री डंकन सैंडज के दौरे के दौरान में हमें बताया गया था कि ६ देशों का गुट इस विषय पर क्या सोच रहा है। चूंकि जो चित्र उन्होंने खींचा, वह बिल्कुल असन्तोषजनक था, इसलिये मैं इस सुझाव से सहमत था कि मैं स्वयं उन देशों की सरकारों को अपनी समस्यायें समझाऊं।

अब वे ६ देश यह मानते हैं कि ब्रिटन के प्रवेश के शीघ्र बाद भारत, पाकिस्तान और लंका के साथ भविष्य में अपने व्यापार का विनियमन करने के लिये और ब्रिटेन तथा संघ के कुछ सदस्य देशों के साथ वर्तमान व्यापार करार को प्रतिस्थापित करने के लिये एक विशेष करार किया जाना चाहिये। इस रचनात्मक दृष्टिकोण का हम स्वागत करते हैं। यह उचित है कि जब ब्रिटेन संघ में शामिल हो जाय, तो भारत तथा संघ के बीच व्यापार की शर्तें भारत स्वयं तय करे।

यह भी मान लिया गया है कि ब्रिटेन के प्रवेश की तिथि से हमारे कुछ उत्पाद को निःशुल्क जाने दिया जाये। दुर्भाग्यवश अब तक ऐसी वस्तुएं बहुत कम हैं, जिनका हम निर्यात करना चाहते हैं। हमें न केवल चाय, गरम मसाला और काजू जैसी बुनियादी उत्पादों और कच्चे माल की चिन्ता है, बल्कि कुछ तैयार किये हुये माल की भी है, जैसा कि वनस्पति तेल, हाथ करघे का कपड़ा, सूती कपड़ा आदि।

मैं मानता हूं कि बातचीत के दौरान में हमारे बहुत से महत्वपूर्ण उत्पादों को शुल्क से मुक्ति न मिल सके। हम अपने व्यापार करार की बातचीत के समय इस प्रश्न की चर्चा करने के लिये तैयार रहेंगे। किन्तु हम आशा करते हैं कि इन प्रबन्धों में ब्रिटेन के साथ हमारे निःशुल्क व्यापार को और विकसित होने वाले देशों के बीच भेदभाव की अवांछनीयता को ध्यान में रखा जाएगा। मुझे जिस बात से चिन्ता हुई है कि ब्रिटेन के समुदाय में शामिल होने के बाद निःशुल्क लिये जाने वाले उत्पादों की सूची बहुत छोटी है, यह प्रस्ताव किया जाता है कि सांझा बाहरी प्रशुल्क ब्रिटेन के शामिल होने की तिथि से अवस्थावार लागू हो जाये। इसका अर्थ यह होगा कि हमारे बहुत से निर्यातों के लिये नये प्रतिबन्ध लागू हो जायेंगे। इनका हमारे व्यापार और हमारी विकास योजनाओं पर बहुत गम्भीर प्रभाव पडेगा। मैंने सब सरकारों से कह दिया है कि जब तक हम बड़े समुदाय के साथ व्यापार करार न कर लें, कम से कम ब्रिटेन में हमारे उत्पादों को निःशुल्क जाने दिया जाये। साथ ही मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि ऐसे प्रबन्ध से ६ देशों के उद्योगों को कोई नुकसान हुआ, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो हम उस नुकसान को रोकने के लिये निर्यात कम करने के उपाय करने के लिये तैयार होंगे।

जिन देशों में मैं गया था, उन सबमें हमारे निर्यात बढ़ाने के प्रति सहानुभूति थी। मेरे वापस आने के बाद, प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि मूल प्रस्तावों में कुछ सुधार किया गया

[श्री मोरारजी देसाई]

है। साथ ही, वे प्रबन्ध हमारे आवश्यक दृष्टिकोण के पूर्णरूप से अनुकूल नहीं हैं। अभी मेरे सामने पूरा चित्र नहीं है। इस विषय पर अगले महीने के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जायेगा।

उस समय तक स्थिति और भी स्पष्ट हो जायेगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि राष्ट्रमंडल के अमीर देशों के विपरीत, हम ऐसी व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हो सकते, जिससे हमारा व्यापार वर्तमान स्तर पर बना रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य यह होगा कि हम अपना व्यापार बढ़ायें, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने विकास के लिये विदेशी सहायता पर निर्भरता को दूर कर सकें।

डुमरांव में हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं बड़े दुःख के साथ २१ जूलाई को डूमरांव स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य देता हूं।

उस रात को ९ बज कर ५० मिनट पर ६ डाउन अमृतसर हावड़ा मेल गाड़ी जिसे मुगलसराय-पटना दुहरी-लाइन सैक्शन के डुमराव स्टेशन से हो कर गुजरना था, एक माल गाड़ी से टकरा गई जो मेन लाइन पर खड़ी हुई थी। इस दुर्घटना के फलस्वरूप ६६ व्यक्ति तुरन्त घटना-स्थल पर ही मर गये और ५ बाद में मर गये। इन के अतिरिक्त ७७ अन्य व्यक्तियों को चोटें आई, इन में से २८ को प्राथमिक चिकित्सा सहायता के बाद घर भेज दिया गया।

दोनों गाड़ियों के इंजन टूट फूट गये थे। पहली चार बोगियां एक दूसरे में घुस गई थीं और उनके बाद की दो बोगियाँ पटरी से उत्तर गई थीं। शेष ६ बोगियां पटरी पर खड़ी रहीं।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही सहायता और चिकित्सा गाड़ियाँ दीनापुर और मुगलसराय से रवाना कर दी गई थीं। बक्सर के सहायक सर्जन ने सहायता का काम तुरन्त शुरू कर दिया था। स्थानीय डाक्टर डुमराव राज अस्पताल, बक्सर और आरह अस्पतालों के डाक्टर आधी रात तक पहुंच गये थे।

दीनापुर और मुगलसराय से सहायता गाड़ियाँ आधी रात के बाद पहुंच गई थीं। घायलों को डुमरांव राज अस्पताल में पहुंचाया गया था।

श्री शाहनवाज़ खां ने २२ जुलाई, को घटना-स्थल और अस्पतालों में घायलों को देखा।

उन व्यक्तियों को छोड़ कर जो बाद में अस्पतालों में मर गये थे, ४९ व्यक्तियों को दाखिल किया गया, जिन में से १९ को ५-८-६२ को भेज दिया गया था। शेष ३० अच्छे हो रहे हैं।

दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को खाद्य सामग्री, चाय, पीने का पानी, आदि तुरन्त उपलब्ध किये गय। घायलों तथा मृतकों के सम्बन्धियों की तुरन्त आवश्यकताएं पूरा करने के लिये ३१,७०० रुपये का अनुग्रहीत भुगतान किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्घटना के कारणों की जाँच करने के लिये श्री विशन नारायण की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग नियुक्त किया गया है। अन्य सदस्यों में से एक लोक सभा का सदस्य है। आयोग द्वारा अपराधी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। मुआवजे के दावों का फैसला करने के लिये एक तदर्थ दावा आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : मेरा स्थगन प्रस्ताव केवल डुमरांव दुर्घटना के बारे में नहीं था, बल्कि पिछले ४ महीनों की कई दुर्घटनाओं के बारे में था। जिनमें २०० व्यक्ति मारे गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियमों के अन्तर्गत मैं इस की मंजूरी नहीं दे सकता। माननीय सदस्य कोई और तरीका अपना सकते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, प्वाएंट आफ आर्डर—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहाँ तक इस भयंकर रेल दुर्घटना का सम्बन्ध है और उस की जाँच का सम्बन्ध है यह तो ठीक है कि मंत्री महोदय ने बतलाया है कि जाँच कार्य सम्पन्न होने जा रहा है लेकिन यह सिरीज आफ ट्रेन ऐक्सीडेंट्स के बारे में यहाँ हाउस में डिबेट होने के लिये विधि के अनुसार मैंने आप से एक मांग भी की है लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक समय ऐसा भी था जब ट्रेन ऐक्सीडेंट्स होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स अपनी जिम्मेदारियों का अहसास करके इस्तीफा दे देते थे और एक वक्त आज है जब कि इस प्रकार की चीजें होती हैं और गवर्नमेंट की ओर से कोई अहसास नहीं किया जाता . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। इस में प्वाएंट आफ आर्डर क्या हुआ ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : विधान के अनुसार मैंने इस विषय पर विवाद माँगा हुआ है और . . .

अध्यक्ष महोदय : इस में कोई प्वाएंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्वाएंट आफ आर्डर यह है कि लोक सभा का जो आपका प्रोसीज्योर है उस के हिसाब से मैंने विवाद माँगा है। उस पर आप की क्या व्यवस्था है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का पता लीजिये लेकिन यह प्वाएंट आफ आर्डर कैसे हो गया ? दोनों में आपको डिस्टिंगविश करना चाहिये। अब जो साहब यह चाहते हैं कि इस बारे में हाउस में डिस्कशन जल्दी हो तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब ४ बजे आज एक कमेटी हो रही है तो वे साहब जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं वह वहां पर आ जायं और गवर्नमेंट के स्पोक्समैन को कहें कि इस पर भी डिस्कशन के वास्ते वक्त रक्खा जाय। मैं भी वहाँ हूंगा। मैंने जो आपको बतलाया उस पर तो ध्यान देते नहीं हैं और बेकार में प्वाएंट आफ आर्डर उठाते हैं।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कृषि जन्य उत्पादों और कुछ अन्य वस्तुओं के सहकारी सिद्धान्तों के आधार पर विकास के प्रयोजन के लिये एक निगम के निगमन तथा विनियमन और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : औचित्य प्रश्न के हेडा इस विधेयक के साथ जो वित्तीय ज्ञापन लगा हुआ है, उस में कोई ब्योरा नहीं दिया गया कि खर्च कितना होगा और कहाँ से पूरा किया जायेगा । इस को संशोधित करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं । वित्तीय ज्ञापन उचित रूप में नहीं है । मुझे आशा है मंत्री महोदय अपने भाषण में या बाद में, वह स्पष्ट करेंगे कि कुल खर्च कितना होगा । फिलहाल वे अपना भाषण शुरू करें ।

†**श्री श्याम धर मिश्र :** यह एक संशोधन विधेयक है । कृषि व्यवसाय में मिलने वाले ऋण के बारे में समस्या यह है कि ऋण पर्याप्त मात्रा और उचित समय पर नहीं मिल पाते । पिछले ५० या ६० वर्षों में सहकारी समितियों के बारे में बहुत से अधिनियम बनाये गये हैं । किन्तु वह मुख्य समस्या बनी रही है ।

१९५४ में रिजर्व बैंक ने ग्रामीण ऋणों की समस्या की जाँच के लिये एक समिति नियुक्त की थी । उस समिति का कहना था कि केवल ३ प्रतिशत ऋण सहकारी संस्थाओं को मिलता था । उस ने विभिन्न स्तरों पर सरकारी संस्थाएं स्थापित करने की सिफारिश की थी और कहा था कि सरकार को भागीदार बनना चाहिये । इसके अलावा उसने सिफारिश की थी कि ऋण, विपणन और अन्य क्षेत्रों में समन्वय होना चाहिये । उस ने प्रशिक्षित कर्मचारियों, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों के लिये सिफारिश की थी ।

इस सारे कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए देहाती सर्वेक्षण समिति ने सिफारिश की हमें एक राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भांडागार बोर्ड का निर्माण करना चाहिए और उसके लिए उन्होंने निम्नलिखित कार्यों का सुझाव दिया ।

(क) सहकारिता के आधार पर सारे देश में कृषि उत्पादन का योजनाबद्ध विकास को प्रोत्साहन देना ;

(ख) अनाज इत्यादि के स्टोर के लिए भांडागार इत्यादि की सुविधायों के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था करना ;

(ग) सहकारी आधार पर खाद, उर्वरक तथा कृषि औजार का देश भर में कृषक को वितरण करने को प्रोत्साहन करना ;

(घ) राज्य सरकारों के द्वारा अर्थ तथा स्थानों की सहायता देकर सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना ;

(ङ) अखिल भारतीय भांडागार निगमों को सामान्य निर्देश देना कि वे राष्ट्रीय सहकारिता तथा विकास कोष तथा राष्ट्रीय भांडागार विकास कोष का प्रशासन चलाये तथा दोनों में उचित विनियोजन करे ।

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया । ऐसा समझा गया कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास बोर्ड तथा भांडागार बोर्ड दोनों एक दूसरे से स्वतन्त्र रहेंगे । परन्तु बाद में ऐसा समझा गया कि इन दोनों को एक ही प्रमुख के अधीन रखा जाय । यह दोनों विषय १९५६ से खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत चले आ रहे हैं । परन्तु १९५८ के

---

†मूल अंग्रेजी में

दिसम्बर मास में उन्हें फिर अलग अलग कर दिया गया। इस निर्णय को मंत्रिमंडल ने १९६० में स्वीकार कर लिया। इसके बाद संसद् में तत्सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह संशोधन विधेयक है। इसके साथ ही खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा भांडागार बोर्ड सम्बन्धी विधेयक भी लिया जायेगा। यह इस बोर्ड का इतिहास है। इसने बड़ा अच्छा कार्य किया है और इस कार्य को तीसरी योजना में जारी रखने का विचार है। अतः विधेयक में राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा भांडागार बोर्ड के स्थान पर राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना का उपबन्ध है।

कुछ छोटे मोटे संशोधन भी प्रस्तुत किये गये। एक छोटा सा संशोधन यह है कि जब कि मूल अधिनियम में केवल 'कृषि उत्पाद शब्द ही रखे गये थे, परन्तु इस संशोधन द्वारा अब इसे 'अधिसूचित वस्तु' कर दिया गया है। इसमें विपणन, प्रोसेसिंग, उपभोक्ताओं आदि के लिए कृत्यकारी समितियों के निर्माण का भी उपबन्ध है। इसी तरह बोर्ड के कृत्यों के प्रत्यायोजन के लिए उपबन्ध भी किया गया है। बोर्ड के संगठन में भी कुछ परिवर्तन किये गये हैं। राज्य सरकारों से सलाह ली जाया करेगी और अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड अपने नियम बनायेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि गत पांच वर्षों में सहकारिता की दिशा में जो भी प्रगति हुई है उस सब का श्रेय इस बोर्ड को ही है। १८ लाख रुपये की सहायता सरकार ने दी है और उसे बहुत लाभदायक ढंग से खर्च किया गया है। अब ये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि कृषिकरण सहकारी समितियों को सेवा सहकारी समितियों में बदल दिया जाय। इससे वे विपणन तथा सम्भरण सहकार समितियों का कार्य भी कर सकें। इस बात पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी विचार किया है। सहकारिता की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि १९५५-५६ मे इस प्रकार की समितियों की संख्या १,६०,००० थी। अब १९६०-६१ में ये संख्या २,१२,००० है। जब बोर्ड ने कार्य आरम्भ किया था तो सदस्य संख्या ७०, ८० लाख थी परन्तु अब यह बढ़ कर १७० लाख हो गयी है। प्रत्येक समिति की सदस्य संख्या ५० से ८० हो गयी है। इसके अतिरिक्त अंश पूंजी १६ करोड़ से बढ़ कर ५७.७२ करोड़ रुपये हो गयी है। प्रति सदस्य को दिये गये ऋण की राशि में भी काफी वृद्धि हो गयी है। यह राशि ६०-६५ रुपये से बढ़ कर १०० से १०५ तक जा पहुंची है। और मुझे आशा है कि बोर्ड के प्रयत्नों से यह १२५ तक पहुंच जायेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि गत पांच वर्षों में १८०० विपणन सहकारी समितियां बनी जिन्होंने प्रतिवर्ष लगभग १७५ करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का व्यापार किया। बोर्ड में इन समितियों को गोदामों का निर्माण करने में सहयता दी। इसके अतिरिक्त बोर्ड के प्रयत्नों से लगभग तीस सहकारी समितियों की स्थापना हुई जिन्होंने देश के चीनी के उत्पादन में २० प्रतिशत योग दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने हाल ही में जो चार समितियां नियुक्त की थीं उनमें से तीन ने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं तथा उनकी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऋण के उपयोग सम्बन्धी कठिनाइयों की बोर्ड द्वारा पूरी जांच की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही इस बारे में कोई

[श्री श्याम धर मिश्र]

ठोस कार्यवाही भी की जायेगी। यह भी आशा करनी चाहिए कि बोर्ड पूर्ण राज्यों में सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देगा। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में वृद्धि करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। विधेयक के पारित हो जाने से इस आन्दोलन को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सोंपने के बारे में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव तथा संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैंने विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है। यह वित्तीय ज्ञापन बहुत ही अनिश्चित तथा अपूर्ण सा है। सामान्य सा है और विधेयक को अध्ययन करने के लिए जो कुछ अपेक्षित है उसको व्यवस्था नहीं करता। यदि इस प्रकार को भूल हो जाय तो क्या करना चाहिए इसके बारे में कोई निर्देश नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें भारत की संचित निधि से किए जाने वाले आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय का कोई वर्णन नहीं किया गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि उचित प्रकार के वितीय ज्ञापन के बिना विधेयक के उपबन्धों पर चर्चा करना बड़ा कठिन है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को यह ज्ञापन समय पर तैयार तथा सदस्यों को परिचालित करना चाहिए था।

इन परिस्थितियों में मेरा सुझाव यह है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए ताकि इसे पूर्वतः सुलझा कर उचित रूप से फिर तैयार किया जाय। अतः मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। मेरा यह भी मत है कि दोनों पृथक पृथक निगमों की स्थापना के सम्बन्ध में सन्तोषजनक कारण नहीं बताये गये हैं।

†**डा० लक्ष्मी मल सिंघवी** (जोधपुर) : तत्सम्बन्धी आंकड़ों को तो अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं कार्यवाही में रुकावट नहीं डालना चाहता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : जब तक आंकड़े न प्रस्तुत किये जायं विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकती।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में अपना विनिर्णय दे चुके हैं। मैं उसको बदल नहीं सकता। यदि वित्तीय ज्ञापन सम्बन्धी आंकड़े माननीय मंत्री के पास हों तो वह उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री श्याम धर मिश्र : विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत करते हुए मने निवेदन किया था कि कर्जे और सहायता के रूप में दूसरी योजना में १८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। व्यय तीन प्रकार के हैं। एक प्रशासन का व्यय है। इस वर्ष अर्थात् १९६२–६३

†मूल अंग्रेजी में ।

का लगभग ३.२५ लाख रुपये होगा। मैं इस सारी जानकारी को परिचालित भी करा दूंगा। १९६३–६४ का व्यय ३.५० लाख रुपये होगा। बोर्ड के द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये कर्जों और अनुदानों का अंक १९.६५ करोड़ रुपये है। यह १९६१–६२, १९६२–६३ और १९६३–६४ के लिए होगा। इस बारे में निर्णय योजना सम्बन्धी चर्चा करके प्रतिवर्ष किया जाता है।

†**श्री शं० ग्रा० मोरे** (पूना) : बोर्ड को चलाने पर कुल क्या व्यय होता है।

†**सामुदायिक विकास, पंचायत राज और सहकार मंत्री (श्री सु० कु० दे)** : मेरा निवेदन है कि १९५६–५७ में बोर्ड के प्रशासन सम्बन्धी व्यय ५६,००० रुपये था। १९५७–५८ में यह २,०३,००० रुपये था। १९५८–५९ में यह १,३१,००० रुपये था। १९६२–६३ में यह ३.२५ लाख है और १९६३–६४ में इसके ३.५० लाख हो जाने की सम्भावना है।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या ये आंकड़े जल्दी में तो नहीं लिये गये हैं। क्या चर्चा के समय इन्हें अधिकृत समझा जाय ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : अनावर्ती व्यय के बारे में कुछ नहीं कहा गया। कुल व्यय बताने का प्रयत्न किया गया है। अतः मैंने प्रस्तुत किया है कि विधयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस बात की पूरी छानबीन की जाय कि दो निगमों की स्थापना करने को क्या आवश्यकता है।

प्रस्तावना में जो ध्येय लिखे गये हैं, वे इस विधेयक का कोई शब्द नहीं पुरा करता। अतः इस विधेयक का प्रवर समिति को सौंपना सरकार के लिये बहुत लाभदायक होगा। दोनों निगमों को अलग करने की आवश्यकता को अच्छी प्रकार समझने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति को अवश्य सौंपना चाहिए।

अधिसूचित वस्तु की परिभाषा समझ में नहीं आई है। किसी वस्तु को अधिसूचित वस्तु घोषित करने की क्या आवश्यकता है ? इस विधेयक की प्रत्येक कण्डिका और प्रत्येक खण्ड पर पूर्ण रूप से विचार होना चाहिए। ऐसा चार घंटों के सीमित समय में यहां नहीं हो सकता।

यह विधेयक एक निगम बनाना चाहता है। इस निगम में राजनीतिज्ञ होंगे। ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि सरकार के हित में होंगे। तो यह ऐसा निकाय होगा जिसमें सरकार द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति होंगे जो कि सरकार के हित की ओर ध्यान देंगे। काम उचित प्रकार से नहीं करेंगे।

चूंकि विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन संलग्न नहीं है, अतः हमें नहीं पता कि यह निगम क्यों बनाया जा रहा है।

जब धन का व्यय किया जा रहा है और कानुन बनाया जा रहा है तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अतः इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना चाहिए।

निगम के सदस्य होने के लिए अर्हताओं में काफी त्रुटियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मु० त्रिवेदी]

इस विधेयक पर अच्छी प्रकार से विचार करने के लिये इसे अवश्य प्रवर समिति को सौंपना चाहिए। अतः मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिये जो विधेयक अभी माननीय उपमन्त्री महोदय ने सदन के सामने उपस्थित किया है, उसके पीछे जो सिद्धांत है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

यह बात सभी को मालुम है कि हिन्दुस्तान में खेती और खेती सम्बन्धी जो उद्योग है, उनके विकास का जो कार्यक्रम है, तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति का जहां तक सम्बन्ध है, उनको तब तक अच्छी तरह से नहीं चलाया जा सकता है तथा उन लक्ष्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक हम सहकारिता आन्दोलन को हर क्षेत्र में पूरी तरह से विकसित न करें। इसी ख्याल से समय समय पर कई कमेटियां बनाई गई है जिन्होंने खेती सम्बन्धी वित्त की आवश्यकताओं के बारे में तथा खेती से सम्बन्ध रखने वाले छोटे छोटे उद्योग धंधों के सम्बन्ध में वित्त की आवश्यकताओं के बारे में, तथा उनके विकास के लिये जो दूसरे आवश्यक पदार्थ हैं, उनको किस तरह से मुहैया किया जाए, उसके बारे में जांच पड़ताल की है। जैसा कि माननीय उपमन्त्री महोदय ने बताया है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी जिसने सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये कई तरह के सुझाव दिये थे और उन सुझावों को सरकार ने मान लिया। उन्हीं सुझावों के अनुसार एक कारपोरेशन और एक बोर्ड बनाया गया। जब यहां केन्द्र में सहकारिता का मन्त्रालय बन गया है और उसने अपने ऊपर पंचायती राज, सामुदायिक विकास और सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न राज्यों के सहयोग से इस काम को पूरा करना आरम्भ कर दिया है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपत्ति की जानी चाहिये कि जो नेशनल कोआप्रेटिव डिवेलेपमेंट एण्ड वेयर हाउसिंग बोर्ड बना हुआ है और जिसका काम खेती की उन्नति के साथ साथ वेयर हाउसिंग का विकास भी है, उसको दो टुकड़ों में बांट कर एक अलग से नेशनल कोआप्रेटिव डिवेलेपमेंट कारपोरेशन क्यों न बना दिया जाए जो विशेषकर कृषि तथा कृषि से सम्बन्ध रखने वाले जो दूसरे उद्योग धंधे है, उनका विकास कर सके। जो सहकार समितियां देहातों में काम करती है, उनको सहायता देने के लिये अगर एक विशेष अधिनियम बनाने का निश्चय सरकार ने किया है और उसके लिये यह बिल अभी सदन के सामने विचारार्थ उपस्थित किया है तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिये।

जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्यों में बताया गया है, अब तक जो कार्य इस सम्बन्ध में किया गया है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। अभी माननीय उपमन्त्री महोदय ने कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस काम को पूरा करने के लिये और भी विशेष रूप से प्रयत्न करने की जरूरत है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

जहां तक मेरा ख्याल है इसमें जो एग्रीकल्चरल प्रोड्युस की परिभाषा की गई है वह हूबहू वही है जो हमारे संविधान के शेड्युल ७ की कान्करेंट लिस्ट के आइटम नं० ३३ के अनुरूप की गई है। केन्द्रीय सरकार को केवल खेती सम्बन्धी इन्हीं विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। इस तरह से इसको यहीं पर सीमित रक्खा गया है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, क्लास (२) में जो नीचे दिया गया है "वेजिटेबल आयल्स" उसका अर्थ यह है कि जो वेजिटेबल आयल्स एडिबल है उन्हीं के सम्बन्ध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन वेजिटेबल आयल्स एडिबल भी हो सकते है

और इनएडिबल भी हो सकते हैं। इसलिये विधेयक के क्लाज २ की जो उपधारा (५) है उसमें "एडिबल" जोड़ देना चाहिये। तभी वह हमारे संविधान के अनुसार उपर्युक्त होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रिएम्बल में जो शब्द दिये गये हैं, जहां तक मेरा ख्याल है वह संविधान के आइटम ३३ के अनुसार नहीं है। जो सातवां शेड्युल है संविधान का उसमें जो कांकरेंट लिस्ट है उसके अनुसार ऐग्रीकल्चरल प्रोड्युस के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्युशन और सप्लाई के लिये ही यह सदन कानुन बना सकता है। इसलिये प्रिएम्बल में इन शब्दों को जोड़ देना बहुत उपयुक्त होगा। शनिवार के दिन जो संशोधन मैंने दिये थे वे शायद अभी माननीय सदस्यों को वितरित नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मौका मिला और यह बिल आज पूरा नहीं किया जा सका तो कल इस पर विचार करते समय मैं अपने संशोधन इस सम्बन्ध में दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं समझना चाहता हूं कि प्रिएम्बल में "डवेलपमेंट" शब्द के बाद इन शब्दों को जोड़ देना उपयुक्त होगा :

> "कृषि सम्बन्धी उपज और कुछ वस्तुओं का सहकारी नियमों के अनुसार उत्पादन संभरण और वितरण और उससे सम्बन्धित मामलों के लिए।"

ऐसा कर देने पर ही यह संविधान के अनुरूप हो सकेगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह बतलाया गया है कि कारपोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। यह एक बहुत विशाल देश है और जैसा उपमन्त्री महोदय ने बतलाया है, हमारे देश में लाखों सहकारिता समितियां काम करेंगी और तरह तरह की समितियां होंगी जो एक दूसरे के उद्योग धन्धों को बढ़ावा देंगी। लेकिन इस काम को करने के लिये वह बतलाया गया है कि हेडक्वाटर नई दिल्ली में रक्खा जायेगा। मैं समझता हूं कि खाली इससे ही कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है। जिस तरह से इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन के सम्बन्ध में जो कानुन है उसमें बतलाया गया है कि बम्बई में उसका मुख्य कार्यालय होगा और दो शाखायें कलकत्ते में और एक दूसरी जगह होंगी, उसी तरह से, जहां तक मेरा ख्याल है, इस विधेयक में भी इस बात का जिक्र होना चाहिये कि निगम का हेडक्वार्टर यहा होगा लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो देश के विभिन्न भागों में उसकी शाखायें खुल सकती है। वैसे तो निगम को अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने पर वह और शाखायें खोल सकता है, लकिन इस विधेयक में ही इस बात का जिक्र होना चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि इसकी एक शाखा का आफिस दक्षिण में होना चाहिये और एक शाखा का आफिस उत्तर में होना चाहिये, तभी कोआपरेटिव आन्दोलन अच्छी तरह से चल सकेगा। बल्कि इस विधेयक में ही इस बात का जिक्र हो जाना चाहिये कि इसका एक शाखा कार्यालय उत्तर में होगा और एक दक्षिण में होगा।

इस विधेयक के जरिये जिस कारपोरेशन की स्थापना की जा रही है जहा तक उसके संगठन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वह स्पष्ट नहीं है। क्लाज ३ के अन्दर दिया हुआ है कि ९ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, लेकिन किस प्रकार से मनोनीत किये जायेंगे यह नियम के द्वारा निर्धारित किया जायेगा। मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार का क्या इरादा है। अगर सरकार चाहती है कि केवल सरकारी अफसर ही ९ सदस्यों में हों तो इस बात का जिक्र इसमें होना चाहिये। मेम्बरों की नियुक्ति नियमों के द्वारा निर्धारित करने का जो तरीका

[श्री श्रीनारायण दास]

हैं वह मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार का इरादा यह है कि ९ मेम्बरों में न केवल सरकारी अफसर ही बल्कि दूसरे भी हो सकते हैं तो इस बात का इस विधेयक में जिक्र होना चाहिये।

तीसरा विषय जिसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं वह निगम के संगठन के सम्बन्ध में है। चेअरमैन और वाइस चेअरमैन जो निगम के होंगे उनके सम्बन्ध में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि उनकी नियुक्ति किस ढंग से होगी। अगर सरकार उनको नियुक्त करेगी तो इसका जिक्र इस विधेयक में होना चाहिये। लेकिन अगर सरकार चेअरमैन और वाइस चेअरमैन की नियुक्ति न करके सदस्यों के ऊपर छोड़ना चाहती है तो इस को अस्पष्ट छोड़ना उचित नहीं है। यहाँ पर इसको निश्चित कर देना चाहिये कि चेअरमैन और वाइस चेअरमैन जो निगम के होंगे उनका चुनाव सदस्यों के द्वारा होगा या वे सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

निगम के सम्बन्ध में मुझे दो एक बातें और कहनी हैं। विधेयक के क्लाज ३ के सबक्लाज (५) में दिया हुआ है कि ८ गैर-सरकारी सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे देश में चार जोन्स को मान लिया गया है। यहाँ दिया गया है :

"राज्य सरकारें कटिबन्धीय आधार पर पाँच व्यक्तियों की सिफारिश करेगी।"

हमारे देश में चार जोन्स घोषित किये गये हैं। इसलिये वर्तमान ढांचे के बदले एक एक प्रतिनिधि हर एक जोन से होना चाहिये जिनका चुनाव स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जायेगा, साथ ही एक ऐसा सदस्य होना चाहिये जो कि क्राप इन्श्यरेन्स का एक्सपर्ट हो। यद्यपि अपने देश में क्राप इन्श्योरेंश एक नई चीज है लेकिन मैं समझता हूं कि जब खेती के लिये वित्तीय व्यवस्था की जाती है और प्रदेशों में सहकारिता आन्दोलन चलता है वह इसलिये सफल नहीं हो पाता कि हमारे यहाँ क्राप इन्श्योरेंस जारी नहीं की गयी है। अगर निगय में एक सदस्य ऐसा होगा जो क्राप इन्श्योरेन्स की जानकारी रखता होगा तो इस निगम के काम में सहायता मिल सकेगी। सारे देश का चार जोन्स में बाँट कर एक एक सदस्य एक एक जोन से लिया जाना चाहिये और एक एक्सपर्ट कोआपरेटिव इन्श्योरेन्स का ले लें।

जहाँ तक क्लाज ४ का ताल्लुक है उसके सम्बन्ध में जैसा अभी श्री त्रिवेदी ने कहा, जिक्र किया गया है कि कौन-कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन्स होंगी जिनके कारण कोई भी व्यक्ति निगम का सदस्य नहीं हो सकता है। उनमें से एक यह है कि जिस आदमी का मारल टरपीट्युड के लिये छः महीने से ज्यादा की सजा दी गई हो वह इस निगम का सदस्य नहीं हो सकता। मैं वकील तो नहीं हूं लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक मारल टरपीट्युड की कोई परिभाषा नहीं की गई है। जब जब इस सदन में कोई कानून बना, खास कर जब पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट हमारे सामने आया उस समय यह सवाल हमारे सामने आया था कि जिस आदमी को मारल टरपीट्युड के सम्बन्ध में सजा हुई हो वह इस सदन का सदस्य नहीं हो सकता या विधान सभा का सदस्य नहीं हो सकता। यह बात कही गई कि चूंकि मारल टरपीट्युड की परिभाषा अब तक नहीं की गई, किसी कोड में उसे डिफाइन नहीं किया गया है इसलिये इस बात का जिक्र इस विधेयक में न होता तो अच्छा था, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि मारल टरपीट्युड का अपराधी कोई इस निगम का सदस्य न हो तो मैं समझता हूं कि उसमें यह जोड़ना आवश्यक है कि सरकार की राय में अगर कोई आदमी मारल टरपीट्यूड का अपराधी हो तो उसे इस निगम का सदस्य नहीं होना चाहिये। इसको जोड़ देने से यह चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी।

इस विधेयक में दो एक और बातें हैं जिनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा। धारा ९ में लिखा है कि कारपोरेशन के फंग्शन्स क्या होंगे। जहाँ तक मैं समझता हूं इस कारपोरेशन का यह काम भी होना चाहिये कि अगर किसी सहकारी समिति को किसी संस्था से कर्ज लेना पड़े, और यह निगम समझे कि सहकारिता समिति की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह कर्ज ले सकती है तो इस निगम को उस लोन की गारन्टी करने का अधिकार भी होना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं भी यह समझता हूं कि अच्छा होता अगर इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाता क्योंकि उस अवस्था में इसमें बहुत सुधार हो सकता था और सुधार की इसमें आवश्यकता है। लेकिन अगर सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं है तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उन पर विचार किया जाएगा।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** (राजमपेट) : इस निगम के २० सदस्य होंगे। एक सभापति और एक उपसभापति। एक कार्य समिति होगी जिसके पाँच सदस्य होंगे। एक सचिव होंगे जिन्हें काफी वेतन मिलेगा। केन्द्रीय सरकार खण्ड ८ के अनुसार अधिक पदाधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करेगी। इस प्रकार से इस निगम पर काफी खर्चा होगा।

इस विधेयक में और समितियाँ बनाने की व्यवस्था भी है।

जब देश में आर्थिक संकट है तो ऐसे निगम को क्यों नियुक्त किया जाए ?

जब भी सरकार ने ऐसे निगमों को कुछ काम के अधिकार दे दिए, तो बहुत धन का नाश हुआ है।

यह निगम कृषि सम्बन्धी उत्पादन बढ़ाने के कामों का प्रोत्साहन देगी। यह निगम राज्य सरकारों की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए निधियाँ देगी। इस प्रकार से बीज, खाद, उर्वरक इत्यादि का लालच देकर सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह विधेयक साँझी खेती लाना चाहता है। इस प्रकार वे कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। सरकार को सहकारी खेती को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे कृषकों के अधिकार छीने जाएंगे। यह सारा विधेयक किसानों की आँखों में धूल डालने के लिए है।

सहकारी खेती से किसानों का शान्तिमय जीवन खराब हो जाएगा। इस समय जब कि हमें देश की रक्षा करनी है हमें किसान को निराश और दुःखी नहीं करना चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री से कहता हूं कि वे विधेयक वापस ले लें।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय सहकारी विकास और भाण्डागार बोर्ड की स्थापना १९५६ के अधिनियम के अधीन हुई थी। सरकार ने इस बोर्ड के काम की सराहना की है। फिर इस बोर्ड को निगम में बदलने का क्या कारण है ?

यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विकास और भाण्डागार बोर्ड और केन्द्रीय भाण्डागार निगम दोनों बोर्ड एक ही अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किए गए थे। कठिनाई केवल यही है कि दोनों बोर्ड

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० र० पटेल]

दो विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासन के अधीन हैं। इस आधार पर इस विधान को प्रस्तुत करना उचित नहीं ।

सहकारिता समितियों का होना बहुत अच्छा है, परन्तु जब तक सहकारिता समितियों के ९० प्रतिशत सदस्य किसान नहीं हैं तब तक ऐसी समितियाँ वास्तविक सहकारिता समितियाँ नहीं बन सकती हैं ।

इस समय व्यापारी वर्ग इन सहकारिता समितियों का अनुचित लाभ उठाते हैं। अतः माननीय मंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि सहकारिता समितियों को जो लाभ हम देना चाहते हैं वह किसानों को मिलना चाहिए ।

मध्य व्यक्ति-विपणि सहकारिता समितियों का लाभ उठाते हैं। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सहकारिता समितियों में सही मतलब से सहकारिता हों।

हम कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। जब तक हम उत्पादन को दुगना नहीं कर देते, हम अपने निर्यात को नहीं बढ़ा सकते और विदेशी मुद्रा भी नहीं एकत्रित कर सकते। यदि यह इरादा हो तो इस बोर्ड और निगम को स्थापित करने का स्वागत है । कृषि-उत्पादन बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए यह बहुत आवश्यक है ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार इस सदन में बजट के अवसर पर सामुदायिक विकास मंत्रालय पर जब बहस हो रही थी उस समय मैंने कोओप्रेटिव्ज़ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। मैंने यह सोचा था कि सदन में ऐसा कोई विधेयक लाया जायेगा जो पूरे देश में कोओप्रेटिव्ज़ पर समान रूप से लागू होगा और सभी कोआप्रेटिव्ज़ उसके अन्दर आ जाएंगी। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता महसूस हुई है। इससे पहले भी इस सदन में एक विधेयक पास हो चुका है और जो कानून भी बन गया है जिसका नाम भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डिवेलेपमेंट एण्ड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशंज़ एक्ट, १९५६ है। इस विधेयक में भी वही सारी बातें कही गई हैं, जो उसमें कही गई थीं। जहाँ तक मैं समझा हूं इन दोनों के उद्देश्यों में कोई खास अन्तर नहीं है।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में कोओप्रेटिव्ज़ आन्दोलन को बड़े पैमाने पर चलाने की आवश्यकता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनका यह विचार है कि इस मुल्क में कोओप्रेशन गलत है और वह नहीं होना चाहिये। मेरी शिकायत तो सरकार से यह है कि वह सही मानों में कोओप्रेटिव आन्दोलन को देश में चलाना नहीं चाहती है। कोओप्रेटिवस मुवमेंट का वह नाम तो लेती है, बात तो करती है और छोटे मोटे कानून उसके सम्बन्ध में बनाती है लेकिन सही मानों में उसको बढ़ावा नहीं देना चाहती है पिछली बार मैंने कहा था कि कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ बहुत सी ऐसी हैं जो फर्जी हैं, एक एक आदमी के हाथ में दस-दस कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ हैं। जो आँकड़े और जो इनफार्मेशन मैंने कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पहले दी थी, वह आज भी दे सकता हूं। कितने ही गबन इन सोसाइटीज़ में होते हैं। इसके अलावा यह सोसाइटीज़ असल में अकेले आदमियों के हाथों में होती हैं। मेरे पास राष्ट्रीय विकास सहकारिता विकास और भाण्डागार बोर्ड का १९६०-६१ का प्रतिवेदन मौजूद है। इसमें कहा गया है कि उड़ीसा में एक टीम गई थी कोओप्रेटिव्ज़ के कार्यों की विवेचना करने के लिये, उनकी जाँच करने के लिए और उसने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। बैंकों के सूद के बारे में उसने कहा है कि वह कम होना चाहिये। साढे नौ परसेंट तक जो सूद की दर है उसको काफी कम किये जाने की आवश्यकता है। उसने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट नामिनीज़ की

जो तादाद है, वह घटनी चाहिये । बजाय इसके कि गवर्नमेंट नामिनीज़ की तादाद घटाई जाए, हम देखते हैं कि इसमें वह बढ़ा दी गई है वहाँ पर जितने भी मेम्बर हैं, सारे के सारे नामिनीज़ हैं, चुन कर एक को लेने की भी व्यवस्था नहीं की गई है । टीम ने सुझाव यह दिया था कि नामिनीज़ की तादाद घटनी चाहिये लेकिन यहाँ पर इससे बिल्कुल उल्टा किया गया है ।

एक सजैशन कमेटी की यह थी :

> कुछ केन्द्रीय बैंकों के प्रबन्धकों पर व्यक्तिगत प्रतिनिधि का प्रभाव अधिक प्रतीत होता है । यथासंभव इसे कम करना चाहिये ।

लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया हैं । मैं सोचता था कि एक ऐसा बिल लाया जायेगा जो सही मानों में इन सारी चीजों का जवाब होगा । बजाय इसके कोई ऐसा बिल लाया जाता, एक बिल लाकर हमारे सामने उपस्थित कर दिया गया है जिससे जो मुश्किलात हैं, उनका कोई हल नहीं निकलता हैं । यद्यपि इस बिल का जो मशा हैं, उससे हमारा कोई विरोध नहीं हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह हैं कि जहां पर एग्रीकलचरल प्रोड्यूस को इस बिल के अन्तर्गत लाया गया हैं वहां पर तम्बाकू का कोई जिक्र नहीं किया हैं। वह भी किसान पैदा करता हैं और काफी बड़ी मात्रा में इसकी खेती करता हैं । इसको एग्रीकलचर प्रोडयूस में शुमार नहीं किया गया हैं । इसी तरह से मिर्च का सवाल है । मैं चाहता हूं कि जिस तरह से और चीजे एग्रीकलचरल प्रोड्यूस में शामिल की गयी है, उसी तरह स तम्बाकू तथा दूसरी चीजों को भी इसमें शुमार किया जाना चाहिये ।

जो हमारा दूसरा विरोध इस बिल के बारे में हैं जैसा मैं पहले कह चका हूं, इसलिये है कि सारे के सार मेम्बर गवर्नमेंट नामिनेटिड है और इसमें चुनाव को कोई महत्व नहीं दिया गया हैं । बार बार कहा गया हैं कि कोओपरेटिव मुवमेंट में गवर्नमेंट का दखल, गवर्नमेंट की मदाखलत कम स कम होनी चाहिये और जितनी भी टीम्स गई है, सभी ने यही सुझाव दिया हैं । लेकिन बजाय इसके कि गवर्नमेंट को मदाखलत कम हो, मैं देखता हूं कि इस बिल में सरकार की मदाखलत को और भी बढ़ा दिया गया हैं ।

जहां तक डिसक्वालिफिकेशन आफ मेम्बर्स का संबंध है बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये है । इसमें नैतिक अपराधों के लिये सजा पाने वालों के लिये छः महीने तक की छट दे दी गई हैं । यह कहा गया है कि जिसको छः महीने तक की सजा हो गई हो, उसको रख लिया जाय तो कोई हर्ज की बात नहीं हैं । मैं समझता हूं कि यह गलत है और इस तरह की क्लाज नहीं होनी चाहिये और इसको एमेंड किया जाना चाहिये । जो नैतिक अपराधी हैं या उसको तीन महीने की सजा हुई हैं या चार महीने की, उसको इस मुवमेंट में शामिल नहीं किया जाना चाहिये, उसको इसमें रहने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

धारा ५ की उप-धारा ३ में कहा गया है :—

> निगम की बैठक में रखे गये सारे प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की बहुसंख्या से होगा तथा यदि मतसंख्या समान हो तो सभापति, अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति, अथवा सभापति व उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

मैं समझता हूं कि यह भी गलत है । सिर्फ एक मैम्बर की मजारिटी स कोई चीज डिसाइड कर ली जाये कोओप्रेटिव सोसाइटी में तो लाजमी तौर पर वह कोआप्रेटिव सोसाइटी चल नहीं

[श्री सरजु पांण्डे]

सकती हैं। कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि ज्यादा तर फैसले इस तरह से किये जाय जिससे झगड़े न हों और अगर मेजोरिटी से ही कोई बात तय होनी हो तो मेरी राय में दो तिहाई मेम्बर्ज को जो फैसला किया जाना हैं, सहमत होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक मैम्बर ने हां कह दी, दूसरे ने न कह दी और चेयरमैन के कास्टिंग वोट से फैसला कर लिया जाये। जब तक दो तिहाई मैम्बर रजामन्द न हों, तब तक कोआप्रेटिव कोई फैसला न कर सकें, ऐसी व्यवस्था इसमें होनी चाहिये।

एक और चीज मेरी समझ में नहीं आई हैं। पेज ५ पर, धारा ९ की उपधारा ३ में कहा गया है :-

> इस धारा के अन्तर्गत निगम अपना कार्य इस प्रकार करेगा कि खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप न हो।

इसको अलग रखने की क्या आवश्यकता हैं, क्या मंशा हैं, मेरी समझ में नहीं आया है। खादी कमिशन को सरकार लाखों करोड़ों रुपया देती हैं। इसके अन्दर अगर यह भी होता तो लाजिमी तौर पर सारा आडिट, इसके जरिये जो कर्जे दिये जाते है तथा दूसरी बातें होती है, वे भी आ जातीं और यह ज्यादा अच्छा होता। बजाय ऐसा करने के हमने अलग स कमिशन और अलग से ही एक बोर्ड बना कर रख दिया है। इससे दो बात होंगी। एक तो जनता के ऊपर दुहरा भार पड़ेगा और दूसरे उसके अलग नौकर होंगे, सारा काम-धाम और दूसरी बातें अलग होंगी। इसका नतीजा यह होगा कि जनता के ऊपर बिला बजह इसका भार पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि सरकार को उसको भी इस कानून के अन्दर लेने में क्या एतराज हैं। मैं समझता हूं कि खादी और बिल्लेज इंडस्ट्रीज को भी इसमें ले लिया जाये तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा बल्कि आसानी हो होगी।

मैं देखता हूं कि इस कानून के आने के बाद भी कोआपरेटिव मुवमेंट में कोई बड़ी प्रगति नहीं होगी। कोआप्रेटिव मुवमेंट को सफल बनाने के लिये यह जरूरी हैं कि हम उन तमाम त्रटियों को देखें जो हमारे तजुर्बे में हमारे सामने आई है, और उनको दूर करने का प्रयत्न करें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में बहुत ज्यादा सोसाइटीज काम कर रही है और उनकी मैम्बरशिप लाखों करोड़ों में हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इनमें से आधे से ज्यादा सोसाइटियां या तो काम नहीं करती हैं या उनके जिम्मे कर्जा बकाया है या दूसरी चीज है। खुद प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि कोआप्रेटिव सोसाइटीज में रजिस्ट्रेशन के मामले में तथा दूसरे मामलों में गड़बड़ियां होती है, लोग अपना शेयर जमा कर देते है, दो दो और तीन तीन साल तक पड़े रहते है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता हैं। लोग आफिसिस में दोड़ते मर जाते है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती हैं। आप कानून में आसानियां पैदा करने के बजाय, और चक्कर पैदा करते जा रहे है।

अब आप देखेंगे कि कोआपरेटिव के काम में कितनी दिक्कते आती है। मैं अपने कुछ का तजुर्बा बतला सकता हूं। मैं तो एक कोआपरेटिव का डाइरेक्टर भी था। इतनी ज्यादा मुसीबतें कोआपरटिव के अन्दर होती हैं कि मामूली आदमी तो उससे घबरा कर कहता है कि यहां से भाग जाओ। उसके विचार अच्छे हैं, बातें अच्छी है, लेकिन जितनी काननी अड़चनें और पचड़े किसानों और गरीबों के रास्ते में डाली जाती है कि उससे वह खुद ही परेशान हो कर भागने की कोशिश

करता हैं। फर्ज कीजिये कि एक सोसायटी के किसी मेम्बर ने रुपया अदा नहीं किया। अगर एक या दो मेम्बर ने भी रुपया अदा नहीं किया तो सारी सोसायटी के लिये यह कह दिया जाता हैं कि सोसायटी इस काबिल नहीं है कि उसे रुपया दिया जाये। एक मेम्बर की वजह से सारे मेम्बरों को सफर करना पड़ता हैं। यही नहीं और भी दिक्कत होती है। दूसरे कर्जे इतने ज्यादा हाई रेट पर दिया जाता हैं कि किसान दोहरे कर्ज में फंस जाता हैं। मैंने उस बार भी कहा था अगर एक आदमी सोसायटी से कर्ज लेता है तो एक फिक्स्ड टाइम हैं, उस ड्यु टाइम के अन्दर कहा जाता है कि रुपया अदा कर दो। उस बीच में अगर वह रुपया नहीं दे पाता तो उसको महाजन से जाकर कर्ज लेना पड़ता हैं। इस तरह से वह कोआपरेटिव को भी सूद देता हैं और महाजन को भी सूद अदा करता हैं। और वह सूद तब तक देता है जब तक कि रुपया जमा होकर कोआपरेटिव में न पहुंच जाये और उसे दुबारा रुपया न मिल जाय। इस तरह की गड़बड़ियां चला करती है।

इसलिये मेरा सुझाव हैं कि अव्वल तो इस बिल में जो यह कहा गया कि मेम्बर चाहे एग्जिक्युटिव के हों या उनके हों उनका ठीक से चुनाव होना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें बड़े बड़े एक्स्पर्ट रक्खे जाते है। लेकिन जितने एक्स्पर्ट आप रक्खेंगे, वे इस देश का नाश करके छोड़ेंगे। उन्हें दुनियां का कोई तजुर्बा नहीं। मैंने खुद एक इंजीनियर से कहा कि फलां ट्यूब वेल नीचे पर हैं, इसको ऊंचा कर दो। तो कहने लगा कि पांडे जी, मेरे कागजों में तो यह ऊंचे पर ही है, जमीन पर यह भले ही नीचे पर हो। ऐस वंडरफुल एक्स्पर्ट हैं। वे मौके पर जाने की तकलीफ गवारा नही करते। उन्होंने कह दिया कि नक्शे में तो यह जमीन ऊंची दिखाई गई हैं भले ही वह ऐक्चुअल मौके पर कितनी ही नीची हो। इस तरह के एक्स्पर्ट आप के दिल्ली में बैठे हुये है। उनके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। वे कोआपरटिव के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बेकार के कानुनी पचड़े लाते है जिनसे बेचारा गरीब आदमी दौड़ते-दौड़ते मर जाता हैं, चाहे छोटी इंडस्ट्रीज में हो, चाहे कोआपरटिव में हो, चाहे खेती के औजारों का मामला हो। मैं जानता हूं कि नैनीताल में लाखों करोड़ों रुपयों के खेती के औजार पड़ हुय है जिनका कोई इस्तेमाल नही हैं। जिससे भी पूछो वह कहता हैं कि हम क्या करें ? यह कोई भी नहीं कहता कि आखिर उनका क्या होगा। पम्पिंग सेट्स बेकार पड़े रहते हैं, खाद पड़ी रहती है। कोआपरेटिव ने कानून बना दिया कि जो किसान खाद नहीं लेगा उसे कर्ज नहीं दिया जायेगा। चाहे जमीन ऐसी हो जिस को खाद की जरूरत न हो, लेकिन चूंकि एक्सपर्ट ने बतला दिया इसलिये खाद नहीं लेगा कोई तो उसे कर्ज नहीं मिलेगा। नतीजा यह होता है कि उन लोगों को मजबूर हो कर खाद लेनी पड़ती है जिन को उस की कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से बिला वजह उन को परेशान किया जाता है। मैं चाहता हूं कि एक्स्पर्ट्स के बजाय सरकार उन लोगों को रक्खे जिन को पब्लिक का तजुर्बा है, जो रात दिन गांवों में काम करते हैं। आज हम देखते हैं कि जनता सही मानों में कोआपरेटिव से परेशान है। सिर्फ आप के यह एक्स्पर्ट्स कोआपरेटिव को किसानों तक नहीं ले जा सकते और न सरकारी मशीनरी ही उन को इस के लिये तैयार कर सकती है क्योंकि हम लोग उस समाज के हैं जहां जन्म से ही यह शिक्षा मिलती है कि पहले घर में दिया जलाओ फिर बाहर जलाओ। पहले व्यक्ति समाजवाद में, जहां यह नारा होगा, लाजिमी तौर पर उस नारे पर चलने से समाजवाद नहीं आयेगा। इस में बड़ा टाइम लगेगा। यह नैतिक आन्दोलन है और दूसरे काफी समय लगेगा। आप के सरकारी अधिकारी और शास्त्री जी यहां बैठे हुए हैं और आप के कानून कोई मदद इस सिलसिले में नहीं कर सकते। इसलिये जो मेरे दो तीन सुझाव हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उन को मान लें।

अव्वल तो यह कि जो आप ने नामिनेशन की बात रक्खी है उस को बिल्कुल हटा देना चाहिये। यहां पर यह सुझाव दिया गया है कि पार्लियामेंट के मेम्बरों को उस में रक्खा जाये। हमें इस में

[श्री सरजू पाण्डेय]

कोई ऐतराज नहीं है। पार्लियामेंट के मेम्बरों को रख लीजिये। लेकिन इस में आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरे एग्जिक्यूटिव कमेटी जो बनाई गई है उस में भी हमारा ऐतराज यह है कि उस में नामिनेटेड लोग नहीं होने चाहियें। चुने लोग ही उस में जाने चाहियें।

तीसरी बात जो यह कही गई है कि तमाम क्वेश्चन्स बाई वोट डिसाइड होंगे, उस में २/३ मैजारिटी होनी चाहिये।

चौथा सुझाव यह है कि खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को भी इस में ले लिया जाये।

इन चार सुझावों के साथ मैं आम तौर पर इस बिल को सपोर्ट करता हूं, मगर साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश में कोआपरेटिव आन्दोलन चलाने के लिये उन तमाम सुझावों पर गौर करें जो पहली दफा कमेटियों ने दिये हैं, तभी जा कर इस देश में कोआपरेटिव आन्दोलन सफल हो सकता है।

†**श्री हिम्मत सिंहका** (गोड्डा) : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि जो काम यह विधेयक करेगा वे काम १९५६ के अधीन बनाई गई निकाय द्वारा अच्छी प्रकार किये गये हैं। चूंकि दो निकाय दो विभिन्न मंत्रालयों के अधीन हैं, अत: यह विधेयक लाया गया है। दूसरा निकाय भी उसी मंत्रालय के अधीन है। अत: यह निकाय भी उस मंत्रालय के अधीन क्यों रहेगा।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार से धन उधार ले कर उस का राज्यों में वितरण करना है। उपबन्ध ९ से प्रतीत होता है कि विधेयक का उद्देश्य सहकारिता समितियों को ऋण देना है ताकि सहकारिता के विकास सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो सकें। यह काम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय क्यों नहीं कर लेता जबकि वह यह काम सदैव करता रहता है। एक अन्य निकाय की स्थापना तथा अतिरिक्त व्यय उचित नहीं है।

जब यह काम पहले अन्य निगमों द्वारा किया जा रहा है तो अन्य निकाय स्थापित करने का क्या मतलब है ?

कृषि उत्पादन बढ़ाने में बीजों, खाद और उर्वरकों इत्यादि का संभरण सहायता करेगा। निकायों की संख्या बढ़ाने से इन का वितरण अच्छी प्रकार नहीं होगा। इन वस्तुओं के ठीक संभरण का प्रबन्ध करना है न कि एक हीं काम के लिये बहुत से निकाय बनाना। अत: किसानों को उचित बीज, खाद, उर्वरक इत्यादि देने की ओर ध्यान देना चाहिये।

किसी भी सहकारिता समिति के लिये निर्यात करना कठिन होगा, क्योंकि इसके लिये संसार के बाजारों की काफी जानकारी अपेक्षित है। इस विधेयक का समर्थन करने से पूर्व सारे मामले पर ठीक तरह से विचार किया जाना चाहिये।

विधेयक में वर्णन किये गये उद्देश्य बुरे नहीं हैं, परन्तु यह उद्देश्य अन्य निकायों द्वारा पूरे किये जा रहे हैं। दोहरापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो धन इस पर व्यय किया जायेगा वही बीज इत्यादि, देने में व्यय करना चाहिये। सारे मामले पर पुन: विचार किया जाना चाहिये।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर): मैं यह मालम करना चाहता हूं कि इस सहकारी आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य क्या है ? हमारा उद्देश्य समृद्धिशील होना है। मैं इस सहकारी आन्दोलन का पक्षपाती हूं। अब हमें इस के व्यवहारिक रूप को देखना है। जहां तक आंकड़ों और लेखा जोखा की बात है उस क्षेत्र में तो हम काफ़ी आगे बढ़ गये हैं किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से आगे बढ़े नहीं हैं। अब वह समय आ गया है जब हमें इस बारे में सोचना छोड़ कर काम करना चाहिये।

इस सहकारी आन्दोलन के द्वारा हमारा उद्देश्य कृषि उत्पादन, उत्पादन का बक्री तथा तत्सम्बन्धी अन्य क्षेत्रों में उन्नति करना है। और इस काम के लिये हमें एक उच्च सत्ताप्राप्त निगम की स्थापना भी करनी है। इस सम्बन्ध में हमारे सामने ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति तथा वी० एल० मेहता समिति के प्रतिवेदन भी हमारे सामने हैं जो वर्तमान स्थिति का पता देते हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे एक सुझाव यह देना है कि हमें इस बात की भी जांच करनी चाहिये कि इस आन्दोलन का व्यावहारिक रूप किस प्रकार कार्य कर रहा है। तथा हम इस कार्यक्रम को किस प्रकार से क्रियान्वित कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सहकारी आन्दोलन असफल हो गया है किन्तु इसे सफल होना चाहिये। रिजर्व बैंक करोड़ों रुपये १ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत ब्याज की दर पर लोगों को बांट रहा था किन्तु किसानों को इसी उधार राशि के लिये ९ प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता था। कारण स्पष्ट है कि किसान तथा रिजर्व बैंक के बीच में आने वाली संस्थाओं को लाभ मिल रहा था। अब भी मेरी यही राय है कि यदि बीच वाली संस्थायें रहीं तो किसानों को कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। चूंकि हम सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं अतः बीच में आने वाली इन संस्थाओं की पुनरावत्ति को रोकना चाहिये। ये एजेन्सियां, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और लघुकालीन ऋण देती हैं। किन्तु इन में समन्वय कोई नहीं है। दीर्घकालीन और लघुकालीन ऋणों के लिये हम एक अलग संगठन बना रहे हैं। इस का सभी प्रशासकीय व्यय किसान लोग उठायेंगे।

जहां तक कागज़ी कार्यवाही की बात है हम देखते हैं कि हम ने बहुत उन्नति की है लेकिन यदि आप गांवों में जा कर देखें तो आप को वास्तविक स्थिति का पता चल जायेगा। अब भी वहां लोग साहूकारों से ऋण लेते हैं। विभिन्न प्रकार के अभिकरण बनाने से पहले सरकार इस बात का ध्यान रखे कि इन ऋणों के देने में जो रवैया अपनाया जाता है उस में एकता है। तथा चीजें भी सही और सीधे सादे ढंग से किसानों को दी जाती हैं। यहां तक कि सहकार मंत्रालय को भी इस बात का सही अनुमान नहीं है कि यह सहकारी आन्दोलन किस ढंग से कार्य करेगा। दूसरे क्षेत्र भी सहकार क्षेत्र को चुनौती दे रहे हैं अतः इस क्षेत्र को और भी सावधानी से काम लेना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह गुणता की उन्नति की ओर ध्यान दें। हमें यह भी बताया जाना चाहिये कि सहकार आन्दोलन से भ्रष्टाचार को हटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है। इसी भ्रष्टाचार के कारण यह आन्दोलन बदनाम हो रहा है। अतः सहकारी आन्दोलन के हित को ध्यान में रख कर सरकार को चाहिये कि इस समस्या का समाधान एक नये ढंग से ही करे।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : इस विधेयक के उपबन्धों का मैं स्वागत करता हूं। भारतीय ग्रामीण उधार सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार यह अधिनियम १९५९ में पारित हुआ

---

† अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

था। इस समिति के प्रतिवेदन में स्पष्टतः यह कहा गया था कि राष्ट्रीय सहकारी विकास बोर्ड तथा केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम को एक दूसरे से मिल कर कार्य करना चाहिये। यही नहीं बल्कि बोर्ड को तो मुख्य स्थान दिया गया था और वेयरहाउसिंग कारपोरेशन से कहा गया था कि वह बोर्ड के आदेशों के अनुसार कार्य करे। बोर्ड के पास इस वेयरहाउस कारपोरेशन के ६० प्रतिशत से भी अधिक अंश थे। अब ये सभी अंश भारत सरकार के पास आ जायेंगे। लेकिन मिल जुल कर काम करने की जो नीति थी अब वह समाप्त हो जायेगी। ये दोनों संस्थायें स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी। मेरा विचार है कि यह बात अच्छी नहीं है। इस से कार्य अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार वेयरहाउस कारपोरेशन अपने उद्देश्य से विमुख हो जायेगा। वेयरहाउस के प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि यह किसानों को लाभ पहुंचाने की अपेक्षा धनी लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। यह उन लोगों की सहायता कर रहा है जिन के पास भारी मात्रा में भांडार हैं और उन्हें इस बात का अवसर दे रहा है कि वे वस्तुओं का मूल्य बढ़ायें।

यह मैं मानता हूं कि इस सहकारी आन्दोलन ने काम की मात्रा एवं काम की अच्छाई की दृष्टि से कुछ उन्नति की है किन्तु फिर भी यह आंदोलन सहकार की भावना से त्रस्त है। मेरा निवेदन यह है कि यदि इस सहकार आन्दोलन का विकास सरकारी धन पर तथा इसका उद्देश्य कुछ धनी लोगों को ही लाभ पहुंचाने का है तो मैं यही कहूंगा कि इस आन्दोलन की अच्छाई में कमी है। चूंकि यह उन लोगों को लाभ नहीं पहुंचा रहा जिन्हें कि पहुंचाना चाहिये।

ऋण के रूप में जो भी धन दिया जाता है वह केवल रिजर्व बैंक द्वारा ही दिया जाना चाहिये।

बैकुंठ लाल मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि ऋण पाने के अधिकारी किसानों को सरकार ऋण दे। लेकिन मैं देखता हूं कि न तो किसी सहकारी संस्था ने अथवा न किसी राज्य सरकार ने इस बारे में कोई उत्साह दिखाया है। खड़ी हुई फसलों के आधार पर ऋण देना जोखिम का काम है। प्रतिवेदन से पता चलता है कि इस बोर्ड से अब तक १८०० विपणन संस्थाओं को लाभ पहुंचा है। कुल मिलाकर इन संस्थाओं की संख्या लगभग ३००० या इससे कुछ अधिक ही है। अब प्रश्न यह उठता है कि अन्य संस्थाओं को लाभ क्यों नहीं पहुंचा। इससे तो यह प्रकट होता है कि इस बोर्ड का कार्य प्रशंसनीय नहीं है।

खंड ९ में निगम का ों का उल्लेख किया गया है। उपखंड (२) (क), (ख) और (ग) में विशेष कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन इन सभी कार्यों में प्रोसेसिंग तथा विपणन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस का अभिप्राय तो यह हुआ कि यह कार्य अछूता रह जायेगा। यदि निगम की यही नीति चलती रही तो सरकार की मूल्य सम्बन्धी नीति विफल हो जायेगी अर्थात् तीसरी योजना में जो यह उल्लेख किया गया है कि उत्पादक को वही मूल्य मिलना चाहिये जो कि उपभोक्ता देता है।

इस विधेयक में यह व्यवस्था नहीं की गई है कि इस बोर्ड का सदस्य फारवर्ड मारकेटिंग आयोग का सभापति भी रहेगा। जब कि १९५६ के अधिनियम में यह व्यवस्था थी और सभापति इस बोर्ड का सदस्य था भी। इसे सदस्य अवश्य बनाना चाहिए चूंकि उसका सदस्य रहना बहुत आवश्यक है।

मेरा सुझाव है कि इस का नाम "निगम" न रख कर "बोर्ड" ही रहने दिया जाये। किसी व्यावसायिक संस्था का नाम निगम रहना तो अच्छा लगता है किन्तु यह व्यावसायिक संस्था नहीं है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** यह प्रस्तावित विधेयक मंत्रालय के लिए कोई प्रशंसा की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक सामान्य विधयक है। कहना तो चाहिये कि उपयुक्त समय से पूर्व ही इसे प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विधयक को या तो प्रवर समिति को सौंपा जाय अथवा मंत्री महोदय इस पर फिर से विचार करें।

मेरा विचार है कि यह विधेयक भ्रांति से पूर्ण है। दूसरे इसका आलेखन भी ठीक ढंग से नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि यह सहकार आन्दोलन की सफलता अथवा असफलताओं की चर्चा करने का समय नहीं है। क्योंकि सहकार आन्दोलन की असफलता मानव की असफलता है। हमारे देश की असफलता है। अतः हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए जो भी विधेयक हम यहां प्रस्तुत करें वह हमारे लक्ष्य की पूर्ति करने वाला हो।

इस विधेयक के अन्तर्गत जिन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है वे सभी ऐसे उत्पादन हैं जिनका कृषि से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि विधेयक में प्रयुक्त शब्दों "निर्धारित वस्तुएं" तथा "कुछ दूसरी वस्तुएं" की उचित परिभाषा की जानी चाहिए। मेरा यही सुझाव है कि तम्बाकू, काफी और चाय को भी कृषि उत्पादन में जोड़ देना चाहिए। विधयक का उद्देश्य तो सीधा सादा तथा स्पष्ट होना चाहिए न कि भ्रान्ति में डालने वाला।

ऐसे व्यक्ति को इसका अर्थात् निगम का सदस्य न बनाया जाय जो किसी न किसी रूप में अपराधी रहा हो।

सदस्य को हटाने का अधिकार भारत सरकार को दिया गया है किन्तु कारण क्या होंगे उनकी कोई व्याख्या नहीं की गई है।

खंड २१ के अनुसार केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह निगम को जब चाहे तब समाप्त कर सकती है। मेरा विचार है कि यह अधिकार मनमाना है।

वैसे देखा जाय तो निगम को काम करने के लिए स्वतंत्र अधिकार मिलने चाहिएं किन्तु इस मामले में केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण काफ़ी है।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि यह विधेयक मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता। अतः या तो इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय अथवा इसे एकदम रोक लिया जाय।

†**श्री मानसिंह पु० पटेल** (मेहसाना) : इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। माननीय उपमंत्री महोदय ने जो तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की है उससे मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं। सहकार आन्दोलन का मुझे बहुत अनुभव है। हम चाहते हैं कि सभी कृषि उत्पादन इन विपणन संस्थाओं के द्वारा बेची जाये। लेकिन इन संस्थाओं के पास अपने गोदाम बहुत कम होते हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि यह वेयर हाउसिंग कारपोरेशन धनी लोगों को ही फायदा पहुंचाता है। यदि हम चाहते हैं कि सहकारी आन्दोलन वास्तव में उन्नति करे तो छोटी छोटी मूल संस्थाओं को हमें प्रोत्साहन देना होगा और य संस्थाएं ही कृषकों को लाभ पहुंचा सकती हैं।

---

†बल अंग्रेजी में

[श्री मानसिंह पृ० पटेल]

जहां तक मेरे जिले की बात है हमारे यहां ६०० प्राथमिक संस्थाएं हैं। लेकिन छः वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक न तो केन्द्रीय वेयरहाउस कारपोरेशन ने और न राज्यीय वयर हाउस कारपोरेशन ने आज तक कोई वेयर हाउस वहां बनवाया है।

यह तो ठीक है कि स्वतंत्र निगम बन जाने से सहकार आन्दोलन को प्रोत्साहन मिलेगा। छोटी छोटी प्राथमिक संस्थाओं को वेयरहाउस आदि बनाने के लिए धन मिलेगा तया व स्वतंत्र रूप से आगे कार्य भी कर [illegible]गी।

लेकि[illegible] तक इस निगम के सदस्यों की संख्या है उसमें केवल ८ व्यक्ति [illegible]कारी होंगे। मेरे विचार से यह बात ठीक ही है। क्योंकि प्रारम्भ में यह संस्था सरकारी धन पर ही निर्भर रहेगी। किन्तु फिर भी यह अच्छा होता यदि इसके २१ सदस्यों में से कम से कम १२ सदस्य गैर-सरकारी होते। इसलिये खंड ३(३)(i) तथा खंड ३(३)(V) में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके सदस्यों की संख्या तो घटाई और बढ़ाई जा सकती है किन्तु गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिए।

खंड १० में निगम की कार्यकारिणी का उल्लेख किया गया है। यह कार्यकारिणी में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित की जायेगी। मेरा सुझाव है कि निगम ही इस समिति का निर्वाचन करे। बहुत से बहुत सरकार इतना कह दे कि सभापति एवं उपसभापति का नामनिदशन तो सरकार करेगी। वास्तव में देखा जाये तो सदस्यों का निर्वाचन समूचे निगम द्वारा किया जाना चाहिए।

दूध को भी निर्धारित वस्तुओं की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने बोर्ड तथा वेयरहाउस कारपोरेशन जैसी दो संस्थाओं को अलग अलग करके साहसपूर्ण कदम उठाया है। और सहकार आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

†**श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : इस विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर में भी लागू किया जाय।

†**श्री सु० कु० डे** : इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए हम ने हमेशा ही कई समितियां बनाई हैं और उन में विख्यात व्यक्तियों को सदस्य बनाया है ताकि व हमें सदैव ही अच्छे परामर्श दे सकें। इन समितियों के प्रतिवदनों पर मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के मंत्रालयों ने काफी विचार किया है। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर काफ़ी सुधार भी किया गया है। अब तक यह देखने में आता था कि इन सहकारी संस्थाओं में किसी न किसी रूप में मंत्री सम्बन्धित हुआ करते थे किन्तु अब ऐसी बात नहीं है। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इन सहकारी संस्थाओं में सरकारी पदाधिकारी कम हों तथा इनकी रचना एवं गठन लोकतंत्रीय ढंग से ही अधिक हो। राष्ट्रीय विपणन फैडरेशन इसका उदाहरण है। यह एकदम गैर-सरकारी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय चीनी सिन्डीकेट भी एक ऐसा ही उदाहरण है। राष्ट्रीय सहकार संघ के सभापति भी इस सभा के सदस्य श्री वी० टी० कृष्णमाचारी हैं। अतः यह भी एक प्रकार से गैर-

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी सदस्य की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। इस से यह प्रकट होता है कि इस क्षेत्र में हम लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि व सरकार के कार्य को आगे बढ़ा सकें

इस विधेयक के उद्देश्य के बारे मेंकुछ भ्रान्ति है। यह कोई नया विधेयक नहीं है। सन् १९५६ में कृषि उत्पाद (विकास तथा वेयरहाउसिंग) निगम अधिनियम पारित किया गया था। इस विधेयक का शीर्षक भी करीब करीब वही है। अब इसका नाम राष्ट्रीय सहकार विकास निगम विधेयक है। मैं समझता हूं कि इस में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

यह नया विधेयक पेश करने का कारण स्पष्ट है। यह कि संसद ने आज से चार पांच वर्ष पहले जब विधेयक पारित किया था, तब देश की सहकार नीति निश्चित नहीं थी। रक्षित बैंक की देहाती ऋण सम्बन्धी समिति ने एक नीति रखी थी और उसी के अनुसार, भाण्डागार और सहकारिता विकास बोर्ड के अधीन वित्तीय सहायता की व्यवस्था के लिये एक नया निगम बनाया गया था। उसी के लिये विधेयक पारित किया गया था। उसके कुछ वष बाद, राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निर्णय किया था कि सहकारिता के आन्दोलन को पुनगठन करना चाहिये। उसी के अनुसार भारत सरकार ने सहकारिता को प्रोत्साहित करने के लिये और उसे जन आन्दोलन का रूप देने के विशेष दायित्व से युक्त एक नया विभाग बनाया था। उस आन्दोलन को सामुदायिक विकास और पंचायती राज के अधीन स्थापित की जाने वाली लोकतांत्रिकता को नया बल प्रदान करना था।

उस समय यह स्पष्ट था कि बोर्ड एक सरकारी अभिकरण रहेगा जो एक निगम के रूप में राज्य सरकारों को सरकारी और गैर-सरकारी सहायता केन्द्र की ओर से देगा। इसलिय यह दायित्व भी राष्ट्रपति के आदेश से सहकारिता विभाग को सौंप दिया गया था।

विभाग के निर्माण के समय सोचा गया था कि दो संगठन बनाये जायेंगे। एक तो भाण्डगार बोर्ड के काम की देखभाल करेगा और दूसरा सहकारिता विकास बोर्ड को, जो सहकारिता के नये विभाग से सम्बद्ध रहेगा।

पहले के अधिनियम का संशोधन आसानी से किया जा सकता था। लकिन हमने सोचा कि जब एक नया विभाग बनाया जा रहा है,तो उचित यही होगा कि उसका अपना एक अलग विधान हो, भाण्डागार बोर्ड के विधान से अलग। मंशा यह था कि भाण्डागार बोर्ड के प्रतिनिधि इस नये बोर्ड में और इसी तरह नये बोडं के प्रतिनिधि भाण्डागार बोर्ड में भी रहें। तभी दोनों की कार्यवाहियों में उचित ढंग से सहकार्य रह सकेगा। दोनों भारत सरकार के अधीन काम करेंगे और दोनों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व रहेगा।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : यदि भाण्डागार निगम भी सहकारी आधार पर काम करेगा, तो फिर उसको भी क्यों हस्तांतरित नहीं किया जाता ?

†**श्री सु० कु० डे** : उसके लिये एक नया विधेयक सभा के सामने लाया जायगा और तब माननीय सदस्यों को उस पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य नये सहकारी विभाग के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना ही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सु० कु० डे** : यह मंशा तो नहीं है। एक माननीय सदस्य, डा० सिंघवी ने क हा है कि यह विधेयक काफी प्रगतिशील नहीं है। मात्र शब्दों से तो कोई संस्था प्रगतिशील नहीं हो जाती। संस्था में काम करने वाले लोग ही उसे प्रगतिशीलता प्रदान करते हैं।

इस बोर्ड के काम की देखरेख और छानबीन संसद करेगी। यदि संस्था काफी प्रगतिशील नहीं रहेगी, तो हर वर्ष माननीय सदस्य मंत्रालय और बोर्ड की धज्जियां उड़ा सकेंगे। मैं आपके सामने सभी तथ्य रख सकूंगा। मेरा ख्याल है कि कोई भी माननीय सदस्य इस मंत्रालय पर यह दोष नहीं लगा सकता कि हमने संसद सदस्यों के सामने पूरे तथ्य नहीं रख हैं।

"अधिसूचित वस्तु" के बारे में भी कुछ प्रश्न उठाय गये थे। विधेयक में केवल कृषीय उत्पादों का उल्लेख हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है, कृषीय उत्पादों के अतिरिक्त कुछ अन्य उत्पाद भी हैं, जैसे चाय, काफी, तमाखू, इत्यादि। सहकारिता और विकास बोर्ड को इनका काम भी करना पड़ेगा। इसीलिये विधेयक में एक खण्ड सम्मिलित किया गया है जो भारत सरकार को 'अधिसूचित वस्तुओं' की घोषणा करने का अधिकार देता है। अधिसूचित वस्तुओं से अभिप्रेत है, कृषीय उत्पादों के अतिरिक्त वस्तुएं। खण्ड २(ङ) में इसका खुलासा किया गया है।

यदि सरकार इसमें कोई चूक करे, तो संसद सरकार की अच्छी तरह खबर ले सकती है। यह खण्ड संसद् के उस अधिकार पर तो कोई कुठाराघात नहीं करता।

श्री नरसिंहा रेडी न कहा है कि सहकारिता विकास बोड में बड़ा अपव्यय होता है और यह भी कि सामुदायिक विकास मंत्रालय ने गांवों के शान्त वातवरण में गड़बड़ी पैदा कर दी है। मैं इन आरोपों को बड़ी खुशी से स्वीकार करता हूं। देहाती समाज में ठहराव था और हमने उसमें हलचल पैदा कर दी है। मुझे तो शिकायत यह है कि जितनी होनी चाहिये थी, उतनी हलचल नहीं हो पाई है। । मैं उसके लिये और अधिक शक्ति बटोरने की कोशिश कर रहा हूं।

सहकारिता बोर्ड में अपव्यय के बारे में मुझ यह कहना है कि हम संसद से बोड के लिये विशेष निधियां लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सहकार मंत्रालय के तृतीय योजना के अन्तर्गत जितनी राशियां दी जाती हैं, वे बोर्ड के जरिये राज्यों को भेजी जा रही हैं। यदि य राशियां ऋणों के रूप में राज्यों को दी जातीं, तो उनकी वसूली की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन स्वतंत्र निगम बना देने के कारण बोर्ड द्वारा दिये गये शत प्रतिशत ऋणों की वसूली होती जाती है। उस पर राज्य सरकार का कोई दबाव आवश्यक नहीं होता। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसी कोई गारन्टी नहीं है कि राज्यों को भारत सरकार जिस प्रयोजन के लिय निधियां दे, वे उसी पर खर्च की जायें। इसलिये कि राज्य सरकारें निधियां मिलने के पहले नौ महीने में एक मद की राशि लेकर दूसरी पर खर्च कर सकती हैं। लेकिन बोर्ड द्वारा दी गई निधियों को उसी प्रयोजन विशेष के लिये खर्च करना पड़ेगा।

बोर्ड राज्य सरकारों के जरिये काम करता है। श्री पु० र० पटल ने कहा है कि कृषकों को सहकारी समितियों के सदस्य बनने देना चाहिये, जिससे कि बिचवाई करने वाले लोग उसका अनुचित लाभ न उठा सकें। मंत्रालय भी इसी की कोशिश कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि पहल साढ़े तीन वर्ष में इस दिशा में काफी सुधार हुआ है। आशा है कि सभा का समर्थन पाकर इस दिशा में निरन्तर सुधार होता जायेगा और इससे वास्तविक लाभ कृषकों को ही पहुंचेगा। हम शुरू से बिचौलियों को हटाने के लिये प्रयत्नशील रह हैं और हमें उसमें कुछ सफलता भी मिली है।

---

†मूल अंग्रजी में

एक सुझाव यह है कि यदि रक्षित बैंक प्रति वर्ष ८०–९० करोड़ रुपये दे सकता है, तो फिर सहकारिता विकास बोर्ड के जरिये ३–४ करोड़ रुपये के ऋणों का अलग से व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं। रक्षित बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण अल्पकालीन होते हैं, जब कि यह बोर्ड अनुसहाय्य के रूप में ऋण देता है। बोर्ड द्वारा दिये जाने वाले ऋण शेयर पूंजी के रूप में होते हैं। रक्षित बैंक दीर्घकालीन ऋण नहीं दे सकता। उसे विश्व के बाजार का ध्यान रखना पड़ता है।

एक प्रश्न यह उठाया गया था कि बोर्ड के सदस्य निर्वाचित करने की व्यवस्था की जानी चाहिये, उनकी नामजदगी नहीं होनी चाहिये। यदि निर्वाचन की व्यवस्था की जायेगी, तो सरकारी कर्मचारियों को भी निर्वाचन में भाग लेना पड़ेगा। और, वह उचित नहीं होगा।

दूसरी चीज यह कि निर्वाचन की व्यवस्था रखने से बोर्ड में दलगत रस्साकशी चलने लगेगी। हम चाहते हैं कि सहकारिता के इस आन्दोलन में सभी दलों के प्रतिनिधि मिलजुल कर काम करें, इसलिये निर्वाचन की व्यवस्था हानिकारक सिद्ध होगी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : नामजदगी के लिये क्रय-विक्रय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को क्यों छोड़ दिया गया है ?

†**श्री सु० कु० डे** : हमने राज्य भर की विभिन्न सहकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के नामों की तालिका प्रस्तुत करने का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा दिया है। हम उन तालिकाओं में से नामजदगी के लिये लोगों को चुनेंगे। नामजदगी संविहित नियमों के अनुसार ही की जायगी।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** : राज्यों को जोनीय आधार पर प्रतिनिधित्व क्या दिया जा रहा है ? इससे उनमें परस्पर ईर्षा बढ़ेगी।

†**श्री सु० कु० डे** : राज्य का प्रतिनिधित्व बारी बारी से होगा। और, चूंकि सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता जायगा, इसलिये उनको ईर्षा नहीं होगी।

श्री सरजू पाण्डेय ने कहा है कि समूचे देश के लिये एक ही केन्द्रीय सहकारी विधि होनी चाहिये। मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। संविधान के अनुसार केन्द्र को सहकारिता के विषय में ऐसी कोई विधि बनाने का अधिकार नहीं है। एकरूप विधि न होने का एक कारण यह भी है कि देश के सभी क्षेत्रों में सभ्यता का स्तर एक समान नहीं है। इसलिये इस विषय को राज्य सरकारों के अधीन रखना ही ज्यादा ठीक होगा और उपयोगी रहेगा। राज्य सरकारें काम भी अच्छा कर रही हैं।

यह भी पूछा गया है कि अनतिक आचरण के लिये छः महीने की सजा पाने वालों को ही क्यों बोर्ड से बाहर रखने की व्यवस्था है, ४ या ३ महीने की सजा पाने वालों को भी उसमें क्यों सम्मिलित नहीं किया गया है। विधि मंत्रालय की यही राय है। वह छः महीने से अधिक सजा पाने वाल को गम्भीर अपराध का दोषी मानता है। और हम नहीं चाहते कि वैसे व्यक्ति इस प्रकार के संगठन में रखे जायें।

यह भी सुझाया गया है कि जब कृषि मंत्रालय सभी कुछ कर रहा है तो फिर अलग से बोर्ड बनाने की क्या जरूरत। यह वास्तव में कृषि मंत्रालय के क्षेत्राधिकार को सीमित करने के लिये नहीं, बल्कि उसे और अधिक विस्तृत तथा कार्यक्षम बनाने के लिये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कहा गया है कि सहकारी संगठनों को आयात-निर्यात का काम भी अपने हाथों में लेना चाहिये। राष्ट्रीय क्रय-विक्रय संघ ने यह काम शुरू भी कर दिया है। वह दालों जैसे कृषीय उत्पादों का निर्यात करता है। उसने बीजों के आयात का काम भी शुरू किया है। समय बीतने के साथ-साथ, इसमें काफी सुधार होता जायेगा।

माननीय सदस्य का यह भी सुझाव है कि ब्याज की दर काफी ऊंची है। यह सही है कि रक्षित बैंकदो-ढाई प्रतिशत ही लेता है। लेकिन रक्षित बैंक केवल ८० करोड़ रुपये देता है, जब कि हमें ज़रूरत है १२० या २०० करोड़ रुपयों की। हम ६ से ९ प्रतिशत तक लेते हैं। जो अधिक नहीं है। जापाद जैसे देश में सरकार १२ प्रतिशत तक ब्याज लेती है। रक्षित बैंक द्वारा जुटाई गई राशि के अतिरिक्त जो राशि हम खुले बाजार से इकट्ठी करते हैं उस पर ४ १/२ से ५ प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है।

†**श्री क० ना० तिवारी** (वगहा) : चीनी मिलें तक गन्ना-उत्पादक को ६ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देती हैं। सरकार ९ प्रतिशत लेती है।

†**श्री सु० कु० डे**: चीनी मिलें काफी बड़ी-बड़ी संस्थायें हैं। जब वे ६ प्रतिशत लेती हैं, तो मिक साहकारी संस्थाओं द्वारा ९ प्रतिशत लेना अनुचित नहीं कहा जा सकता। सवाल यह है कि इतना सारा रुपया जुटाया कहां से जाय। यदि अपेक्षित समूची राशि कम ब्याज दर पर मिलने लगे, तो हम भी अपने ब्याज की दर घटा सकते हैं। इसमें यदि कोई मुनाफा होता है, तो वह कृषकों की संस्थाओं को ही पूंजी-शयरों के रूप में मिल जाता है।

यह भी कहा गया था कि भूमिहीन कृषकों और गरीब कृषकों को सहायता नहीं दी जाती। हमने बैकुण्ठलाल मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्धन कृषकों को होने वाली हानि को पूरी करने के लिये अनुदान देने की प्रणाली चालू की है। इन अनुदानों के साथ, आशा है कि सहकारी समितियां और सहकारी बैंक निर्धन कृषकों को भी ऋण देने की स्थिति में होंगे। इस क्षेत्र में कुछ सुधार भी हुआ है।

कहा गया है कि सहकारी ढंग से क्रय-विक्रय की प्रणाली बड़ी अपर्याप्त है। हम मानते हैं कि जब तक इसका और अधिक विस्तार नहीं किया जायेगा तब तक ऋण की सुविधाओं में और अधिक विस्तार करना सम्भव नहीं होगा। इसलिये मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम क्रय-विक्रय की प्रक्रिया को और अधिक तेज़ बनायेंगे।

यह भी सुझाव रखा गया था कि यह एक संवर्धनात्मक निकाय रहे, वाणिज्यिक नहीं। हम इसे स्वीकार करते हैं। इसका यही मुख्य प्रकार्य और पद-निर्देश है।

डा० सिंघवी ने कहा था कि सहकारिता की असफलता मानवीय चरित्र की असफलता है। हम यहां पर इतना ही कर सकते हैं कि विधियां बनायें और सहकारी आन्दोलन को विकसित करने का प्रयास करें और उसके लिये धन जुटायें। उसकी सफलता या असफलता तो सहकारी आन्दोलन के नेतृत्व पर निर्भर करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा अनुरोध है कि सभा इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप पर विचार करे। इसके लिये प्रवर समिति की मांग न की जाये, क्योंकि हम इसके जरिये एक ऐसी संस्था को विनियमित करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर अभी भी दोहरा नियन्त्रण है। एकाध शब्द में इधर-उधर परिवर्तन कर देने से कोई संस्था प्रगतिशील नहीं बन जाती।

†**श्री क० ला० तिवारी** : सहकारी समितियां खुले बाजार भाव पर कृषिय उत्पाद खरीदेंगी या सरकार उनका क्रय मल्य निर्धारित कर देगी ?

†**श्री सु० कु० डे** : सरकार सहकारी समितियों से खरीदेगी और सहकारी समितियां राज्य की परिस्थिति के अनुसार कृषकों से प्रचलित मूल्य पर खरीदेंगी। यदि राज्य ने कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया होगा, तो सहकारी समितियां उसी मूल्य पर खरीदेंगी। वह मूल्य प्रतियोगी तो होगा ही।

†**श्री क० ला० तिवारी** : क्या कृषकों को सरकार द्वारा निर्धारित घटे हुए मूल्य पर बेचने के लिये विवश होना पड़ेगा ?

†**श्री सु० कु० डे** : हमने कोई विवशता नहीं रखी है और न उसकी आवश्यकता है। हां, भविष्य में हम जिनको ऋण देंगे उनको यह शर्त माननी पड़ेगी कि उनको सहकारी समिति को ही अपनी उपज बेचनी पड़ेगी। इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं श्री त्रिवेदी का इसे प्रवर समिति को सौंपने का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि कृषि जन्य उत्पादों और कुछ अन्य वस्तुओं के सहकारी सिद्धान्तों के आधार पर विकास के प्रयोजन के लिये एक निगम के निगमन तथा विनियमन और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा इस पर खण्डवार विचार करेगी।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : एक औचित्य प्रश्न है। प्रक्रिया नियम के नियम ७५ के अनुसार हम कल ही इस पर खण्डवार विचार कर सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह सामान्य चर्चा के सम्बन्ध में है। खण्डवार विचार पर वह लागु नहीं होता।

यह औचित्य प्रश्न नहीं बनता।

प्रश्न यह है :

> "कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १ (राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक सरकारी संशोधन है । मैं उसे प्रस्तुत मान लेता हूं :

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ३ में—

(१) पंक्तियों में ११ से १४ तक के स्थान पर,
यह रखा जाये—

(b) two shall be persons who have special knoledge of rural economics and cooperation; and";

["(ख) दो व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको देहाती अर्थ-व्यवस्था और सहकारिता का विशेष जान हो ; और,"]

(२) पंक्ति १५ में,
"(d)" ["(घ)"] के स्थान पर,
"(c)" ["(ग)"] रखा जाये । (१२)

[श्री श्यामनंदन मिश्र]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खण्ड ३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४ से २१ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड २२ का एक आनुषंगिक संशोधन है ।

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ ६, पंक्ति ७ में—

"(d)" ["(घ)"] स्थान पर "(c)" ["(ग)"] रखा जाये । (१३)

(श्री श्यामनंदन मिश्र)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

खण्ड २२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २३ विधेयक में जोड़ दिया गया :

खण्ड २४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अनुसूची

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अनुसूची में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य उस पर आग्रह करना चाहते हैं ?

†**श्री पु० र० पटेल :** मैं अपना संशोधन संख्या २८ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक की अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री सु० कु० डे :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी—खड़े हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य इस अवस्था पर भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो इसे कल पारित किया जायेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात्, लोक-सभा मंगलवार, ७ अगस्त, १९६२/ १६ श्रावण, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ६ अगस्त, १९६२

१५ श्रावण, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

२ सदस्यों ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली।

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१	कागज के लिये निर्यात सम्बर्द्धन परिषद्	१–२
२	नेपाल सीमा पर हुए आक्रमणों की संयुक्त जांच	३—५
३	भारत स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां	५—७
४	वियना मे भारतीय राजनयाधिकारी की मृत्यु	७—९
५	ल्हासा और नथुला के बीच हरकारा सेवा	९–१०
६	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, पिम्परी	१०—१३
७	तीसरी योजना में सहायता का ढांचा	१३–१४
८	ल्हासा में भारतीय महा-वाणिज्यदूत	१४—१६
९	भारत-चीन सीमा विवाद	१६—१८
१०	थुम्बू (भूटान) में राजनीतिक कार्यालय	१८—२०
११	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था	२०–२१
१२	पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय	२२—२५
१३	तीसरी पंचवर्षीय योजना	२५–२७
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१४	भारत और जापान में आर्थिक विकास के अध्ययन के लिये समिति	२७
१५	जाली पासपोर्ट	२७–२८
१६	विदेशी मुद्रा और तीसरी योजना	२८–२९
१७	राज्य योजना मंडल	२९

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
१८	कच्चे जूट के मूल्य	३०
१९	केरल में रेडियो सक्रियता	३०–३१
२०	छोटे इस्पात संयंत्र	३१
२१	लद्दाख में चीनियों द्वारा एक सड़क का निर्माण	३१–३२
२२	अभ्रक खान श्रमिकों को बोनस	३२
२३	भूटान में सीमेंट कारखाना	३३
२४	निर्यात	३३–३४
२५	ग्राम्य औद्योगीकरण योजना	३४–३५
२६	अल्जीरिया के साथ राजनयिक सम्बन्ध	३५
२७	लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय चौकी	३६
२८	सूत का मूल्य	३७
२९	नागालैंड में विकास परियोजनायें	३७
३०	कोचीन में चाय का स्टाक	३७–३८
३१	लंका में भारतीय	३८
३२	राज्यों में आवास योजनायें	३९
३३	भारतीय श्रमिकों का भविष्य निधि का रुपया	३९
३४	काठमांडू में भारतीय सहायता से औद्योगिक बस्ती	३९–४०
३५	भारतीय प्रदेश में चीनियों का धावा	४०
३७	ठेका पद्धति को समाप्त किया जाना	४१
३८	काठमांडू में एशिया उत्पादकता सम्मेलन	४१–४२
३९	भारतीय दूतावासों के वाणिज्य विभाग	४२
४०	भारत अमरीका प्रशुल्क करार	४२–४३
४१	दक्षता तथा कल्याण संहिता	४३
४२	अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार	४३–४४
४३	दिल्ली विश्वविद्यालय काम दिलाऊ ब्यूरो	४४
४४	रुआन्डा और बुरुण्डी के साथ राजनयिक सम्बन्ध	४४–४५
४५	उड़ीसा में खानों का बन्द हो जाना	४५
४६	गोआ में बेरोजगारी	४५
४७	पुर्तगाली बस्तियों में नजरबन्द भारतीय	४६
४८	मध्य प्रदेश में अल्युमिनियम संयंत्र	४६–४७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१	कलकत्ता पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात	४७
२	उड़ीसा में लौह अयस्क का भंडार	४८
३	गुरुदासपुर (पंजाब) में औद्योगिक बस्तियां	४८
४	नकली रेशम के धागे की कीमतें	४८–४९
५	नकली रेशम के धागे का आयात	४९
६	त्रिपुरा में लुग्दी (पल्प) उद्योग	४९
७	अल्प वेतन वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत ऋण	५०
८	ऋणों का परिहार	५०
९	कागज मिल	५०–५१
१०	अशोक होटल लिमिटेड की शाखायें	५१
११	नारियल जटा का सामान बनाने वालों को कठिनाइयां	५१
१२	महाराष्ट्र में औद्योगिक लाइसेंस	५१–५२
१३	महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योग	५२
१४	श्रीलंका जाने वाले भारतीय फार्मों के प्रतिनिधियों के लिये वीसा	५२–५३
१५	मध्य प्रदेश में उद्योग	५३
१६	ईरान के साथ व्यापार	५३–५४
१७	चाय का निर्यात	५४
१८	दिल्ली में दुकानों का समय	५४–५५
१९	बर्मा को सूखी प्रान मछली का निर्यात	५५
२०	रामकृष्णपुरम् में क्वाटरों का आवण्टन	५५–५६
२१	परामर्शदात्री समितियां	५६
२२	बिहार में शरणार्थियों के लिये मकान	५६–५७
२३	भारत-नेपाल व्यापार	५७
२५	मजूरी बोर्ड	५७
२६	उत्तर-प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा ऋणों की वापसी	५७–५८
२७	काफी बोर्ड	५८
२८	सिल्लिमैनाइट का उत्पादन	५८
२९	जादूगुड़ा खानों में हड़ताल	५८
३०	सामूहिक संचार का प्रशिक्षण	५८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखत उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

३१	अखबारों को लाइसेंस आदि का दिया जाना	६०
३२	मीट्रिक बाट	६०–६१
३३	तिब्बत में भारतीय व्यापार अभिकरण	६१
३४	चाय उद्योग	६१–६२
३५	फलों और सब्जियों आदि का निर्यात	६२
३६	मशीनी कढ़ाई वाले कपड़े का निर्यात	६२
३७	अखिल भारतीय निर्माता संघ	६२–६३
३८	भारतीय पटसन मिल संघ	६३
३९	रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्	६३
४०	मैसूर राज्य की शार्क लिवर आयल फैक्टरी	६४
४१	हिन्दुस्तान ऐंटीबायोटिक्स में संयंत्र	६४
४२	कुल्टी मे लाल बाजार विक्टोरिया कोयला खान में दुर्घटना	६४
४३	हथकरघा बुनकरों के लिए मकान	६४–६५
४४	केरल मे हथकरघा उद्योग	६५–६६
४५	केरल में ग्रामीण बेकारी का सर्वेक्षण	६६
४६	निर्माताओं को आयात के लिये सीमायें	६६–६७
४७	कानपुर की बट निर्माता फर्में	६७
४८	दावें का निपटारा	६७
४९	आवास समस्याओं सम्बन्धी गोष्ठी	६७–६८
५०	नई दिल्ली मे बंगलों में खाली स्थानों का उपयोग	६८
५१	कुमार घाट त्रिपुरा मे कताई मिल	६८–६९
५२	कुमारघाट, त्रिपुरा मे कागज मिल	६९
५३	संसद् सदस्यों के लिये फ्लैटों का निर्माण	६९
५४	घड़ियों का आयात	६९–७०
५५	वर्जीनिया तम्बाकू का निर्यात	७०
५६	बरेली में कृत्रिम रबड़ का कारखाना	७०
५७	गाजियाबाद का विकास	७०–७१
५८	लंका में भारतीयों का आप्रव्रजन	७१
५९	राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात और आयात	७१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६०	उड़ीसा भारतीय इंजीनियरिंग संयंत्र	७१–७२
६२	विदेशों के साथ लिंक डील	७२
६३	तिब्बत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्री	७२
६४	गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	७२–७३
६५	काठमांडू–भारत राजपथ	७३
६६	दिल्ली में सूती कपड़ा मिलें	७३–७४
६७	दिल्ली दुकान तथा संस्थान अधिनियम का उल्लंघन	७४
६८	मकान बनाने के लिये ऋण	७५
६९	केरल में मोनाजाइट उद्योग	७५
७१	विदेशी मुद्रा संसाधन	७५–७६
७२	मनीपुर में औद्योगिक परियोजनायें	७६
७३	लौह-अयस्क	७६–७७
७४	भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा	७७
७५	अम्लई (मध्य प्रदेश) ; कागज मिल	७७–७८
७६	जम्मू तथा काश्मीर में परियोजनायें	७८

निधन संबंधी उल्लेख ७९

अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान लोक-सभा के सदस्य श्री एम० हिफजुर्रहमान और श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, जो भारत की संविधान सभा और प्रथम लोक सभा के सदस्य थे, और बी० सी० राय, जो पश्चिमी बंगाल के मख्य मंत्री थे, के निधन का उल्लेख किया।

उसके पश्चात् सदस्य उन के सम्मान में कुछ समय तक मौन खड़े रहे।

स्थगन प्रस्ताव ७८–७९

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उन के सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) लद्दाख में चीनी आक्रमण — सर्वश्री शिवमूर्ति स्वामी, हेम बरुआ, प्रकाश वीर शास्त्री, बागड़ी, बड़े, प्र० के० देव, नाथ पाई, प्रिय गुप्त, हरिविष्णु कामत, सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी, किशन पटनायक और विदिब कुमार चौधरी।

विषय पृष्ठ

(२) गत चार महीनों में अनेकों रेल दुर्घटनायें — सर्वश्री के० आनन्द नम्बियार, कुन्हन, स० मो० बनर्जी, ही० ना० मुकर्जी और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ८०—८२

(१) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक २६ मई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१८ में प्रकाशित खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

(२) संविधान के अनुच्छेद १२३(२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत २० जुलाई, १९६२ को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या ३) की एक प्रति।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २० जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या ८/२६/६२—आयात में प्रकाशित अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२।

(दो) (क) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९ क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २३ जून, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या ७ (१) मेट/६२।

(दो) वर्ष १९६१–६२ के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड की गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन।

(५) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ को फलों तथा वनस्पति परीक्षण उद्योग पर लागू करने के लिये उक्त अधिनियम

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः) **विषय** **पृष्ठ**

की धारा ४ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १६ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० दिनांक ७८६।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८७ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) योजना, १९६२।

(६) चावल कुटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ७ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९१४ में प्रकाशित चावल कुटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम १९६२ की एक प्रति।

(७) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५० मे प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति।

(८) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक २३ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८४५।

(दो) दिनांक ३० जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८८४।

(तीन) दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९५२।

(९) केरल विधान सभा के सामान्य निर्वाचन की प्रतिवेदन, १९६० की एक प्रति।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८२

सचिव ने २१ मई, १९६२ को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के बाद संसद् की दोनों सभाओं द्वारा गत अधिवेशन में पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे गये :—

(१) विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२

(२) वित्त (संख्या २) विधेयक, १९६२

विषय पृष्ठ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति—(क्रमशः)

(३) भेषज (संशोधन) विधेयक, १९६२

(४) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६२

(५) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६२

(६) राष्ट्रपति को पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव ने २१ मई, १९६२ को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद संसद् की दोनों सभाओं द्वारा गत सत्र में पारित किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६२ की एक प्रति राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित रूप में पटल पर भी रखी।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य ८३—८७

प्रधान मंत्री ने लद्दाख की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया और श्वेत पत्र संख्या ६ की एक प्रति, जिस में नवम्बर, १९६१ और जुलाई, १९६२ के बीच भारत और चीन की सराकारों द्वारा एक दूसरे को भेजे गये टिप्पण, ज्ञापन और पत्र दिये हुए है, और भारत सरकार द्वारा चीन सरकार को भेजा गया दिनांक २६-७-१९६२ का एक और टिप्पण भी सभा पटल पर रखा।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ८७—९१

(१) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने अपनी हाल की पश्चिम योरोप की यात्रा के बारे में एक वक्तव्य दिया और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के ३४वें अधिवेशन में उन के द्वारा दिये गये वक्तव्य की एक प्रति भी पटल पर रखी।

(२) रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने २१ जुलाई, १९६२ को डूमराव में हुई रेल दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक विचाराधीन ९१—११५

सामुदायिक विकास पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी ने संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

श्री सु० कु० बे ने चर्चा का उत्तर दिया।

विधेयक को प्रवर समित को सौंपने का संशोधन अस्वीकृत हुआ।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उस के पश्चात् विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

विषय पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ११५

तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंगलवार, ७ अगस्त, १९६२ / १६ श्रावण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक पर अग्रेतर विचार तथा उसका पारित किया जाना। आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक तथा प्रत्यर्पण विधेयक पर विचार तथा उन का पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—1392 (Ai) LSD— 13-13-62—140.